Par. S. 17. II. 21. 53
285

अंक २

संख्या २१

बुधवार

२९ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३६७५—३७२८]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३७२९—३७७२]

(मूल्य ४ आने)

228 P.S.D.

लोक सभा

बुधवार, २९ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्थापित परिवारों को दिये जाने वाले ऋण

*१६८५. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री वह विभिन्न तरीके बताने की कृपा करेंगे जिन के अनुसार पश्चिमी बंगाल को दी जाने वाली २.७ करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जाने वाली है ?

(ख) अनुदान के सम्बन्ध में निर्देशित तीन ज़िलों में विस्थापित परिवारों को दिये जाने वाली ऋण की अधिकतम मात्रा क्या है ?

(ग) उन परिवारों को छांटने की विधि क्या है जिन को अनुदान या ऋण दिये जायेंगे ?

(घ) सब मिला कर कितने परिवारों को अनुदान से लाभ पहुंचने की आशा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पश्चिमी बंगाल की सरकार को संमोदित २.३७ करोड़ रुपये का ऋण बरदवान, नादिया तथा २४ पर्गना के जिलों के शिविरों में या शिविरों के बाहर निवास करने वाले विस्थापित व्यक्तियों को गृहनिर्माण, व्यापार, कृषि के ऋण वितरित करने के लिये है ।

अधिकतम सीमाएं इस प्रकार हैं

(१) गृहनिर्माण ऋण :

(१) ग्रामीण—५०० रुपये तक

(२) नगर सम्बन्धी—१,२५० रुपये—मकान की लागत का कोई भाग ऋणीजनों से लिये बग़ैर १,२५० रुपये के ऊपर तथा ५००० रुपये तक उस हालत में जब ऋणी जन मकान की लागत का एक निश्चित भाग का भार सहन करने को तय्यार हों ।

(२) व्यापार के ऋण :

(१) ग्रामीण—५०० रुपये तक ।

(२) नगर सम्बन्धी—७५० रुपये तक जिला अधिकारियों द्वारा ७५० रुपये से अधिक तथा ३००० रुपये तक विस्थापित व्यापारी पुनर्वास मण्डल द्वारा ।

(३) कृषि के ऋण :

१,१५० रुपये तक

(ख) शिविर के सभी निवासी पुनर्वास की सहायता के पात्र हैं तथा बाहर के व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन को पुनर्वास की सहायता की आवश्यकता है, हर एक के मामले पर गुणिता के अनुसार विचार किया जाता है ।

(ग) लगभग ३१,००० परिवार ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इन तीन जिलों के विस्थापित व्यक्ति, व्यापार के ऋण, पुनर्वास वित्त प्रशासन से अथवा पश्चिमी बंगाल सरकार से पाने के अधिकारी हैं ?

श्री ए० पी० जैन : दोनों से ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल के अन्य ज़िलों में कुछ और परिवारों को बसाने का विचार है ?

श्री ए० पी० जैन : हां ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि उस भूमि का मूल्य जो इन विस्थापित व्यक्तियों के लिये अर्जित की गई है अधिक है तथा इस कारण पुनर्वास कार्य में देर हो रही है ?

श्री ए० पी० जैन : हाल ही में कुछ शिथिलतायें की गई हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि नगरों के शरणार्थियों को दिये जाने वाले गृहनिर्माण ऋण इतने कम हैं कि वे अपने मकान पूरे नहीं कर पाये हैं तथा क्या माननीय मंत्री के सामने यह अभिवेदित किया गया है कि यदि थोड़ा और अनुदान संमोदित कर दिया जाय तो यह मकान पूरे हो जायं ?

श्री ए० पी० जैन : हम अपने कोष पर अधिकतम भार डाल चुके हैं । कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन में मकानों का निर्माण नहीं हो सका है परन्तु ९५ प्रतिशत उदाहरणों में मकान का निर्माण पूरा इस लिये नहीं हो सका कि शरणार्थियों ने सहायता का वह भाग नहीं लगाया जो उस के हिस्से का था ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या पहले से कोई ऐसी शर्त चली आ रही थी कि शरणार्थियों को नगर के मकानों के सम्बन्ध में कोई भाग पूरा करना होगा ?

श्री ए० पी० जैन : जहां तक १,२५० रुपये के नगर के गृहनिर्माण ऋणों का सम्बन्ध है ऐसी कोई शर्त नहीं थी । जहां यह ऋण १,२५० रुपये से अधिक था तथा ५००० रुपये तक शरणार्थी के लिये २५ प्रतिशत लगाने की शर्त थी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ऋण पर कोई ब्याज लिया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन : हां, ब्याज लिया जाता है ।

श्री गिडवानी : ऋण के निबन्धन क्या हैं, इन को कब वापस करना होगा तथा इनके ब्याज की दर क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इन बातों के सम्बन्ध में कोई घोषणायें नहीं की गई हैं ?

श्री ए० पी० जैन : अनेकों घोषणायें निर्गम की जा चुकी हैं, उन सब को उल्लेख प्रतिवेदन में है तथा इस पर अनेकों प्रश्न किये जा चुके हैं ।

श्री थानू पिल्ले : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल को दी जाने वाली २·७ करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में है या ऋण के ?

श्री ए० पी० जैन : ऋण ।

श्री बी० के० दास : यह ऋण, गृहनिर्माण ऋण अथवा व्यापार के ऋण एक किस्त में दिये जाते हैं या एक से अधिक किस्तों में ?

श्री ए० पी० जैन : गृहनिर्माण ऋण अधिकतर दो किस्तों में दिये जाते हैं । व्यापार के ऋण एक किस्त में दिये जाते हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति

*१६८६. **श्री बहादुर सिंह** : क्या पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को, उस देश में छूट जाने वाली उन की सम्पत्ति के लिये दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति की दर के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह मामला सरकार के विचाराधीन है तथा शीघ्र ही कोई निर्णय होने वाला है ।

श्री बहादुर सिंह : इस समस्या के सम्बन्ध में सरकार को निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री ए० पी० जैन : उप समिति ने अपनी कार्यवाई समाप्त कर दी है तथा अब यह मंत्रिमंडल के पास जायेगा ।

श्री बहादुर सिंह: इस में देर लगने का क्या कारण है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं यह स्वीकार नहीं करता हूं कि देर हुई है ।

श्री गिडवानी : क्या आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सूचना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि क्षतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में, कल, मंत्रिमंडल समिति कोई निर्णय नहीं कर सकी क्योंकि वित्त मंत्रालय क्षतिपूर्ति समूहन के लिये किसी सरकारी अनुदाय पर राज़ी नहीं थी ।

श्री ए० पी० जैन : सरकार ऐसी काल्पनिक सूचनाओं की बड़ी गंभीरता के साथ निन्दा करती है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि निष्काम्य सम्पत्ति का निर्धारण तथा सत्यापन हो चुका है तथा यदि हो चुका है तो जो सत्यापन अंक निकाला गया है वह क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : निष्काम्य सम्पत्ति का मूल्यांकन हो चुका है । उचित समय पर अंक दिये जायेंगे ।

श्री गिडवानी : क्या मैं समझूं कि इस सूचना में कोई सत्यता नहीं है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : कैबिनेट ने एक सबकमेटी बनाई । उसने जलसे किये और वह अपनी रिपोर्ट कैबिनेट में भेज रही है । इस स्टेज में ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट इस पोज़ीशन में नहीं है कि कोई बात भी कह सके ।

पाकिस्तानी प्रतिभूतियां

*१६८७. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २७ फ़रवरी १९५१ तथा ३१ दिसम्बर १९५२ को भारतीय नागरिकों के हाथ में पाकिस्तानी प्रतिभूतियों तथा हिस्सों के मूल्य का कोई आगणन है ?

(ख) क्या भारत सरकार का ध्यान पाकिस्तानी प्रतिभूतियों तथा हिस्सों के करापहरण के किसी मामले की ओर दिलाया गया है ?

(ग) यदि दिलाया गया है तो क्या किसी संदिग्ध करापहरण के मामले की जांच हो रही है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाई की गई है ?

वित्त उप-मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). पाकिस्तानी प्रतिभूतियों तथा हिस्सों के संदिग्ध करापहरण के कुछ मामले सरकार की निगाह में आये हैं तथा भारत का रिज़र्व बैंक उन की जांच कर रहा है ।

श्री बहादुर सिंह : क्या सरकार भारत स्थित प्रतिभूतियों की घोषणा कराने का विचार करती हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : हमारे पास प्रतिभूतियों की निश्चित धनराशि का कोई अनुमान भी नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार यह देश के हित में नहीं विचार करती है कि इन का सत्यापन करावे तथा इस का निर्धारण

करावे कि पाकिस्तानी प्रतिभूतियों तथा हिस्सों की कौन सी धनराशि भारतवासियों के हाथ में है ?

श्री ए० सी० गुहा : हमारे पास केवल ३० जून १९४८ तक के आंकड़े हैं । तब से कोई आंकड़े संग्रह नहीं किये गये हैं तथा रिज़र्व बैंक ने विचार किया कि इस से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि वे, जो कर-पहरण करना चाहते हैं, अपनी प्रतिभूतियां तथा हिस्से नहीं बतायेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इससे हमारी सरकार की अदक्षता नहीं प्रगट होगी ? . . .

उपध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क है ।

सरदार हुक्म सिंह : मुझे खेद है, श्रीमान् । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार सममूल्य विनिमय पर क्यों ज़ोर दे रही है जबकि सरकारी विनिमय संभव है ?

श्री ए० सी० गुहा : सरकारी विनिमय हो सकता होगा परन्तु गैरसरकारी बाज़ार में चालू विनिमय दर सममूल्य से बहुत कम हैं । इस लिये सरकार को इस का भी ध्यान रखना चाहिये ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह पता लगाने के लिये कि सरकारी दर के अनुसार विनिमय संभव है या नहीं ऐसा करने का प्रयास किया गया तथा इस की आज्ञा दी गई ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार का यह विचार है कि सरकारी दर के अनुसार विनिमय, हमारे देश के लिये, सार्वजनिक दर के अनुसार विनिमय से अधिक हितकारी होगा ?

श्री ए० सी० गुहा : यह विचार नहीं है । अन्यथा सरकार उस पर इतना ज़ोर न ती ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हम जान सकते हैं कि जब प्रतिभूतियों के इन १०० रुपयों के बदल में जो हम देंगे हम १४४ रुपये पा सकते हैं तो कौन से विशेष कारण हैं कि जिन से सरकार सरकारी दर पर विनिमय करने की आज्ञा देना देश के हित में नहीं समझती है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह तो मत की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ?

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार के पास पंजाब, सिंध तथा सरहद प्रान्त के उन प्रतिभूतियों के बारे में कोई जानकारी है जिन पर २७-२-५१ के बाद भारत की जगह पाकिस्तान के खज़ाने की मुहर लगायी गयी ?

श्री ए० सी० गुहा : हमारे पास प्रान्तवार जानकारी नहीं है किन्तु कुछ आंकड़े अवश्य हैं । पंजाब के खज़ाने में भुगतान के लिये लगभग ८३ लाख रुपये की प्रतिभूतियों पर मुहर लगाई गई, अन्य प्रान्तों के बारे में हमारे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह तथ्य है कि लगभग ५ करोड़ रुपये की प्रति-भूतियों का भारत से पाकिस्तान को चौर्यानयन किया गया और उनके बदले में भारत को कुछ नहीं मिला ?

श्री ए० सी० गुहा : चौर्यानयन की कुछ बातें हमें मालूम हुई हैं किन्तु निश्चित राशि का पता लगाना असंभव है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : गत २० नवम्बर को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया था कि वे इस मामले का परीक्षण करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति से अपने पास की प्रतिभूतियों की राशि घोषित करवाना लाभदायक होगा या नहीं इस बात

पर विचार करेंगे । क्या सरकार ने इस मामले का परीक्षण कर लिया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि परीक्षण कर लिया गया होगा क्योंकि वित्त मंत्री ने कुछ आश्वासन दे दिये हैं । किन्तु इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या विनिमय नियंत्रण अधिकारियों की सहमति बिना भारत से पाकिस्तान को प्रतिभूतियों का चौर्यानयन किया जा सकता है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं। किसी अधिकारी की सहमति बिना चौर्यानयन किया जा सकता है ।

श्री केलप्पन : क्या यह तथ्य है कि भारतीय नागरिकों के पास १७-९-४९ तक की जो पाकिस्तानी प्रतिभूतियां हैं वे ही केवल विनियमित की जा सकती हैं और वे भी सममूल्य दर से ?

श्री ए० सी० गुहा : हां मेरी राय में, यही वस्तु स्थिति है क्योंकि, जैसा कि मैं ने पहले भी एक बार कहा है, भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण उस दिन दोनों देशों के बीच गतिरोध सा पैदा हुआ ।

श्री केलप्पन : क्या मैं यह दर तथा दिन कायम किये जाने का कारण जान सकता हूं ?

श्री ए० सी० गुहा : अवमूल्यन के कारण यह किया गया ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार यह नहीं मानती कि प्रतिभतियों की घोषणायें करवाने से चौर्यानयन रोकने का काम सुलभ हो जाएगा ?

श्री ए० सी० गुहा : यह अपने अपने मन का प्रश्न है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ प्रतिभूति-धारकों ने आगे आ कर अधिकृत दर से विनिमय कराने की कोशिश की है और सरकार को बतलाया है कि १४४ रुपए के बदले में वे १०० रुपये ला सकते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे पूर्वसूचना चाहिये । यदि माननीय सदस्य के पास कोई निश्चित जानकारी है तो वे हमें बतला सकते हैं ।

श्री केलप्पन : इसी विषय में मैं जानना चाहता हूं कि दर तथा दिन के बारे में जो नियम बनाया गया है, क्या वह उस दिन के बाद हस्तांतरित की गई प्रतिभूतियों पर भी लागू है ?

श्री ए० सी० गुहा : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, एक निश्चित दिन के बाद उन प्रतिभूतियों के धारकों को अपनी सचाई सिद्ध करनी होगी ।

खेल कूद की संस्थाओं को अनुदान

***१६८८. श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री ७ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०३ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है कि खेल कूद की संस्थाओं को सरकार के अनुदान किस प्रणाली द्वारा खर्च किये जायेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : शारीरिक व्यायाम सम्बन्धी परामर्शदाता बोर्ड से इस मामले पर विचार करने के लिए कहा गया था और अब उस के संकल्प पर विचार किया जा रहा है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन अनदानों का कितने प्रतिशत खेल कूद की वास्तविक ट्रेनिंग पर खर्च किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि खेल कूद की समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार को मंत्रणा देने वाला कोई व्यक्ति है और यदि हां तो सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों की क्या स्थिति है ?

श्री के० डी० मालवीय : परामर्शदाता बोर्ड है जिस में भारत सरकार का एक सचिव भी है । वह समिति का अध्यक्ष है । वह इस बोर्ड तथा सरकार के बीच सम्पर्क अधिकारी की तरह कार्य करता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल प्रदेश खेल समिति का यह सुझाव मान लिया था कि खेलों का प्रबन्ध खेल संस्थाओं से ले लिया जाय और उन्हें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में रखा जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस के लिए अलग विभाग बनाने का है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस विशेष मामले के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या सरकार १० अप्रैल के "स्टेट्समैन" में छपे इस समाचार का खण्डन करना स्वीकार करती है कि सरकार ने खेल संस्थाओं से खेलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना स्वीकार किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार पूछताछ करेगी ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, जिन को सरकार ग्रान्ट देती है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस की बहुत लम्बी फ़ेहरिस्त है जोकि इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री बंसल : इस में कबड्डी भी शामिल है या नहीं ?

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को मालूम है कि सरकार से नियमित रूप से अनुदान पाने वाली कुछ संस्थाओं पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार है जबकि ऐसे ही अनुदान पाने वाली अन्य संस्थाओं के नियंत्रक निकायों के सदस्यों का परस्पर झगड़ा चलता रहता है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं । यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसा होता है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

श्री के० जी० देशमुख : सरकार ने पिछले साल खेल संस्थाओं को कितनी राशि अनुदानों में दी थी ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं हैं ।

नेपाल-भारत रुपये की विनिमय दर

*१६९०. **श्री एल० एन० मिश्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिनों से नेपाल तथा भारत के रुपये की विनिमय दर में बहुत वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) :(क) हाल ही में नेपाल तथा भारत के रुपए की दर में बहुत वृद्धि हुई है। १९५२ में यह दर १३०-१३२ नेपाली रुपये = १०० भारतीय रुपये थी । जनवरी १९५३ में यह दर बढ़ कर १५७ नेपाली रुपये = १०० भारतीय रुपये हो गई । मार्च, १९५३ के प्रारम्भ में यह दर १४८ नेपाली रुपये = १०० भारतीय रुपये थी ।

(ख) कहा जाता है कि विनिमय दर की वृद्धि का कारण यह है कि भारतीय व्यापारियों

द्वारा भारत में खरीदे गए कपड़े तथा अन्य माल के मूल्य के भुगतान तथा अन्य भुगतानों, जैसे भारत तथा नेपाल के बीच वायुयान द्वारा आने जाने तथा माल ले जाने के भाड़े के भुगतान के लिये भारतीय रुपये की मांग बढ़ गई है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं यह जान सकता हूं कि नेपाल तथा भारत की विनिमय दर पर कैसे नियंत्रण रखा जाता है ? क्या रिज़र्व बैंक नियंत्रण रखता है या ग़ैरसरकारी लोग ?

श्री बी० आर० भगत : भारत तथा नेपाल के बीच विनिमय नियंत्रण नहीं है । कोई निश्चित विनिमय दर भी नहीं है । इसलिए रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रण रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि नेपाल के अधिकतर भाग में भारतीय मुद्रा चालू है ? यदि हां, तो क्या सरकार को कुछ पता है कि नेपालियों के पास कितनी भारतीय मुद्रा है ?

श्री बी० आर० भगत : यह ठीक है । ठीक ठीक सूचना तो कोई नहीं, मोटा सा अनुमान यह है कि नेपाल में चालू भारतीय मुद्रा नेपाली मुद्रा से चार या पांच गुना है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसी कोई प्रस्थापना है कि नेपाल के साथ अन्तर्राष्ट्रीय शर्तों तथा रूढ़ि के अनुसार कोई मुद्रा सम्बन्धी व्यवस्थित प्रबन्ध किया जाय जिस से कि विनिमय दर में स्थिरता आ जाय ?

श्री बी० आर० भगत : इस पर विचार करना तो मुख्यतः नेपाल सरकार का काम है। मैं सदन को यह बता दूं कि इस समय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी नेपाल की मुद्रा सम्बन्धी समस्या का अध्ययन कर रहा है । उसे नेपाल सरकार को इन मामलों म मंत्रणा देने के लिये वहां भेजा गया है। यह अधिकारी नेपाल सरकार की प्रार्थना पर नेपाल भेजा गया था ।

बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम का प्रवर्त्तन

*१६९१. **श्री ए० एम० टामस**: (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को भाग 'ख' राज्यों विशेष कर ट्रावनकोर-कोचीन से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि बैंक-संस्थाओं को बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम के प्रवर्तन और रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया के निर्देशों के कारण विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ट्रावनकोर-कोचीन के बैंकों की विशेष तथा अत्यावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए रूपभेद करने की आवश्यकता है; यदि हां तो वे कौन से रूपभेद हैं ?

(ग) क्या यह बात भारत सरकार के ध्यान में आई है कि इस अधिनियम में सारे भारत के प्रत्यय सम्बन्धी ढांचे का तो ध्यान रखा गया है परन्तु इस से छोटे छोटे व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा छोटे और सुचारू रूप से चलाए जाने वाले बैंकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम १९४९ के कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में ट्रावनकोर-कोचीन बैंकर्स असोसिएशन तथा केरल बैंकर्स असोसियेशन के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । किसी अन्य भाग 'ख' राज्य के किसी बैंक से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) तथा (ग). सरकार के पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि इस अधिनियम का छोटे छोटे व्यापारियों तथा उद्योगपतियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस अधिनियम के सिद्धान्ततः बैंक सम्बन्धी अच्छी स

जाने वाली परम्पराओं को संहित किया गया है । इसलिये सरकार के विचार में कोई रूपभेद करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भारत के बाकी भागों की तुलना में, ट्रावनकोर-कोचीन के बैंकों—अनुसूचित तथा दूसरे—में अधिकतर रुपया ऐसा जमा कराया गया है जो निश्चित कालावधि के बाद ही निकाला जा सकता है और क्या २० प्रतिशत धन सुरक्षित रखने पर ज़ोर दिए जाने से उन्हें कठिनाई नहीं होगी ?

श्री ए० सी० गुहा : ट्रावनकोर-कोचीन के बैंकों के लिये भी कुछ नियम ढीले कर दिये गए हैं और मेरा विचार है—सम्भव है कि यह ठीक न हो—उन्हें यह छूट भी दी गई है । यह स्थिति केवल ट्रावनकोर-कोचीन में ही नहीं । देश के दूसरे भागों में भी ऐसे छोटे छोटे बैंक हैं जहां ऐसी ही स्थिति है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या म यह पूछ सकता हूं कि क्या ट्रावनकोर-कोचीन के लगभग सभी बैंकों ने धारा ११ और धारा २४ के अधीन छूट दिये जाने की प्रार्थना की है ?

श्री ए० सी० गुहा : सरकार के लिये राज्यों के आधार पर नियम ढीले करना सम्भव नहीं है। जो भी हो, रिज़र्व बैंक इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और प्रस्तुत अधिनियम के अधीन जो भी सम्भव होगा किया जायगा। मेरा विचार है कि पहले ही उन्हें कुछ ढील दे दी गई है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि बोर्ड आफ़ ट्रेड (बृटेन का व्यापार विभाग) के एक भूतपूर्व अवर सचिव श्री ई० एच० मार्कर ने जो केन्द्रीय सरकार के निमन्त्रण पर बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम के सम्बन्ध में मंत्रणा देने आए थे, यह सुझाव दिया है कि इस अधिनियम में आमूल परिवर्तन होना चाहिये और यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में इस का, इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं इसके लिये पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : ट्रावनकोर-कोचीन के बैंकों के निश्चित कालावधि के दायित्व तथा अनिश्चित कालावधि के दायित्व दूसरे भाग ख राज्यों की तुलना में कितने हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : ट्रावनकोर-कोचीन की अपनी अलग ही स्थिति है। इस में ग्रामों में रहने वालों या खेती करने वालों की संख्या अधिक है। मैं ने पहले ही कहा है कि अन्य राज्यों में भी ऐसी ही हालत है। यह विशेष बात दो सदस्यों ने कही थी और मेरा विचार है कि उस मामले में कुछ ढील दे दी गई थी ।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ट्रावनकोर-कोचीन के बैंकों के अनिश्चित कालावधि के दायित्व, निश्चित कालावधि के दायित्वों की अपेक्षा अधिक हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क वितर्क हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को मालूम है कि इस कानून के लागू होने से, किसानों और छोटे व्यापारियों को, सुचारु रूप से चलाये जाने वाले छोटे छोटे बैंकों से मिलने वाली एक मात्र सहायता नहीं मिलेगी और वे साहूकारों की दया पर निर्भर होंगे, जो उनका खून चूस लगे ।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विचार है कि रिज़र्व बैंक की यह राय नहीं होगी ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में ट्रावनकोर-कोचीन सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री ए० सी० गुहा : जैसा कि मैं ने कहा हमें ट्रावनकोर-कोचीन तथा केरल के बैंकों के संघों के अभ्यावेदन मिले हैं । ट्रावनकोर-कोचीन सरकार के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या ट्रावनकोर-कोचीन के सभी बैंक इन दो संघों में आ जाते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं माननीय सदस्य की यह बात मान सकता हूं ।

श्री ए० एम० टामस : बंगाल जैसे राज्यों के अन्य बैंकों के बारे में, जिनकी स्थिति भिन्न है और माननीय मंत्री ने पहले कई बा जिन का पक्ष लिया है परन्तु जहां तक ट्रावनकोर-कोचीन का सम्बन्ध है, क्या उन्हें मालूम है कि पिछले कई वर्षों में वहां एक भी बैंक बन्द नहीं हुआ है ?

श्री ए० सी० गुहा : पुराने रिकार्ड से मैं यह कह सकता हूं कि ट्रावनकोर-कोचीन में ९७ बैंक फ़ेल हुए हैं । माननीय सदस्य को यह सारी सूचना बैंक जांच समिति की रिपोर्ट से मिल सकती है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को कम से कम इतना तो मालूम है कि प्रस्तुत परिस्थिति में इस बात का अभाव हो जायगा कि वर्तमान .....

उपाध्यक्ष महोदय : यह राय देने का क्या लाभ है कि इस से अभाव हो जायगा, आदि आदि ।

श्री वी० पी० नायर : यह राय देने की बात नहीं है । क्या सरकार को मालूम है कि इस से किसानों को प्रत्यय की वर्तमान अपर्याप्त सुविधाओं का बिल्कुल ही अभाव हो जायगा ?

श्री ए० सी० गुहा : यह तो अपनी अपनी राय की बात है । जो भी हो, मैं इतना और कह सकता हूं कि सरकार की चाहे जो भी राय हो, उन्होंने अवश्य कार्यवाही की होती ।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ट्रावनकोर-कोचीन के विभिन्न बैंकों ने कितने व्यक्तियों को उधार दिया है और क्या अन्य बैंकों की तुलना में . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं ।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : यह तर्क वितर्क नहीं है । मैं तो केवल इस संख्या की तुलना में दूसरी संख्या जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

मणिपुर के सरदारों की स्थिति

*१६९४. **श्री रिशांग किशिंग : क्या राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनिपुर की सरकार मनिपुर की पहाड़ियों की जनजातियों के विचार मालूम कर रही है जिस से कि सरदारों की भावी स्थिति का समायोजन करने का ढंग मालूम किया जा सके ;

(ख) क्या सरकार को मनिपुर की पहाड़ी जनजातियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में उन्होंने स्पष्टतया यह विचार प्रकट किया है कि वे इन सरदारों को गांवों का मुखिया बनाए रखने तथा सरदारों को भारी कर दिए जाना जारी रखने के विरुद्ध हैं ;

(ग) क्या उन्होंने गांव पंचायतों, जोकि लोकतंत्रात्मक हैं, के पक्ष में भी अपना विचार प्रकट किया ; और

(घ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) मनिपुर के कमिश्नर पहाड़ियों की मुख्य जातियों, कूकी तथा नागाओं के साथ बातचीत कर रहा है जिस से यह मालूम हो सके कि अब कोई परिवर्तन होना चाहिये और यदि हां तो किस हद तक ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच नहीं है कि मनीपुर की जनजातियों के लोगों ने समय समय पर भारत सरकार को अभ्यावेदन भेजने के अतिरिक्त अपनी संस्थाओं द्वारा माननीय प्रधान मंत्री तथा गृहकार्य मंत्री के मनीपुर के दौरे के दिनों में उन से लिखित तथा स्वयं मिल कर प्रार्थना की है कि सरदारों का पद फ़ौरन समाप्त कर दिया जाय और राष्ट्रपति द्वारा, उद्घोषणा द्वारा या विधान बना कर सामन्ती आरोपण बन्द कर दिए जायें और पूर्णतया लोकतंत्रात्मक गांव पंचायतें स्थापित की जायं और यदि हां तो क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि प्रधानमंत्री तथा गृहकार्य मंत्री ने इस मांग की ओर कैसे ध्यान दिया है ?

डा० काटजू : कुछ अभ्यावेदन मिले हैं और उन सब पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार को मालूम है कि कई व्यक्तियों को, सामन्ती आरोपण न देने पर कैद कर दिया गया और उन पर भारी जुर्माने किये गये ? क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि मनीपुर की सरकार सरदारों की ओर से पुलिस द्वारा सामन्ती आरोपण इकट्ठा कर रही है और इस पर जनजातियों के नेताओं से माननीय प्रधान मंत्री तथा गृह-मंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न में कितने प्रश्न हैं ? शान्ति, महोदय, शान्ति । इन सब प्रश्नों को याद रखना असंभव है । दो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और यही पर्याप्त हैं । माननीय मंत्री !

डा० काटजू : मुझे सारी स्थिति का पूरा पता है । यह इतनी खराब नहीं है जितनी कि मेरे माननीय मित्र बता रहे हैं । ये क्षेत्र बड़े प्राचीन क्षेत्र हैं । उन के रीति रिवाज और दृष्टिकोण भी प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और उन्हें शीघ्र परिवर्तन की आदत नहीं है । जनजातियों के सरदार बड़े ज़िम्मेदारी के काम करते हैं जिन में शासन तथा पुलिस के काम भी शामिल हैं । आम तौर पर वहां रिवाज से ही कुछ आरोपण चले आ रहे हैं । यदि उन का दुरुपयोग न किया जाय तो ये कुछ अधिक भी नहीं हैं । हम यह जानने के लिये बड़ी मुस्तैदी से कार्यवाही कर रहे हैं कि सारी जन-जातियों की क्या राय है और क्या परिवर्तन किए जाने चाहियें । यदि परिवर्तन किये गए, तो सम्भव है कि प्रत्येक गांव में आवश्यक काम करने के लिए बड़ी व्यापक प्रशासनीय व्यवस्था करनी पड़े । जहां तक विशेष मामलों के सम्बन्ध में लगाए गए आरोपों का संबंध है, मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है । जितने भी पहलुओं के सम्बन्ध में प्रश्न उठाए गए हैं, मैं ने उन का पूरा पूरा उत्तर देने की चेष्टा की है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर के चीफ़्स को कितना रुपया सालाना दिया जाता है ?

डा० काटजू : मनीपुर के चीफ़्स को कुछ भी नहीं दिया जाता है । सरकार की तरफ से धेला भी नहीं दिया जाता है । वहां का तरीका यह है कि जब फ़स्ल खत्म हो जाती है तो वहां के रहने वाले, गांवों के बाशिन्दे, उनको एक कनस्तर में धान भर कर देते हैं और अगर वहां कोई जानवर

हलाक होता है तो उसका एक हिस्सा दिया जाता है। वहां का यह पुराना दस्तूर परम्परा से चला आ रहा है।

श्री सारंगधर दास : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि आसाम विधान सभा में एक विधेयक रखा गया है, जिस का उद्देश्य यह है कि गांवों में पंचायत व्यवस्था प्रारम्भ की जाय और क्या आसाम में इन सरदारों की वही स्थिति है, जोकि मनीपुर में है ?

डा० काटजू : दो प्रश्न है; एक तो यह कि स्थिति वही है और दूसरा यह कि कोई विधेयक रखा गया है। जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। स्थिति वही है या नहीं, यह तो अपनी अपनी राय की बात है।

आसाम में ज़िला परिषदें

*१६९५. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के स्वायत्त ज़िलों में ज़िला परिषदें काम करती रही हैं; और

(ख) क्या उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के ज़िलों को आसाम के स्वायत्त जिलों की श्रेणी में लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां नागा पहाड़ियों के अतिरिक्त सभी जगह।

(ख) उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के क्षेत्र, स्वायत्त ज़िलों की तुलना में अविकसित हैं और इस लिए उन में प्रशासन का वही स्तर नहीं किया जा सकता जोकि इन ज़िलों में है। परन्तु इस एजेन्सी के भीतरी जनजाति क्षेत्रों में नियमित प्रशासन व्यवस्था करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा र हैं। उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के लिए एक पंचवर्षीय विकास योजना बनाई गई है और उसे कार्यक्रम के अनुसार लागू किया जा रहा है। इस में कृषि, जंगल, शिक्षा, डाक्टरी सेवाएं तथा सड़कों के विकास की विभिन्न योजनाएं हैं।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि आसाम के स्वायत्त ज़िलों के लोगों ने इस बात को बहुत महसूस किया है कि ज़िला परिषदें उन के न्यूनतम हितों की रक्षा भी नहीं कर सकी हैं, और यदि हां, तो इस पर क्या विचार किया गया है ?

श्री दातार : उन्होंने यह महसूस नहीं किया। बल्कि इस के विपरीत, ज़िला परिषदें बहुत अच्छा काम कर रही हैं।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि वर्तमान व्यवस्था के अधीन उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के ज़िलों में ज़िला परिषदों की स्थापना क्यों नहीं की जा सकती ?

श्री दातार : उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी प्रत्यक्षतः गवर्नर के नियंत्रण में है। जहां तक इन ज़िलों का सम्बन्ध है, ये स्वायत्त हैं। इसलिये यह अच्छा है कि ये स्वायत्त ज़िले ही रहें।

श्री एन० एस० लिंगम : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ये परिषदें विधि द्वारा बनाई गई थीं और इन के अधिकार क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान संविधान की अनुसूची ६ की ओर दिलाता हूं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या म यह पूछ सकता हूं कि ऐसी कोई शिकायत मिली है कि यें परिषदें लोगों से न्याय नहीं कर रही हैं ?

श्री दातार : जहां तक हमें मालूम है, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री रिशांग किशिंग : श्रीमान, एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आरोप लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इस (प्रश्नोत्तर)

काल का प्रयोग सूचना प्राप्त करने के लिये नहीं किया जाता है। या तो सुझाव दिए जाते हैं, वाद-विवाद शुरू हो जाता है या परिणाम निकाले जाते हैं और अपनी राय प्रकट की जाती है। समय का २५ प्रतिशत सूचना प्राप्त करने में लगता है और बाकी समय में मंत्रियों को सूचना दी जाती है ।

श्री रिशांग किशिंग : मेरा केवल एक प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यही कहे जा रहे हैं कि परिषदें बुरी हैं । दूसरी ओर से यह कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी हैं । मैं क्या करूं ?

श्री रिशांग किशिंग : मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह विचार है । अच्छा, आप प्रश्न पूछ लें ।

श्री रिशांग किशिंग : दिये गये उत्तर के आधार पर क्या मैं यह समझ लूं कि ज़िला परिषदें उत्तर पूर्वी सीमा एजन्सी में पहले से ही हैं ?

श्री दातार : जहां तक उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी का सम्बन्ध है, ज़िला परिषदों का प्रश्न ही नहीं है । अन्य ६ में से ५ ज़िलों में ये परिषदें हैं ।

तम्बाकू उगाने वालों द्वारा हिसाब किताब रखा जाना

*१६९७. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या तम्बाकू उगाने वालों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है कि उन्हें हिसाब किताब रखने में बड़ी कठिनाई होती है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). हिसाब किताब रखने के सम्बन्ध में मुख्यत: दो बातों के आधार पर अभ्यावेदन किये गये हैं; (१) एक यह कि तम्बाकू उगाने वालों में से अधिकतर अनपढ़ हैं और इसलिए वे हिसाब किताब रखने के अयोग्य हैं, और (२) दूसरा यह कि क्योंकि बहुत कम लोग अंग्रेज़ी समझते हैं, प्रादेशिक भाषाओं में हिसाब किताब रखने की अनुमति दी जाय ।

२. जहां तक (१) का सम्बन्ध है, केवल उन लोगों को हिसाब किताब रखने के लिये कहा जाता है जो १० एकड़ या अधिक भूमि पर तम्बाकू उगाते हैं और जिन की संख्या तम्बाकू उगाने वालों की कुल संख्या का चार प्रतिशत है । उन्हें उस क्षेत्र जहां तम्बाकू उगाया जाता है, उस के उत्पादन तथा उसे बचने के ढंग के सम्बन्ध में सीधा सादा हिसाब किताब रखना पड़ता है । अन्य लोगों को केन्द्रीय आबकारी अधिकारियों के सामने स्वयं बताना पड़ता है और उन्हें तम्बाकू वाली भूमि तथा तम्बाकू के उत्पादन के संबंध में कोई हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता । जो तम्बाकू उगाने वाले, स्वयं अपने तम्बाकू को साफ़ कर के सुखाते हैं और जिन्हें, यदि वे १०० मन तम्बाकू सुखाएं, हिसाब किताब रखना पड़ता है, उन की सुविधा के लिये बड़ा सीधा सादा हिसाब किताब का ढंग बनाया गया है ।

३. (२) के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि ये सब फार्म दो भाषाओं—अंग्रेज़ी तथा प्रादेशिक भाषाओं—में छापे जाते हैं और व्यापारियों को यह अनुमति है कि वे प्रादेशिक भाषा में ये फ़ार्म भर सकते हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह सच नहीं है कि इन लोगों को दस तरह का हिसाब रखना पड़ता है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं ने कहा है कि एक छपा हुआ फ़ार्म होता है जो उन्हें दे दिया जाता है और उन्हें उस में हिसाब रखना पड़ता है ।

श्री नानादास : श्रीमान, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार ने इन लोगों को हिसाब किताब रखने का तरीका बताने के लिये कोई कर्मचारी नियुक्त किये हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : आबकारी अधिकारी निश्चय ही उन्हें सहायता देंगे ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि तम्बाकू उगाने वालों को कितने फ़ार्म दिये जाते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : जहां तक मैं बता सकता हूं उन्हें एक ही तरह के फ़ार्म दिये जाते हैं । सम्भव है कि यह ठीक न हो । मुझे पक्का पता नहीं है ।

पण्डित डी० एन० तिवारी : श्रीमान, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि छोटे पैमाने पर तम्बाकू उगाने वालों का, जोकि हिसाब नहीं रखते, कर निर्धारण कैसे किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : वे ज़बानी बता देते हैं कि इन एकड़ भूमि पर तम्बाकू की खेती की गई है ।

पण्डित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि मौखिक हिसाब किताब स्वीकार नहीं किया जाता और बहुत भारी कर निर्धारण किया जाता है ।

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास कोई सूचना नहीं । माननीय सदस्य के पास कोई सूचना हो, तो वे उसे भेज सकते हैं ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इंस्पैक्टर्स जांच करने के लिये जाते हैं वे ग्रोअर्स को तकमीने के सम्बन्ध में काफ़ी परेशान करते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : इस स्थिति के सम्बन्ध में मुझे पक्का पता नहीं है । मैं केवल यह कह सकता हूं कि यदि ऐसे किसी मामले की सूचना सरकार को दी जाय तो वह उस पर ध्यान देगी और मामला सुलझाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

श्री सारंगधर दास : क्या मंत्री महोदय को पता है कि उड़ीसा के कुछ भाग में पौद की संख्या गिन ली जाती है और इस आधार पर कर निर्धारण कर लिया जाता है कि इस से इतना तम्बाकू उत्पन्न होगा ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विचार है कि कर निर्धारण, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, जोती गई भूमि के आधार पर की जाती है । अनुमान लगाने का कोई तो आधार होगा ही; सम्भव है कि पौद या पौधों के आधार पर ऐसा किया जाता हो ।

त्रिपुरा सचिवालय में नवीन वेतन क्रम

*१७००. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार के सचिवालय में नवीन वेतन क्रम जारी किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि नवीन वेतन क्रम के अन्तर्गत तहसील तथा प्रेस विभाग के कर्मचारियों तथा समस्त श्रेणी ४ के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन-वद्धि पुराने वेतन-क्रम में दी जाने वाली वार्षिक वृद्धि की अपेक्षा कम होगी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ कर्मचारियों के विषय में ऐसा है, किन्तु, चपरासियों को छोड़कर, नवीन वेतनक्रम की सीमा अधिक है । स्थायी चपरासियों को पुराने वेतन-क्रम में रहे आने की अनुमति है ।

श्री बीरेन दत्त : क्या मैं जान सकता हूं कि तहसीलदार का औहदा समाप्त करके पटवारी की जगह शुरू की गई है, जिससे

कि वे नवीन वेतन-क्रम स्वीकार कर लें और क्या नवीन वेतन-क्रम स्वीकार करने के लिये उन्हें कोई विकल्प दिया गया था या नहीं ?

डा० काटजू : माननीय सदस्य ने इतनी जल्दी बातें कहीं कि मैं उन्हे समझ नहीं पाया।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या तहसीलदारों के स्थान समाप्त कर दिये गये हैं, और पटवारियों के भी ।

श्री बीरेन दत्त : और पटवारियों के स्थानों को कम वेतन-क्रम से प्रारम्भ किया गया है ?

डा० काटजू : पूर्णतया सही सूचना देने के लिये मैं नोटिस चाहूंगा ।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सम्मुख अपीलें

*१७०१. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पहली अप्रैल, १९५२ को केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सम्मुख कुल कितनी बहिशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी अपीलें विचाराधीन थीं ;

(ख) पहली अप्रैल, १९५२ और ३१ मार्च, १९५३ के मध्य कितनी अपीलें पेश की गईं;

(ग) इसी काल में कुल कितनी अपीलें व्यवहृत की गईं; और

(घ) क्या इन अपीलों पर बोर्ड के किन्हीं निर्णयों पर स्वयं बोर्ड द्वारा अथवा मंत्री जी द्वारा पुनरीक्षण किया गया था और यदि हां तो इसका परिणाम ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग). बहिशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी जो अपीलें केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सम्मुख की गई उनके सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है

१ अप्रैल, १९५२ को विचाराधीन अपीलों की संख्या १३७७

१ अप्रैल, १९५२ और ३१ मार्च, १९५३ के मध्य पेश की गई अपीलें..१०२१

१९५२-५३ के दौरान में निर्णीत अपीलों की संख्या १३२९

(घ) बोर्ड स्वयं अपने ही निर्णयों का पुनरीक्षण नहीं करता । विधि के अन्तर्गत, इन निर्णयों का पुनरीक्षण केन्द्रीय सरकार को इसके लिये अर्जी भेजने पर ही हो सकता है । सन् १९५२-५३ में बोर्ड द्वारा अपीलों पर दिये गये निर्णयों को पुनरीक्षित करने की ९१ अर्जियों को अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णीत किया जा चुका है; इनमें से ५३ में बोर्ड के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, २३ में कुछ राहत दी गई और १५ में पूरी राहत दी गई । एक अर्जी के सिलसिले में मंत्री जी के आदेशानुसार निर्णय दिया गया ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इनमें से कुछ अपीलें स्वयं बोर्ड द्वारा दिये गये कार्यपाली आदेशों से ही उत्पन्न होती हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : पुनर्विचार के लिये की गई याचनाओं के सम्बन्ध में ऐसा होता है। बोर्ड के निर्णय के पश्चात उस पर पुनर्विचार के लिये याचनाएं की जा सकती हैं ।

क्वार्टर खरीदने के लिए विस्थापितों को पेशगी

*१७०३. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए दिल्ली में रह रहे विस्थापितों द्वारा सन् १९५० के बीच में पूर्व पटेल नगर में क्वार्टर खरीदने के लिये जो पेशगी दी थी उसका हिसाब ढाई साल में तय करने में सरकार क्यों असमर्थ रही और इसका अंतिम फैसला कब करेगी; और

(ख) केवल दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा दी गई पेशगियों के व्याज से सरकार ने कितना रुपया कमाया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पूर्व पटेल नगर के क्वार्टरों का हिसाब करने में इसलिये विलम्ब हो गया कि ठेकेदारों ने बहुत से दावे पेश कर दिये थे । सरकार को विलम्ब के लिये खेद है । आशा की जाती है कि आगामी कुछ मासों में अंतिम रूप से क्वार्टरों के मूल्य का फैसला कर दिया जायगा ।

(ख) कुछ नहीं ।

श्री गिडवानी : प्रत्येक व्यक्ति ने जिसको कि मकान दिया गया था कितना रुपया जमा किया था और मकान का वास्तविक मूल्य क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : भिन्न-भिन्न प्रकार के क्वार्टरों का मूल्य भिन्न-भिन्न है । वास्तविक मूल्य का अभी हिसाब नहीं लगाया है । इसलिये दोनों का अंतर मैं नहीं बता सकता । मैं समझता हूं कि कुछ सौ रुपयों का अन्तर होगा ।

राज्यों में अ-पंजीकृत स्थापितों की संख्या

*१७०४. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य में अ-पंजीकृत विस्थापितों की संख्या;

(ख) क्या इस प्रकार के विस्थापितों को कोई पुनर्वास लाभ दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका कारण ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३९**]

(ख) और (ग) कुछ राज्यों में पुनर्वास के हेतु पंजीकृत और अ-पंजीकृत विस्थापितों में कोई अन्तर नहीं किया जाता । किन्तु कुछ राज्यों में यह अंतर किया जाता है और अ-पंजीकृत विस्थापितों को विशेष मामलों में पुनर्वास लाभ देते हैं ।

श्री गिडवानी : यह दृष्टि में रखते हुए कि अ-पंजीकृत विस्थापित भी पीड़ित व्यक्ति हैं, क्या उन्हें भी राहत देने पर विचार किया जायगा ?

श्री ए० पी० जैन : यह किंचित कठिन प्रश्न है । भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की छूट है । अनेक विस्थापित व्यक्ति एक स्थान पसन्द कर लेने पर दूसरे स्थान को जा सकते हैं और मेरे लिये कोई योजना बनाना असम्भव है क्योंकि पुनर्वास लाभ एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है ।

श्री गिडवानी : मेरा केवल ऐसे ही मामलों की ओर निर्देश है, जिनमें अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है ।

श्री ए० पी० जैन : मैं पहले ही बतला चुका हूं कि विशिष्ट मामलों में राज्य सरकारें पुनर्वास लाभ दे रही हैं, किन्तु मैं इसे एक सामान्य नियम नहीं बना सकता ।

भूतपूर्व-सैनिकों की बस्ती अफ़ज़ल गढ़

*१७०५. **डा० रामसुभग सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में क्या सरकार का कोई भूतपूर्व सैनिक बस्ती बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब बनाई जायगी और इसकी क्या लागत होगी; और

(ग) इस बस्ती में कितने भूतपूर्व सैनिकों को बसाने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) बस्ती का 'राज्य-प्रबन्धित' फार्म के रूप में विकास किया जा रहा है और इस वर्ष मई/जून में ३०० भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जायगा । योजना का प्राक्कलित मूल्य रु० ४७,००,००० है ।

(ग) १००० भूतपूर्व सैनिक ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह बस्ती केन्द्रीय सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बसाई जा रही है अथवा यह केवल राज्य सरकार की चीज़ है ?

श्री मजीठिया : यह एक आयोजित कार्यक्रम है और भूतपूर्व सैनिकों के लिये विभिन्न राज्यों में हमारे पास भिन्न-भिन्न योजनाएं हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी बस्तियां और बसाई जायेंगी और उनमें कितने भूतपूर्व सैनिक बसाये जायेंगे ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास इस समय तो आंकड़े मौजूद नहीं हैं। जैसा मैंने कहा, ये योजनाएं उन सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं जहां से सैनिक आते हैं । यदि माननीय सदस्य उन सब के सम्बन्ध में प्रश्न पूछें तो अवश्य ही मैं उसका उत्तर दूंगा ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि भूतपूर्व सैनिकों के एक हजार परिवारों को इस जगह में बसाया जायेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न प्रदेशों से कितने कितने परिवार वहां बसाये जायेंगे ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैं ने कहा, यह बतलाना बहुत कठिन है । यह प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश के बारे में था ।

जापान द्वारा लोहे के टुकड़ों तथा कच्ची धातु का क्रय

*१७०७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह विदित है कि जापान अपनी चतुर्वर्षीय नौ-सेना सम्बन्धी योजना को पूरा करने के लिये भारतीय लोहे के टुकड़े और लोहे की कच्ची धातु खरीद रहा है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : यह सही है कि जापान भारत से लोहे के टुकड़े तथा कच्चा लोहा आयात कर रहा है । किन्तु यह नहीं मालूम कि यह किस कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जापान ने चतुर्वर्षीय योजना अपनी नेवी को बढ़ाने के लिये बनाई है ?

श्री त्यागी : नौसेना प्रधान कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार यह विदित हुआ है कि जापान धीरे-धीरे अपनी नौ-सेना में वृद्धि कर रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि अमरीकी सरकार अभी हाल में जापानी सरकार को ६० जहाज़ वापस करने को सहमत हो गई है। इनमें से आधे दे दिय गये हैं जबकि शेष दिये जा रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जापान ने चार वर्ष के अन्दर ग्यारह लाख टन की नेवी अपने यहां तैयार करने की योजना तैयार की है ?

श्री त्यागी : हो सकता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि यह सच है कि भारत सरकार के आमंत्रण पर आगामी मास जापानियों का एक दल भारत आ रहा है और वह दीर्घ-कालीन आधार पर कच्चे लोहे के निर्यात सम्बन्धी प्रश्न पर बात करेगा ?

श्री त्यागी : यह मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है । मुझे इस विषय में नहीं मालूम ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरा प्रश्न रक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये कच्चे लोहे के निर्यात से है और इसलिये रक्षा मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये ।

श्री त्यागी : प्रश्न केवल नौ सेना से सम्बन्धित है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि भारत और जापानी सरकारों के मध्य हुई बातचीत के परिणामस्वरूप भारत सरकार जापानी सरकार को बड़ी मात्रा में कच्चा लोहा देने को सहमत हो गई है, और यदि हां, तो कितना ?

श्री त्यागी : इस समय कच्चे लोहे के निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं है । जहां तक लोहे के टुकड़ों का प्रश्न है, इस वर्ष के शेष भाग में निर्यात की जाने वाली मात्रा की सीमा एक लाख टन बांध दी गई है ।

श्री जसानी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी मात्रा में लोहे के टुकड़े रक्षा विभाग से दिये गये और जापान भेजे गये ?

श्री त्यागी : मेरे पास इस समय यह सूचना मौजूद नहीं है, किन्तु यदि मेरे माननीय सदस्य यह जानने को इच्छुक हों तो वह एक भिन्न प्रश्न रख सकते हैं ।

श्री जोशिम अल्वा : क्या हमारी खुद की कोई नौ सेना योजना है अथवा कोई अन्य योजना है जिससे कि हम अपने कच्चे लोहे को खुद रख सकें बजाए इसके कि दूसरे देशों को निर्यात कर दें ?

श्री त्यागी : वास्तव में भारत में कच्चा लोहा हमारे उपयोग से कहीं अधिक पैदा होता है और इसीलिये भारत सरकार ने इसे निर्यात करने का फैसला किया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि आयरन स्क्रेप अमरीका से खरीदने के कारण ही गत महायुद्ध में जापान ने भाग लिया था ?

श्री त्यागी : यह बात मालूम नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि आयरन स्क्रेप और आयरन ओर की कीमत गवर्नमेंट आफ इंडिया फिक्स करती है, या उसकी फ्री मार्केट से जापान वाले खरीद करते हैं ?

श्री त्यागी : उसकी कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कीमत जहां से मिल सकती है वहां पर आयरन ओर और आयरन स्क्रेप भेजा जाता है ।

श्री जसानी : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे देश से कच्चे लोहे के निर्यात की यह सरकारी नीति है ?

श्री त्यागी : मैंने बतलाया कि इस वर्ष सरकार ने बाहर किसी भी देश को एक लाख टन लोहे के टुकड़े भेजने की अनुमति दी है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि गत मास भारत में जापानी राजदूत और भारत सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत भारत सरकार जापान को ३० लाख टन कच्चा लोहा निर्यात करने को सहमत हो गई है ?

श्री त्यागी : मुझे इस सम्बन्ध में आगे और कुछ जानकारी नहीं है ।

सोने का पता लगाने वाली मशीन

*१७०८. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस किस सीमा-शुल्क चौकी पर सोने का पता लगाने वाली उस मशीन को प्रयोग में लाया जा रहा है जिसका कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने आविष्कार किया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : विद्युदणु यंत्र के दो बैटरी मॉडल जिन्हें कि 'स्वर्ण निरूपण यंत्र' के नाम से पुकारा जाता है तथा जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा तैयार किये गए हैं, अन्वीक्षा के रूप में कलकत्ते के दमदम हवाई अड्डे पर तथा दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर प्रयोग में लाये जा रहे हैं, यह यंत्र अभी प्रयोग-अवस्था पर हैं। इन्हें मरम्मत के लिये वापिस प्रयोगशाला में भेज दिया गया है।

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इन मशीनों ने १९५२-५३ के वर्ष में कितने सोने का पता लगाया ?

श्री ए० सी० गुहा : जैसे कि मैं निवेदन कर चुका हूं इन मशीनों को प्रयोग के रूप में काम में लाया गया है तथा इस समय तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वह कोई ज्यादा प्रभावित करने वाले नहीं, परन्तु इनकी निन्दा करना समय से पूर्व की बात होगी, क्योंकि प्रयोगशाला इन मशीनों पर अभी भी काम कर रही है।

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितनी ऐसी मशीनें तैयार की गई हैं तथा प्रत्येक मशीन की लागत क्या है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह अभी इस अवस्था पर नहीं पहुंची है कि इन्हें कारखानों में बनाना शुरू किया जाये। यह अभी प्रयोग अवस्था पर ही हैं, यदि यह मशीनें अपने काम में सफल रहेंगी तो फिर इनके निर्माण का प्रश्न उत्पन्न होगा।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या इन मशीनों को आन्ध्र के चित्तूर ज़िले में भी भेजा गया है जिससे कि वहां हाल ही में पाई गई सोने की खानों का निरूपण हो ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इन मशीनों की उक्त दो हवाई अड्डों पर अन्वीक्षा की जा रही है।

पाकिस्तान से काश्मीरियों का पलायन

*१७०९. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान २८ मार्च १९५३ के 'टाइम्ज़ आफ इंडिया' के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बहुत से काश्मीरी मुसलमान पार-पत्रों के बिना ही पाकिस्तान से भारत भाग आ रहे हैं तथा काश्मीर सरकार का अमृतसर स्थित व्यापार अधिकारी उनके सद्भावों की जांच के लिये उनसे पूछ गछ कर रहा है ?

(ख) यदि दिलाया गया है, तो काश्मीर सरकार के अमृतसर स्थित व्यापार अधिकारी ने कितने काश्मीरी मुसलमानों की पूछ गछ की ?

(ग) उन में से कितनों को भारत में रहने की अनुमति दी गई तथा कितनों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग). मैंने उस समाचार को देखा है। मुझे मालूम हुआ है कि वर्ष १९५३ के आरम्भ से ५९ ऐसे काश्मीरी बिना पार-पत्रों के भारत में प्रविष्ट हुए हैं। काश्मीर राज्य के व्यापार अधिकारी ने उनसे भेंट की तथा उनमें ५६ व्यक्तियों को जो कि राज्य की दृष्टि से अवांछनीय नहीं समझे गए, राज्य में वापस जाने की अनुमति दी गई है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि काश्मीर सरकार की राय में पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में यह प्रव्रजन उस आयोजित कार्यवाही का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोकमत पर अनुचित प्रभाव डालना है ?

डा० काटजू : सदन को याद होगा कि कानून की दृष्टि से, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, जम्मू तथा काश्मीर का अधिकृत क्षेत्र जो कि 'आज़ाद काश्मीर' के नाम से प्रसिद्ध है, जम्मू तथा काश्मीर का भाग है तथा वहां रहने वाले लोग, कानून की दृष्टि से वापस आ सकते हैं। जब वह वापस आते हैं तो हम राज्य की सुरक्षा आदि को दृष्टि में रखते हुए उनकी परीक्षा करते हैं। जब हमें इस बात का सन्तोष होता है कि कोई खतरा नहीं है तो उन्हें वापस राज्य में आने दिया जाता है तथा उनकी संख्या कम होती है।

श्री रघुनाथ सिंह : जो लोग वापस आ रहे हैं, वापिस आने पर यह लोग क्या जम्मू काश्मीर में आबाद किये जायेंगे ?

डा० काटजू : वह लोग अपने घर जम्मू काश्मीर में वापस आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री गिडवानी : क्या वह आज़ाद काश्मीर क्षेत्र के निवासी हैं अथवा .....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैंने दूसरा प्रश्न पूछने के लिये कहा है, माननीय सदस्य चुप्पी साध लेते हैं और जब कुछ समय बीत जाने के बाद कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछने लगता है तो वह सोचना शुरू करते हैं।

श्री गिडवानी उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी तरफ देखा। किन्तु उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। वह चुप रहे।

अब मैं अगले प्रश्न पर जाता हूं।

केन्द्रीय आबकारी विभाग, हैदराबाद में अधिकारियों की पदच्युति

*१७१०. **श्री नानादास :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद राज्य में १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में केन्द्रीय आबकरी विभाग में कुल कितने अधिकारी या तो पदच्युत किये गये या मुअत्तिल किये गए ?

(ख) उन पर क्या मुख्य आरोप लगाए गये ?

(ग) इन्हें पदच्युत अथवा मुअत्तिल करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १९५०-५१ में एक अधिकारी पदच्युत किया गया तथा ८ मुअत्तिल किये गये।

(ख) (१) रिश्वत लेना,

(२) सरकारी धन का दुरुपयोग करना,

(३) यात्रा भत्तों के सम्बन्ध में गलत सूचना देना,

(४) कर्तव्य विमुख होना तथा डायरियों में गलत वृत्तान्त देना।

(ग) पदच्युति के मामले में वही प्रक्रिया अपनाई गई जो कि अधीनस्थ सेवाओं के सदस्यों के अनुशासन तथा अपील अधिकार नियमों के नियम ६ में तथा असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमों के नियम ५५ में दी गई है। इस प्रक्रिया का महत्व यह है कि अधिकारियों को साक्षियों पर जिरह करने का, अपने साक्षी पेश करने का तथा यह प्रमाणित करने का, कि उन्हें क्यों पदच्युत न किया जाये, पूरा अवसर दिया दिया जाता है।

जहां तक मुअत्तिली का सम्बन्ध है, इसके लिये कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये पहली कार्यवाही यह होती है कि उसे मुअत्तिल किया जाता है।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से कितने अधिकारियों ने अपीलें की हैं तथा कितनों को नौकरी पर फिर बहाल किया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : अधिकांश अधिकारियों ने अपील की होगी । कितने नौकरी पर बहाल किये गए हैं, इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि हैदराबाद का कलेक्टर केवल इसलिये अधिकारियों को पदच्युत अथवा मुअत्तिल करता है कि वह कुछ बड़े-बड़े व्यवसाइयों को खुश करना चाहता है ?

श्री ए० सी० गुहा : जी नहीं, हमें कोई सूचना नहीं ।

डा० सुरेश चन्द्र : इन अधिकारियों पर जो गम्भीर आरोप लगाए गए हैं उनको दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि कितने अधिकारियों की दोष सिद्धि हुई है ?

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, इनमें से अधिकांश मामले अदालतों में नहीं लिए गये क्योंकि इन अधिकारियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही करने में कुछ कठिनाइयां हैं । अदालतें उतने साक्ष्य से संतुष्ट नहीं होंगी जितने से कि विभाग होंगे ।

श्री एम० आर० कृष्ण : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से कितने अधिकारी हैदराबाद से हैं तथा कितने बाहर से हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास कोई सूचना नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से कितने अधिकारियों ने न्याय प्राप्त करने के लिये अदालतों की शरण ली है ?

श्री ए० सी० गुहा : मझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री के० के० बसु : इन अधिकारिओं के विरुद्ध कार्यवाही करने में क्या मुख्य कठिनाई यह है कि सरकार का ऐसा 'स्वभाव है' ?

श्री ए० सी० गुहा उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

विश्वेश्रानन्द अनुसंधान संस्था, होशियारपुर

*१७११. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विश्वेशरानन्द अनुसन्धान संस्था, होशियारपुर को कोई वार्षिक अनुदान दिया जाता है ?

(ख) यदि दिया जाता है, तो कितना ?

(ग) क्या इस संस्था की प्रबन्ध समिति ने इस अनुदान को बढ़ाने के लिये प्रार्थना की है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान् । धनोपलब्धि के अनुसार वार्षिक अनुदान दिये गये हैं ।

(ख) ११५१-५२ से १०,००० रुपये प्रति वर्ष दिया गया है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में अन्य ऐसी संस्थाओं को कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मुझे ऐसी अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह संस्था जो अपूर्व काम कर रही है तथा जिसकी कि सारे विश्व में प्रशंसा की जा रही है, उसे दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार इसका अनुदान बढ़ाने का विचार रखती है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : गवर्न-

मैं पूरी हमदर्दी के साथ इस इन्स्टीट्यूशन की दरख्वास्त पर गौर कर रही है। आनरेबल मेम्बर की मालूमात के लिये मैं यह कह दूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया सन् १९४१ से इसे मदद दे रही है, इस वक्त तक ६५५०० रुपया इसे दिया जा चुका है। दस हज़ार रुपया हम सालाना दे रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की माली हालत इजाज़त दे तो हम इस से ज़्यादा दे सकते हैं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का एक दूसरा प्रश्न भी है।

श्री के० जी० देशमुख : श्रीमान्, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

प्रो० डी० सी० शर्मा : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह एक विस्थापित संस्था है तथा इसका बजट लगभग तीन लाख रुपये तक का होता है और दान के रूप में इसे कुछ उपलब्ध नहीं होता है, क्या सरकार इसका अनुदान बढ़ाने की कृपा करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सारे कार्यवाही करने के लिये सुझाव हैं।

जाइंट सर्विसेस विंग

*१७१२. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि ज्वाइंट सर्विसेस विंग में शामिल होने के लिये सुयोग्य उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में आगे नहीं आ रहे हैं और गत दो वर्षों में प्रशिक्षण के लिये आवश्यक संख्या चुनी नहीं जा सकी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : जी हां।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, कारण बताना तो बहुत मुश्किल है। सुयोग्य नौजवानों को हमारे रक्षा दलों में स्वेच्छा से भर्ती होने के लिये प्रोत्साहन देने की भरसक कोशिश की जा रही है। हमने जो प्रचार आन्दोलन शुरू कर दिया है उसके फल उत्साहवर्धक हैं। आंकड़े इस प्रकार हैं : सन् १९५० में भर्ती न किये गये पदों की संख्या २७७ थी, १९५१ में वह १५५ रही और १९५२ में वह ८९ तक गिर गई है। इन आंकड़ों से ज़ाहिर है कि हमें चिन्ता का कोई कारण नहीं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कारण स्पष्ट है, श्रीमान्; प्रचार का अभाव।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सुयोग्य नौजवानों की यह कमी इसी वर्ष क्यों प्रगट हुई ? मैं इसलिये जानना चाहता हूं क्योंकि यह अति गंभीर स्थिति है।

सरदार मजीठिया : मैं बता चुका हूं कि हम ने जो प्रचार जारी कर दिया है उसके फल आशादायक हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले वर्ष तक कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री जोशिम अल्वा : पूना के निकट खड़कवासला में रक्षा शिक्षालय जिस ऑचिनलेक समिति प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया उसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया था कि तथाकथित सैनिक जातियों आदि किसी प्रकार के वंशीय अथवा वर्गीय विभेदों के आधार पर रक्षा शिक्षालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्या उम्मीदवारों का चुनाव करते समय इस सिद्धान्त का पालन किया जाता है ?

सरदार मजीठिया : जी हां।

राज्यों को सहायक अनुदान

*१७१४. **श्री भीखाभाई :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से संविधान के अनुच्छेद २७५ के अनुसार

सन् १९५३-५४ के लिये सहायक अनुदान मांगने वाली प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं ? और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों के नाम तथा प्रत्येक द्वारा प्रार्थित राशियां ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४०]**

श्री भीखाभाई : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान की पिछड़ी हुई हालत देखते हुए, उक्त राज्य द्वारा प्रार्थित राशि मंजूर की जाएगी ?

श्री दातार : राजस्थान राज्य को कुछ राशि दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : राजस्थान के सामने जो राशि दिखाई गई है वह अवश्य ही उसे दी जाएगी ।

श्री भीखाभाई : राशि दिखाई जा चुकी है । परन्तु क्या वह राजस्थान को दी जाएगी अथवा नहीं ? मैं यह बात जानना चाहता हूं ।

श्री जसानी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मध्य प्रदेश द्वारा कोई प्रार्थना की गई है और यदि है, तो कितनी राशि के लिये ?

श्री दातार : हां । १९५२-५३ में मध्य प्रदेश सरकार को १७ लाख रुपये दिये गये थे और इस वर्ष १९ लाख रुपये देने का प्रस्ताव है ।

जमीयतुल मुसलमीन

*१७१५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में कोई जमीयतुल मुसलमीन नाम की संस्था है ; और

(ख) यदि है, तो इसके उद्देश्य और ढंग क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) उसका दावा है कि वह केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था है और मुस्लिम समाज की एकता के लिये धार्मिक प्रचार करना यह उसका उद्देश्य है । इस उद्देश्य के लिये वह स्वेच्छा पर कार्यकर्ताओं के जत्थे भेजा करती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस संस्था का प्रधान कार्यालय कहां है ?

श्री दातार : भोपाल में ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि भारत भर में इस संस्था की शाखायें कहां कहां हैं ?

श्री दातार : अन्य क्षेत्रों के साथ साथ वे मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद में शाखायें खोलने का इरादा कर रहे हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को उक्त संस्था की हैदराबाद वाली करतूतें मालूम हैं ?

श्री दातार : सरकार ने इस संस्था की कार्रवाइयों पर सख्त नजर रखी है ।

आई० सी० एस० तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन

*१७१६. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मद्रास राज्य में नौकरी करने वाले आई० सी० एस० तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतनों में कटौती करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अब भी यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एन० एम० लिंगम : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कौन कौन सी विशिष्ट बातों का परीक्षण हो रहा है और सरकार

कब तक अन्तिम निर्णय कर लेने की अपेक्षा रखती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): शीघ्र ही।

श्री दातार : हम इस विषय में अति शीघ्र निर्णय कर लेंगे।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार को विदित है कि मद्रास राज्य में प्रांतीय सेवाओं पर पहले ही १० प्रतिशत की कटौती लागू कर दी गई है और उसके कारण उक्त सेवा के सदस्यों में गहरा मनमुटाव फैला हुआ है ?

डा० काटजू : प्रान्तीय सेवाओं पर वह लागू है। यह हम जानते हैं। किन्तु उसके कारण मनमुटाव फैला है या नहीं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं।

श्री जी० पी० सिन्हा : कटौती की प्रस्तावित राशि क्या है ?

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी आई० सी० ऐस० अधिकारी ने स्वेच्छा से कटौती स्वीकार कर ली है ?

डा० काटजू : वह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ।

भट्टाचार्य समिति

*१७१८. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भट्टाचार्य समिति द्वारा सिफारिश किये गये रायलसीमा जिले के वे छोटे सिंचाई कार्य जो अकाल निवारण के रूप में हाथ में लिये जायेंगे;

(ख) इन कार्यों की कुल लागत; तथा

(ग) चालू वर्ष में सम्पादित किये जाने वाले कार्य तथा उन पर होने वाला कुल खर्च ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग). समिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं और उनके बारे में की गई कार्यवाही का विवरण यथा-समय सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

आर्डिनेंस डिपो जबलपुर के कामकरों की छंटनी

श्री नम्बियार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्डनेंस डिपो, जबलपुर के १०५ कामकर २० अप्रैल, १९५३ को या तत्पश्चात् निकाल दिये गये थे;

(ख) यदि सच है, तो उसका कारण ;

(ग) क्या यह सच है कि छंटनी किए गए कामकरों में से ११ आदमी छंटनी के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि विरोधस्वरूप २८ अप्रैल, १९५३ को एक साधारण हड़ताल होने वाली थी;

(ङ) क्या यह भी सच है कि कानपुर, दिल्ली, छेवकी और पुलगांव स्थित आर्डनेंस डिपो में काम करने वाले अनेकों कर्मचारियों को पदनिर्वासन नोटिस दे दिया गया है; तथा

(च) सरकार इस विषय में क्या पग उठा रही है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). यह सच है कि आर्डनेंस डिपो, जलपुर के २६१ कर्मचारियों को पदनिर्वासन का नोटिस दे दिया गया है। ये नोटिस १८ आर्डनेंस डिपो में काम करने वाले लगभग १३६२ व्यक्तियों को १५ अप्रैल, १९५३ को दिये गये थे। कार्य समितयों द्वारा इन डिपों के सम्बन्ध में रखे गये प्रस्तावों पर सविवरण विचार किया गया था, पर उन में से किसी

को मंजूर करना ठीक नहीं जचा। बुनियादी बात यह है कि सभी डिपो में काम का भार कम हो जाने के कारण छंटनी अनिवार्य है और उसे सहना ही पड़ेगा।

(ग) सी० ओ० डी० जबलपुर के हाल में छंटनी हुए ८ असैनिक कर्मचारियों ने भूख हड़ताल कर दी है। संस्थापन में कमी करने के कारण उनकी कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ १९५१ में छंटनी कर दी गई थी, पर बाद में उनको २० अप्रैल, १९५१ से पहले पहले पुनः नौकरी में आने की अनुमति दे दी गई थी, फलतः यद्यपि वे कमाण्डेंट द्वारा निश्चित की गई तारीख से पहले ही फिर दफ्तर में आ गए, पर उनकी नौकरी की निरन्तरता भंग हो गई इसने उनको अन्य लोगों से कनिष्ठ बना दिया, और परिणामतः १५ अप्रैल, १९५३ को उन की पुनः छंटनी हो गई। चूंकि सरकार को संतोष था कि अपनी नौकरी की निरंतरता का भंग माफ कराने के लिए उन के द्वारा किया गया अनुरोध उचित था, उन के उस भंग को माफ करने वाले आदेश निकाल दिए गए हैं। इस निर्णय में सरकार उचित शिकायत पर ध्यान देने की अपनी इच्छा से ही प्रभावित हुई, और यह बता देना आवश्यक नहीं है कि भूख-हड़ताल या अन्य किसी हड़ताल द्वारा दबाव डालने वाले रवैये के आगे झुक जाना मेरी नीति कदापि नहीं है। मैं यह भी बता दूं कि इस निर्णय से कुल छंटनी होने वाले व्यक्तियों की संख्या पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। १९५१ वाले निरन्तरता-भंग को माफ कर देने से नोटिस प्राप्त कर चुकने वाले कुछ व्यक्ति छंटनी से बच जाते हैं, पर उतने ही कनिष्ठ व्यक्तियों की छंटनी उनके बदले में की जाएगी।

(घ) कल ८ म० पू० से १२-३० म० पू० तक एक 'कलम छोड़' और 'औजार छोड़' हड़ताल हुई थी। हड़ताल की पूर्वसूचना डिपो के कमांडेंट को डिपो कामगार संघ जबलपुर द्वारा २७ अप्रैल को ४-३० म० प० पर दी गई थी।

(ङ) हां, श्रीमान्।

(च) एक रक्षा संस्थापन में हुए अतिरेक का दूसरे रक्षा-उपक्रम में समन्वय कर लेने की नीति पहले से ही काम में लाई जा रही है।

अनुमति हो तो मैं इस अवसर पर सरकार की एतद्विषयक नीति फिर बता देना चाहूंगा। हमारे सभी रक्षा-प्रतिष्ठापनों में उतने ही व्यक्ति बाकी रखे जायेंगे जितने काम के भार की दृष्टि से उपयुक्त हैं। साथ ही इस का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि एक प्रतिष्ठापन के अतिरिक्त व्यक्तियों को निकट के दूसरे प्रतिष्ठापनों में रख लिया जाए। साथ ही असैनिक बाजार के लिए आवश्यक माल का अधिकतम मात्रा में निर्माण कर के आर्डनेंस कारखानों में छंटनी होने वाले व्यक्तियों की संख्या कम रखने की पूरी चेष्टा की जाएगी।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि एक आर्डनेंस कामकर संघ द्वारा यह सुझाव रखा गया है कि डिपो में काम के भार का ठीक-ठीक निर्धारण करने के लिए डिपो अधिकारियों और संघों की कर्म-समितियों के प्रतिनिधियों से परामर्श कर के एक समिति नियुक्त की जाए; यदि सच है तो क्या उस अनुरोध को मंजूर किया गया ?

श्री त्यागी : नहीं श्रीमान्। कामकरों का कोई भी अनुरोध इस सीधे से कारण की दृष्टि में स्वीकार नहीं किया गया कि सरकार प्रत्येक कारखाने की उत्पादन-क्षमता के विषय में पहले से ही जांच करने जा रही है और वह विशेषज्ञों की एक समिति भी नियुक्त कर रही है, जो यह बतायेंगे कि ये कारखाने किन नए पदार्थों का उत्पादन आरम्भ कर सकते हैं।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं इस उत्तर से उद्भूत होने वाली यह बात जान सकता हूं कि क्या सरकार संघों के प्रतिनिधियों को साथ लेने की आवश्यकता पर विचार करेगी, जिस से काम के भार का ठीक ठीक निर्धारण किया जा सके ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, सरकार अभी समिति की नियुक्ति पर विचार कर रही है। मैं ध्यान रखूंगा कि जब वह काम करने लगे, तो कामकरों से भी परामर्श करने का ध्यान रखे।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कल ३०,००० कामकरों ने विरोध स्वरूप हड़ताल की थी; और न केवल आर्डनेंस-कामकरों ने बल्कि जबलपुर के अन्य मजदूरों ने भी इस में भाग लिया और इस से एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, मुझे पता है कि राजनीति दलबन्दी इस मौके से खूब लाभ उठा रहे हैं। पर छंटनी तो करनी ही होगी और मैं इस सदन को आवश्वासन दे सकता हूं कि छंटनी होने वाले व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम करने के लिए भरसक चेष्टा की जाएगी। वस्तुतः अतिरिक्त व्यक्तियों को तो जाना ही पड़ेगा, पर सरकार अधिकाधिक लोगों को लगाए रखने का उपाय खोज रही है।

श्री नम्बियार : दिए गए इस उत्तर की दृष्टि में कि कुछ राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, क्या मैं इस ताजे समाचार की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूं कि जबलपुर के मेयर श्री भवानी प्रसाद तिवारी ने राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित किया है और प्रजा समाजवादी दल के एक सदस्य ने श्री नेहरु से छंटनी किए गए कर्मचारियों की पुर्नियुक्ति के लिए अपील की है। इस सूचना की दृष्टि में मैं जान सकता हूं कि वह क्या पग उठाएंगे ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, मेरे विचार से वे भी राजनीतिक दल ही हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो छंटनी की जा रही है, वह खर्च कम करने की वजह से की जा रही है या काम न होने की वजह से की जा रही है ?

श्री त्यागी : काम कम होने की वजह से छंटनी की जा रही है। जिन के पास कोई काम नहीं है, उन को जनता के कर से मुफ्त तनख्वाह देते रहना गलत चीज़ है और इस पार्लियामैंट का तकाज़ा है कि खर्च कम किया जाए।

श्री गाडगिल : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या देहू रोड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया गया था और यह सच है कि कुछ स्थानों पर लोग अतिरिक्त घंटे काम कर रहे हैं और कुछ स्थानों पर उन की छंटनी की जा रही है ?

श्री त्यागी : यह संभव है। मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाई गई बात के विषय में मैं ने विशेष पड़ताल नहीं की है। मैं ने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि हड़ताल का नोटिस दिया गया है, पर हड़ताल का यह नोटिस सरकार की मज़दूरों को यथासंभव गुंजाइश देने की सरकारी नीति को नहीं बदल सकता।

श्री गाडगिल : मेरा अभिप्राय यह है कि यदि एक स्थान पर लोग अतिरिक्त काम करते हैं, तो उसे बंद कर दिया जाए और छंटनी होने वाले लोगों को वहां लगा दिया जाए।

श्री त्यागी : मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव पर विचार करूंगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि अतिरिक्त घंटे का काम विद्यमान रहने पर लोगों की छंटनी न की जाए।

डा० एस० एन० सिन्हा : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या

साम्यवादी दल के उपद्रवकारियों और इस सदन के भी कुछ सदस्यों का (**श्री नम्बियार :** यह कटाक्ष-आक्षेप है) हमारी रक्षा सेवाओं के लिए इतने महत्वपूर्ण इन आर्डनेंस कारखानों की हड़तालों में कुछ हाथ है ?

श्री त्यागी : जैसा मैं ने बताया, मुझे निश्चय है कि कुछ दल काम कर रहे हैं; पर मैं अनावश्यक रूप से उन दलों के नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं सामने बैठे हुए अपने मित्रों से बात बिगाड़ना नहीं चाहता।

श्री जोशिम अल्वा : श्रीमान्, संसद् में प्रस्तुत किए गए रक्षा मंत्रालय के वक्तव्य में यह स्पष्ट बताया गया था कि कामकरों के एक प्रतिनिधि से परामर्श किया गया था—मैं ने ऐसा ही समझा है। मैं जानना चाहता हूं कि छंटनी होने के पहले क्या कामकरों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया जाता है, या उन की परिषदों का ध्यान रखा जाता है ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, मेरे पास विभिन्न कर्म-समितियों की एक सूची है, जिन से परामर्श किया गया था और जिन की सिफारिशों पर विचार किया गया था, और प्रत्येक डिपो में स्थापित कर्म-समितियों के सरकारी प्रतिनिधियों ने निकटवर्ती प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करते हुए जो जो निश्चय किए थे, वे हमारे पास भेज दिए गए थे। उन की सिफारिशों की जांच करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वहां पर अतिरेक चल रहा है।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने बताया कि केवल उतने ही कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी, जितनी काम के भार के हिसाब से उचित होगी। उन्हों ने यह भी बताया कि काम के भार का निर्धारण करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी। इस की दृष्टि में क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार निर्धारण की समाप्ति तक छंटनी को स्थगित करने का विचार कर रही है ?

श्री त्यागी : समिति केवल काम के भार का निर्धारण करने के ही लिए नियुक्त नहीं की जा रही है। वह सरकार को यह बताने के लिए भी नियुक्त की जा रही है कि क्या कारखानों में कुछ अतिरिक्त काम होने की संभावना भी है, जिस से अतिरिक्त लोगों को काम में लगाया जा सके और थोड़े ही लोगों की छंटनी करनी पड़े; पर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी सरकार का निष्कर्ष है कि तब भी लोगों की छंटनी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा अतिरेक चल रहा है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : माननीय मंत्री ने बताया कि यह कमी काम के भार में कमी के फलस्वरूप हो रही है। क्या मैं माननीय सदस्य से वे मदें जान सकता हूं जिन के सम्बन्ध में काम के भार की यह कमी हो गई है और यह कमी कब से हुई है ?

श्री त्यागी : काम के भार की कमी धीरे-धीरे युद्ध बन्द होने के बाद से ही चल रही है। मेरा निर्देश आर्डनेंस डिपो के सम्बन्ध में था। अब चूंकि बहुत सारा उत्सर्जन हो चुका है और डिपो का पुनःसंगठन हो चुका है, उन का काम और उन की गति विधि युद्ध जितनी नहीं रही है। अतः क्रमशः काम कम होता जा रहा है। मेरे पास प्रत्येक डिपो की सूची है कि कितने व्यक्ति अतिरिक्त हैं आदि-आदि, पर वह सूची बहुत बड़ी है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार ने उन लोगों को वैकल्पिक नौकरी देने के लिए कोई पग उठाया है, जिन की सी० ओ० डी० संगठनों और विशेषतः जबलपुर से छंटनी की गई है और यदि उठाया है, तो ऐसे कितने व्यक्तियों को वैकल्पिक नौकरी दी गई है ?

श्री त्यागी : मैं बता चुका हूं कि डिपो में काम करने वाले कामकरों के प्रति मैं बहुत सहानुभूति रखता हूं और मेरे विचार यह

ध्यान रखना पहली बात होगी कि उन को सर्वत्र अग्रस्थान दिया जाए। सरकार द्वारा की गई सब से महत्वपूर्ण कार्यवाही यह है कि जब कभी किसी आर्डनेंस कारखानें में अतिरिक्त कामकरों की आवश्यकता होती है, छंटनी का नोटिस पाने वाले या छंटनी किए गए लोगों को अग्रस्थान दिया जाता है और उन को ले लिया जाता है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि सी० ओ० डी० कानपुर में मुख्य कामकरों की कमी है, जहां उन की छंटनी कर दी गई है ?

श्री त्यागी : कानपुर से मेरे माननीय मित्र के दल के कुछ व्यक्ति सचिव से मिलने आए थे—आशा है, मेरे मित्र और उन का दल कानपुर-श्रम से सुपरिचित है—(**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं) और वे संतुष्ट हो कर वापस लौट गए। उन्हों ने कहा कि वे हड़ताल न होने देंगे और अपना सहयोग देंगे।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, यह क्या उत्तर है ?

श्री वी० पी० नायर : मेरे प्रश्न का इस से कोई सम्बन्ध न था।

श्री के० के० बसु : एक औचित्य-प्रश्न पर। मैं जानना चाहूंगा कि एक निश्चित प्रश्न रखे जाने पर क्या माननीय मंत्री को निश्चित उत्तर नहीं देना चाहिए। वह कह सकते हैं कि 'मुझे ज्ञात नहीं' या 'मुझे पूर्व-सूचना चाहिए', पर वह ऐसा उत्तर नहीं दे सकते।

श्री त्यागी : मुश्किल यह है कि कोई निश्चित प्रश्न ही नहीं है। क्या है वह निश्चित प्रश्न ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न साधारण प्र कार का था। मंत्री ने बताया कि साम्यवादी दल का एक सदस्य सचिव से मिला था और पूर्णतः संतुष्ट हो कर गया। और क्या चाहिए ?

श्री वी० पी० नायर : मेरा प्रश्न यह नहीं है।

श्री के० के० बसु : प्रश्न यह था कि जब किसी डिपो में रिक्त स्थान हैं, तब साथ ही छंटनी क्यों की जाए ? क्या कोई माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न का सीधा-सीधा उत्तर माननीय मंत्री से प्राप्त नहीं कर सकता ? वह इस का वैसा उत्तर नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्य यह उपदेश दे सकते कि कैसा उत्तर दिया जाए। कुछ मामलों में आंकड़े दिए जा सकते हैं, कुछ में नहीं। पर माननीय मंत्री ने बताया है कि छंटनी का नोटिस पाने वाले या छंटनी होने वाले कुछ लोगों को नौकरी में पुनः लगा दिया गया है। शायद उन के पास ठीक ठीक संख्या नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : मेरा प्रश्न यह न था। म प्रश्न दुहरा दूंगा। मैं ने पूछा था कि क्या यह सच है कि सी० ओ० डी० कानपुर में मुख्य कामकरों की कमी है और यदि है तो कितनों की; और क्या वहां से साथ ही मुख्य कामकरों की छंटनी नहीं हो रही है ?

श्री त्यागी : मेरे माननीय मित्र अधिक विवरण ले रहे हैं। मेरे पास जानकारी नहीं है, पर मैं प्राप्त कर तो लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। इस प्रश्न का काफी उत्तर दिया जा चुका है।

कई माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं अगला कार्यक्रम लूंगा।

डा० एस० एन० सिन्हा : श्रीमान्, केवल एक प्रश्न और ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, श्रीमान।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हवलदार क्लर्कों का अपने पुराने पदों पर भेजा जाना

*१६८९. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सशस्त्र सेना के कुछ हवलदार क्लर्कों से जो कि नियमित सेवा तथा रिजर्व में क्रमशः १२ और ३ वर्ष के संशोधन करने वाले नए संविदे पर कार्य कर रहे थे यह कहा गया कि या तो वे नीचे का पद स्वीकार कर लें अथवा सेना से मुक्त हो जाएं;

(ख) उन में से कितने हवलदार क्लर्कों ने मुक्त होना स्वीकार किया; और

(ग) "रैंक स्ट्रकचर" की शरण लेने के क्या कारण हैं?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) लगभग २,९०० ।

(ग) संस्थापन के युद्धबपूर्वी वेतन-क्रम पर आने के निर्णय के परिणामस्वरूप, उन हवलदार क्लर्कों को जो उच्चतर पदों पर कार्य कर रहे थे, पुरानी जगहों पर करना पड़ा।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सहायक समिति द्वारा भेजा गया सामान

*१६९२. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सहायक समिति द्वारा विद्यार्थी सहायक समिति बिहार को भेजी गई सामान की एक खेप कलकत्ता पत्तन पर रुकी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस का कारण;

(ग) क्या इस खेप पर बहिशुल्क न चार्ज करने सम्बन्धी कोई प्रतिनिधान बिहार समिति से प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या आदेश दिए गए हैं?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सहायता समिति द्वारा विद्यार्थी सहायता समिति बिहार को सामान की भेजी गई एक खेप कलकत्ता पत्तन पर बिना उठाई पड़ी है। माल को बहिशुल्क अदा करने से ले जाने के पूर्व आयातक को कस्टम हाउस में एक बिल ऑफ ऐन्ट्री प्रस्तुत करना पड़ता है और बाद को अन्य औपचारिताएं पूरी करनी होती हैं। उक्त सामान को ले जाने के लिए अभी तक कोई बिल ऑफ ऐन्ट्री नहीं प्रस्तुत किया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सामान्य प्रक्रिया तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

पट्टी में बसाए गये लोगों से पुनरीक्षण अर्जियां

*१६९३. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अमृतसर ज़िले के पट्टी कस्बे के अस्थायी बसाए गए व्यक्तियों से १९५० में डायरेक्टर जनरल, पुनर्वास, पंजाब राज्य, कोई पुनरीक्षण अर्जियां प्राप्त हुई थीं ;

(ख) डाइरेक्टर जनरल द्वारा इन में से ३१ मार्च, १९५१ तक कितनी अर्जियां स्वीकार की गईं और उन के आवास के लिए कुल कितने क्षेत्र की आवश्यकता थी ; और

(ग) ऊपर भाग (क) में निर्दिष्ट लोगों को जो जमीनें विभिन्न गांवों में दी गई थीं उन्हें क्या उन की अर्जियों की स्वीकृति के बाद रद्द कर दिया गया?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). सूचना संकलित की जा रहीं है और यथासमय सदन पटल पर रक्खी जाएगी।

त्रिपुरा में बकाया किराय की वसूली

*१६९६. **श्री दशरथ देव :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ और १९५३ में त्रिपुरा में त्रिपुरा के लोगों पर किराया वसूली के कितने "संगसीत" (नोटिस) जारी किए गए;

(ख) क्या इस बकाया पर ब्याज वसूल की जाती है, और यदि हां, तो कितनी ;

(ग) बकाया किराए के अतिरिक्त और क्या-क्या रुपया वसूल किया जाता है;

(घ) कितने मामलों में यह बकाया राशि एक हज़ार से अधिक बैठी है;

(ङ) क्या सरकार को विदित है कि बकाया राशि की माफी के लिए त्रिपुरा में बहुत से प्रस्ताव पास किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) क्रमश: ७,५३१ और १,७८२.

(ख) जी नहीं ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) १९५२ में १०४७ और १९५३ में २२४.

(ङ) और (च). पास किए गए कुछ प्रस्तावों के समाचार प्राप्त हुए हैं किन्तु कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है क्योंकि परिस्थितियों से बकाया किराए की माफी का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता।

त्रिपुरा के किसानों को कृषि-ऋण

*१६९८. **श्री दशरथ देव :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा के किसानों द्वारा कृषि-ऋण के लिए कई हज़ार आवेदन-पत्र भेजे गए हैं, और

(ख) जनवरी, १९५३, से कितने किसानों को कृषि-ऋण दिया गया है ?

गृह-कार्य और राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख). सूचना संकलित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रक्खी जाएगी।

अस्थायी स्थान

*१६९९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की भी कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि १३ जनवरी, १९५० को सरकार ने यह आर्डर पास किया कि डाक तथा तार विभाग में १ जनवरी, १९५१ को तीन वर्ष के अस्थायी स्थानों और उसी तारीख तक ७५ प्रतिशत २ व ३ वर्ष के बीच के अस्थायी स्थानों को स्थायी बना दिया जाए ?

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार का आर्डर भारत सरकार के अन्य विभागों के इसी प्रकार के स्थानों के लिए भी पास किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी हां; यह आर्डर उन स्थानों पर लागू होता है जो कि सामान्य दौरान से स्थायी हो गए होते ।

(ख) जी हां, श्रेणी ४ के स्थानों को छोड़ कर बहुत कुछ ऐसे आदेश अन्य विभागों में भी हैं ।

इंडियन कम्पनीज़ एक्ट के अन्तर्गत अर्ज़ियां

*१७०२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री क्रमश: इंडियन कम्पनीज़ एक्ट और इंडियन कम्पनीज़ एकट की धारा २८९ (ख) के अन्तर्गत कमीशन के सम्बन्ध में २ मार्च, १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ तथा ३४७ की ओर निर्दिष्ट करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इंडियन कम्पनीज़ एक्ट की धारा २८९ (ख) के अंतर्गत नियुक्त मंत्रणा आयोग के किसी सदस्य का क्या कोई हित प्रत्यक्ष

या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसी कम्पनी में निहित है जिस पर कि यह अधिनियम लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी किसी कम्पनी ने धारा ८७ ख, ८७ ख ख या ८७ ग ग की धारा ८६ (ञ), ८७ कक, खंड तीन के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को कोई अर्ज़ी भेजी है;

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिन के कि हित उन कम्पनियों में हैं;

(घ) अनुमति दी गई या नहीं; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि आयोग के एक सदस्य को उस कम्पनी के डायरेक्टर के रूप में अधिक वेतन दिए जाने की सम्भावना है जिसे कि अनुमति दी गई है या दी जाने की सम्भावना है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) मेसर्स स्पेन्सर एण्ड कम्पनी जिस में कि मंत्रणा आयोग के सभापति श्री सी० ऐच० भाभा का डायरेक्टर की हैसियत से हित है ।

(घ) कम्पनी का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा सरकार द्वारा आसाम को धान और चावल का भेजा जाना

*१७०३. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि इस वर्ष त्रिपुरा सरकार ने आसाम सरकार को धान और चावल देने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा सरकार ने खाद्य के किन आंकड़ों के आधार पर यह निर्णय किया है ?

(ग) इस वर्ष खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना है और त्रिपुरा के लोगों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां । सेन्ट्रल पूल में, आसाम या पच्छिमी बंगाल को देने के लिए, १००० टन चावल का प्रस्ताव किया गया था ।

(ख) गत तीन वर्षों में त्रिपुरा द्वारा उठाई गई मात्रा के आधार पर तथा ५००० टन चावल और ५०० टन गेहूं का वहां स्टॉक जमा हो जाने की दृष्टि में ।

(ग)

चावल का वार्षिक अनुमानित उत्पादन ... ३३,६४,००० मन

चावल का वार्षिक अनुमानित उपभोग .... ३१,५७,००० मन

सौराष्ट्र का पिछड़ापन

*१७१३. **श्री जी० डी० सोमानी :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अभी हाल में जब वे सौराष्ट्र गए थे तो क्या उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वित्तीय विलय समझौते के अनुसार सौराष्ट्र के पिछड़ेपन में जांच करने तथा उसे दूर करने के उपायों का सुझाव देने के लिए शीघ्र ही एक जांच समिति की नियुक्ति की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह जांच अन्य भाग (ख) के राज्यों जैसे राजस्थान, पेप्सू और मध्य भारत में भी की जाएगी जिन के साथ कि उसी प्रकार का वित्तीय विलय समझौता मौजूद है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख). सरकार ने श्री एन० वी० गाडगिल, संसद् सदस्य, के सभापतित्व में इस प्रयोजन के लिए एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया है ।

पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत स्कीमों पर खर्चा

*१७१७. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत खर्च किए जाने वाली कुल राशि में से कितनी राशि ३१ मार्च, १९५३ तक खर्च की जा चुकी है; और

(ख) इस में से कितना खर्चा केन्द्र द्वारा, कितना राज्यों द्वारा, कितना विदेशी ऋण द्वारा और कितना घाटे की अर्थव्यवस्था द्वारा अथवा देश में ऋण उगाह कर किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). प्रश्न के दोनों भागों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना अभी उपलब्ध नहीं है किन्तु योजना की समीक्षा में जो कि सदन पटल पर रक्खी जाएगी, यह सूचना सम्मिलित की जाएगी ।

कमांडर जी० आर० एम० डी० मैल, रायल सीलोन नेवी के चीफ आफ स्टाफ का आना

*१७१९. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कमांडर जी० आर० एम० डी० मैल, रायल सीलोन नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ, भारतीय बेड़े के प्रधान सेनापति से मिले थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वह भारत सरकार के आमंत्रण पर आए थे; और

(ग) क्या उन्होंने विभिन्न डॉक-यार्ड और प्रशिक्षण केन्द्र देखे थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां, उन्होंने बम्बई तथा लोनावाला में निम्नलिखित स्थान देखे :

(१) आई० एन० बैरकें
(२) शिपराइट ट्रेनिंग स्कूल
(३) नेवल डॉक यार्ड
(४) रेग्यूलेटिंग स्कूल
(५) आई० एन० एस० "शिवाजी"

चोरी छिपे माल ले जाना

*१७२०. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ में भारत से भारत-बर्मा सीमा के पार पशु तथा अफ़ीम चोरी छिपे ले जाने के कितने मामले हुए;

(ख) सीमा क्षेत्रों में देख भाल की कितनी चौकियां हैं और वे कहां कहां हैं;

(ग) क्या १९५१–५२ की तुलना में, चोरी छिपे माल ले जाने का काम बढ़ रहा है या घट रहा है; और

(घ) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) केवल उन्हीं मामलों की संख्या बताना सम्भव है जो कि पकड़े गए; १९५२–५३ में भारत से भारत-बर्मा सीमा के पार चोरी छिपे माल ले जाने के किसी मामले का पता नहीं चला ।

(ख) "देखभाल की" कुल मिला कर सात चौकियां हैं जो इस प्रकार हैं :

(१) मनीपुर में मौरेह } में स्थली सीमा
(२) उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी में हेलगेट } शुल्क की चौकियां
(३) इम्फाल
(४) चुराचांदपुर
(५) सुगनू
(६) इण्डो-मनीपुर में तेंगनौपाल } में सीमा शुल्क की निवारण चौकियां
(७) तिरुप सीमा पर लीडो

(ग) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में चोरी छिपे माल ले जाने के जिन मामलों का पता चला, उन की संख्या को देखते हुए तो यही अनुमान है कि चोरी छिपे माल ले जाना कम हो गया है।

(घ) सीमा शुल्क कर्मचारी उपरोक्त भाग (ख) में बताई गई सीमा शुल्क निवारण चौकियों के बीच वाले क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं। इस काम के लिए उन्हें एक जीप तथा एक लैण्ड रोवर गाड़ी दी गई है। इस क्षेत्र में सशस्त्र टुकड़ियां भी गश्त लगाती हैं।

स्कूलों तदा कालिजों में फीस का एक सा स्तर

*१७२१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत में स्कूलों तथा कालिजों की फीसों के स्तरों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयत्न किया; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) से (ग). हाल ही में राज्यों की सरकारों से कहा गया है कि १९५२-५३ के लिए संगत आंकड़े भेजें। परन्तु अभी पूरी पूरी सूचना नहीं मिली है।

बिहार म विस्दापितों का पुनर्वास

*१७२३. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य में अब तक कितने विस्थापितों को बसाया गया है और कितनों को अभी बसाया जाना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : लगभग ५४,००० विस्थापितों को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी गई है और ११५० विस्थापित कैम्पों में हैं जिन्हें अभी बसाया जाना है।

छात्रसैनिकों का अफसरों की ट्रेनिंग के लिये चुनाव

*१७२४. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में रक्षा सेनाओं की विभिन्न शाखाओं के लिए अफ़सरों की ट्रेनिंग देने के लिए कुल कितने छात्र सैनिक चुने गए ?

(ख) इसी अवधि में प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा ऐसे कितने छात्रसैनिक चुने गए और रक्षा सेनाओं के कर्मचारियों में से कितने ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ९८३.

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में की गई प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा ६२८ छात्रसैनिक चुने गए। १९५२ में चुने गए ९८३ छात्रसैनिकों में से ७८ रक्षा सेनाओं के कर्मचारी थे।

हस्तलेख विशेषज्ञ

*१७२५. **श्री एस० वी० रामास्वामी :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के पास काम करने वाले हस्त लेख विशेषज्ञों की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि हस्तलेख विशेषज्ञ का प्रधान कार्यालय शिमले में होने के कारण मुकदमे लड़ने वालों को बड़ी असुविधा हो रही है?

(ग) पिछले तीन वर्ष में इस विशेषज्ञ के पास भेजे गए कितने मामले निपटाए गए हैं और कितने अभी विचाराधीन हैं ?

(घ) क्या ऐसा कोई विचार है कि उस का कार्यालय नागपुर या हैदराबाद जैसे किसी मध्यवर्ती स्थान में लाया जाय ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) दो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन विशेषज्ञों को सौंपे गए ७४० मामलों में से (जिन में २० अप्रैल तक भेजे गए २७ मामले भी शामिल हैं) ७१६ निपटाए जा चुके हैं। कुछ मामले और सूचना न मिलने के कारण नहीं निपटाए जा सके।

(घ) जी नहीं।

मध्य भारत विश्वविद्यालय विधेयक

*१७२६ **श्री राधेलाल व्यास :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मध्यभारत की सरकार से कहा है कि मध्य-भारत विश्वविद्यालय विधेयक के सम्बन्ध में और कोई कार्यवाही न करे ?

(ख) ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की जांच करने तथा इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए कोई समिति नियुक्त की है ?

(घ) इस समिति में कौन कौन लोग हैं ?

(ङ) इस समिति को क्या काम सौंपे गए हैं ?

(च) यह समिति किस समय तक अपनी रिपोर्ट दे सकेगी और सरकार कब इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर सकेगी।

(छ) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि मध्यभारत सरकार पहले ही यह निर्णय कर चुकी है कि यह विश्वविद्यालय उज्जैन में खोला जायगा और क्या समिति अब केवल यही सुझाव देगी कि उज्जैन में किस प्रकार का विश्वविद्यालय खोला जाय ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग). हाल ही में भारत में यह प्रवृत्ति देखने में आई है कि नए विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है या नहीं या उन की स्थापना तथा विकास के साधन हैं या नहीं—इन बातों पर उचित विचार किए बिना ही लोग विश्व-विद्यालय खोलना चाहते हैं। इस समस्या का प्रभाव ऊंची शिक्षा के स्तर बनाए रखने पर भी पड़ता है, जिस के लिए भारत सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है। इस लिए भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है, जो कि नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता तथा पढ़ाई सम्बन्धी, वित्तीय और प्रशासनीय शर्तों की जांच करेगी जो कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से पहले पूरी होनी चाहिएं। इसलिए भारत सरकार ने मध्यभारत सरकार को यह सलाह दी है कि उस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधान बनाने का काम आगे बढ़ाने से पहले इस समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत होने दें।

(घ) तथा (ङ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(च) यह समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(छ) केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि उस विधेयक में कहा गया है कि यह विश्व-विद्यालय उज्जैन में खुलेगा। जहां तक इस प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, आप का ध्यान सदन पटल पर रखे गए उस कागज़ की ओर दिलाया जाता है जिस में बताया गया है कि इस समिति को क्या क्या काम सौंपे गए हैं।

मैडिकल कालिज, विशाखापटनम् में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के छात्र

*१७२७. **श्री मोहन राव :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विशाखापटनम् के मैडिकल कालिज में पढ़ने वाले, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की क्रमानुसार संख्या क्या है ?

(ख) उन में से, इस साल कितने छात्रों को केन्द्रीय छात्र वृत्तियां दी गई हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य का ध्यान सदन पटल पर रखे गए विवरण की ओर दिलाया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४१**]

महंगाई भत्ते में कमी या उसे समाप्त करना

*१७२८. **श्री मुरारका :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अपने ७५० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कमी करने या महंगाई भत्ता बन्द करने की बात सोच रही है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' हो, तो सरकार को वेतन के खर्च में प्रति वर्ष कितनी बचत होगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी, हां।

(ख) यदि भत्ता बन्द कर दिया जाय तो प्रति वर्ष लगभग ७५ लाख रुपये की बचत होगी।

ट्रावनकोर-कोचीन में भूचाल के झटके

*१७२९. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रावनकोर-कोचीन में जनवरी १९५३ से भूचाल के जो झटके आ रहे हैं, वे भूचाल का पता लगाने वाली पर्यवेक्षण-शालाओं में रिकार्ड किए गए;

(ख) क्या भूचाल के इन झटकों से पुलों तथा भवनों आदि को कोई हानि पहुंची; और

(ग) क्या सरकार ने कोई पूर्वोपाय किए हैं, विशेषकर नए भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में उपाय ?

शिक्षा, प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिस में यह सूचना दी गई है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होने पर सदन पटल पर रख दी जायगी।

विवरण

ट्रावनकोर-कोचीन में भूचाल के झटके

(क) २५ फरवरी, १९५३ को कोट्टायम ज़िले में भूचाल के जो झटके लगे वे कोडियाकगल पर्यवेक्षणशाला की भूचाल का पता लगाने वाली मशीनों पर रिकार्ड किए गए। यह पर्यवेक्षण शाला कोट्टायम नगर से ७० मील दूर स्थित है। इस के बाद हाल ही में भूचाल के जो झटके लगे वे इतने ज़ोर के नहीं थे कि कोडियाकगल पर्यवेक्षणशाला की भूचाल का पता लगाने वाली मशीनों पर दिखाई पड़ सकें। २५ फरवरी, १९५३ को भूचाल के जो झटके आए थे, भारतीय समय के अनुसार रात के ११ बज कर ३८ मिनट और १० सैकेण्ड पर कोडियाकगल पर्यवेक्षणशाला

में रिकार्ड किए गए। उस से अनुमान लगाया गया है कि इन का ज़ोर मामूली था, यद्यपि जहां ये प्रारम्भ हुए, उस के समीप इन से कुछ स्थानीय हानि हो सकती थी।

(ग) भारत की भूतत्वीय परिमाप संस्था के निर्देशक ने बताया है कि ३१ मार्च, १९५३ को पालाई की नगरपालिका परिषद् के सभापति की ओर से यह समाचार मिलने पर कि भूचाल के झटके बहुधा आते हैं, इस संस्था के एक अधिकारी को त्रिवेन्द्रम के मौसम के दफ्तर के सहयोग से जांच करने के काम पर लगाया गया। जब यह पता चल जायगा कि यह भूचाल कैसा था तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है कि सम्बद्ध क्षेत्रों में भवन बनाने के सम्बन्ध में क्या पूर्वोपाय किए जायं।

अनुसूचित जाति तथा आदिजाति कमिश्नर की दूसरी रिपोर्ट

*१७३०. श्री भीखाभाई : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा आदि-जाति कमिश्नर की दूसरी रिपोर्ट कब तक लोक सभा में पेश की जायेगी ;

(ख) कुछ जातियों तथा आदिजातियों को शामिल करने के सम्बन्ध में कमिश्नर की पहली रिपोर्ट में जो सिपारिशें दी गई थीं, उन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की है; और

(ग) कमिश्नर की रिपोर्ट की क्या सिपारिशें सरकार को स्वीकार्य हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान ३१ मार्च १९५३ को पूछ गए श्री नानादास के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है जिस में कि यह बताया गया था कि यह रिपोर्ट इस समय छप रही है तथा इसे लोक सभा में पेश करने का दिनांक उस समय निश्चित किया जायगा जब कि मुद्रित प्रतियां उपलब्ध होंगी।

(ख) तथा (ग). माननीय सदस्य का ध्यान १६ दिसम्बर १९५२ को पूछे गए उन के तारांकित प्रश्न संख्या १२११ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है। उस समय जो स्थिति दी गई थी—अर्थात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदि जातियों की सूचियों में तब तक कोई हेर फेर नहीं किया जायगा जब तक कि पिछड़ी हुई जातियों से सम्बन्धित आयोग इस मामले की जांच नहीं करेगा—वह अब भी सही है।

शिक्षा मंत्री सम्मेलन

*१७३१. **श्री जेठालाल जोशी :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १८ तथा १९ अप्रैल, १९५३ को दिल्ली में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था ?

(ख) यदि हुआ था, तो इस ने किन किन विषयों पर चर्चा की ?

(ग) क्या सरकार समस्त विश्व-विद्यालयों को एक नियंत्रक निकाय के अधीन रखने की बात पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) चर्चा विश्वविद्यालयों में शिक्षा स्तर के समन्वय तथा विश्वविद्यालयों तथा हायर सैकंड्री स्कूलों के छात्रों के शिक्षा कार्यक्रम में शारीरिक मेहनत तथा सामाजिक सेवा शामिल करने के सम्बन्ध में थी।

(ग) सरकार की राय है कि इस उद्देश्य के लिए एक विशेष अभिकरण की स्थापना के बिना विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना तथा इन के शिक्षा स्तरों की देखभाल करना सम्भव नहीं है। इस उद्देश्यपूर्ति के लिए

सरकार ने दो अलग अलग निकाय स्थापित करने की प्रस्थापना की है। एक विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् होगी तथा दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होगा। १८ तथा १९ अप्रैल को जो सम्मेलन हुआ था उस में यह सुझाया गया था कि दो निकाय स्थापित करने के बजाय केवल एक ही निकाय अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित किया जाये, तथा इसे वह अधिकार प्राप्त हों जिन की प्रस्थापना कि विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् के सम्बन्ध में सरकार ने अपने प्रारूप विधेयक में की है। इस तरह का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने से वह उद्देश्य भी पूरा होगा जिस के लिए कि विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् स्थापित करनी अपेक्षित थी।

सरकार सम्मेलन के इस सुझाव पर विचार कर रही है।

भूतपूर्व भारतीय रियासतों की मुद्रायें

*१७३२. **श्री आर० सी० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अब मध्य भारत में विलीन हुई कौन कौन सी भूतपूर्व भारतीय रियासतों की मुद्रायें १ अप्रैल, १९५३ से पहिले मध्य भारत में विधिवत चालू थीं ;

(ख) उन मुद्राओं के प्रचलन को समाप्त कर देने के सम्बन्ध में कब और किस प्रकार से अधिसूचना दी गई थी;

(ग) इन के प्रचलन के समाप्त हो जाने के पश्चात् लोगों के पास बची हुई मुद्राओं को प्रयोग में लाने के लिए यदि कोई व्यवस्था की गई है तो वह क्या है; और

(घ) क्या मध्य भारत की सरकार की ओर से इस प्रकार की मुद्राओं के प्रचलन के समाप्त होने के कारण से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) यह अधिकांश रूप से छोटे छोटे सिक्के (अधन्ने, पैसे तथा आध पैसे) थे जो कि भूतपूर्व ग्वालियर तथा इन्दौर राज्यों ने जारी किये थे।

(ख) भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, १९५१, जो कि १ अप्रैल १९५१ से लागू हुआ, के अन्तर्गत समस्त भाग ख राज्यों में प्रचलित स्थानीय सिक्कों को उन क्षेत्रों में ऐसे समय के लिए, जो कि दो वर्ष से अधिक न हो किन्तु जिसे केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचना द्वारा सरकारी बजट में निश्चित करेगी, उसी तरह तथा उसी मात्रा में प्रचलित रखने की अनुमति दी गई जैसे कि यह उक्त दिनांक से पहले प्रचलित थे। अधिनियम में दिये गए ऊपर उल्लिखित उपबन्ध के अनुसार ५ सितम्बर, १९५१ को एक अधिसूचना जारी की गई जिस के अन्तर्गत समस्त भाग ख राज्यों में स्थानीय सिक्कों को ३१ मार्च, १९५३ तक विधि ग्राह्य सिक्कों के रुप में प्रचलित रखने की अनुमति दी गई।

(ग) जनता को यह स्थानीय सिक्के भारतीय मुद्रा में बदलाने के लिए सुविधाएं दी जायेंगी।

(घ) राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि इन सिक्कों को विधि ग्राह्य सिक्कों के रूप में प्रचलित रखने की अवधि बढ़ा दी जाये। उन्हें सूचना दी गई है कि भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अवधि ३१ मार्च, १९५३ से आगे बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है।

पदधारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें

१२४७. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सशस्त्र बल के पदधारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

तथा निबन्धन समय समय पर बदल दिये जाते हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाता है कि वह बदली हुई शर्तों पर काम कर सकते हैं अथवा सेवामुक्ति प्राप्त कर सकते हैं;

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो क्या ऐसे कर्मचारियों को सेवामुक्त किया जाता है जो कि यह चाहते हों; और

(घ) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' हो तो इस के कारण क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं। सेवा की शर्तों तथा निबन्धनों में केवल तभी परिवर्तन किया जाता है जब कि सेवा के हित में यह नितान्त आवश्यक हो।

(ख) स्थायी कर्मचारियों को सेवा मुक्ति का विकल्प नहीं दिया जाता है यद्यपि उन्हें यह विकल्प दिया जाता है कि वह अपनी वर्तमान शर्तों पर रह सकते हैं अथवा सेवा की नई शर्तों को ग्रहण कर सकते हैं; परन्तु गत युद्ध में नियुक्त अथवा भर्ती हुए कर्मचारियों को, जो कि स्थायी नहीं बने होते हैं, सेवामुक्ति का विकल्प दिया जाता है।

(ग) युद्ध में भर्ती किये गए सैनिकों तथा अधिकारियों को सेवामुक्ति के लाभ उपलब्ध किये जाते हैं। केवल जूनियर कमिशन अधिकारियों को, जो कि गत युद्ध में सीधे भर्ती हुए हैं तथा जिन्हें तरक्की दे कर अन्य दर्जों से लाया गया है, सेवामुक्ति से सम्बन्धित लाभ उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार रहा है।

(घ) स्थायी कर्मचारियों को सेवामुक्ति का विकल्प नहीं दिया जाता है क्योंकि उन की सेवा शर्तों के अनुसार उन्हें निश्चित आयु अथवा सेवा सीमा तक अथवा युद्ध की समाप्ति तक सेवा देनी होती है; जब तक कि उन की समय से पूर्व सेवा मुक्ति किसी उचित विनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी क्षमताशाली प्राधिकार द्वारा न हो। फिर भी जब कभी सेवा की शर्तों में मूल तथा भारी परिवर्तन किये जाते हैं तो यह सरकार की साधारण नीति रहती है कि जहां तक आवश्यक तथा वांछनीय हो, सैनिकों तथा अधिकारियों को अपनी वर्तमान शर्तों पर अथवा नई शर्तों पर काम करने का विकल्प दिया जाता है तथा इस तरह से उन के हितों की रक्षा होती है।

भारत में पुस्तकालय

१२४८. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने "भारत में पुस्तकालय" नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है ?

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि भारत की भूतपूर्व रियासतों में बड़े बड़े सार्वजनिक पुस्तकालय थे जिन में अमूल्य पुस्तकें संग्रहीत थीं, जो कि आज कल भी विद्यमान हैं, किन्तु उक्त पुस्तक में इन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार का इस पुस्तक के अगले संस्करण में इन पुस्तकालयों तथा अन्य बड़े बड़े निजी पुस्तकालयों के नाम तथा विवरण प्रकाशित करने का विचार है और यदि है, तो इस के अगले संस्करण के कब निकलने की आशा है; और

(घ) क्या सरकार का भारत के पुस्तकालयों में उपलब्ध अमूल्य ग्रन्थों की एक वृहद् सूची प्रकाशित करने का विचार है और यदि है तो इस के कब तक प्रकाशित होने की आशा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) "सार्वजनिक पुस्तकालय" के खंड में वह सभी पुस्तकालय (५००० पुस्तकों से कम वाले पुस्तकालयों को छोड़ कर) शामिल हैं जिन के पते या तो मंत्रालय में उपलब्ध थे या राज्य सरकारों द्वारा जिन्हें कि इस बारे में लिखा गया था, प्रदाय किये गए थे ।

(ग) जी हां, किन्तु शर्त यह है कि मंत्रालय को इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना दी जाये ।

(घ) इस समय नहीं ।

राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों की वित्तीय सहायता

१२४९. श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की करेंगे :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों को इस वर्ष किसी रूप में कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) कितने भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें और छात्रवृत्तियां दी गई हैं और किस रूप में दी गई हैं;

(ग) कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दी गई है; और

(घ) इस प्रकार के भूतपर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है और उन में से कितनों को नौकरी में लगा दिया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों को रैजीमेंटल सैंटरों से, जिन्हें कि आवंटित धन का बहुभाग दिया जाता है, कितनी सहायता मिली है, इस सम्बन्ध सविस्तार जानकारी तत्काल ही उपलब्ध नहीं है ।

भर्ती कर्मचारी वर्ग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को तथा उन के परिवारों को ध्वजारोहण दिवस निधि में से आर्थिक सहायता दी जाती है । इस निधि में से राजस्थान को निम्नलिखित धनराशिया दी गई है:—

वर्ष	वितरित धनराशि	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
१९५०	१२०८ रुपये	२३
१९५१	५०४५ रुपये	१७०
१९५२	८१८३ रुपये	१७४

इस के अलावा वर्ष १९५२–५३ में विपत्ति-निवारण के लिए अभिलेख-अधिकारी को सेना केन्द्रीय कल्याण निधि में से ९७२ रुपये दिये गए ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं (१) यक्ष्मा से पीड़ित व्यक्तियों को अभिज्ञात आरोग्यधामों में और (२) दूसरों को जिन्हें कि नियोगिता निवृत्ति-वेतन मिलता है, सैनिक अस्पतालों में । ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कि पेन्शन मिलती है, विशेष मामलों में नि:शुल्क भी इलाज किया जाता है ।

जिन भूतपूर्व सैनिकों का इलाज किया जा रहा है, उन की ठीक ठीक संख्या उपलब्ध नहीं । और न ही इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है कि कितने भूतपूर्व सैनिकों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं क्योंकि इस का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

(ग) ३२८८ भूतपूर्व सैनिकों को काम मिल गया है ।

(घ) राजस्थान में कुल कितने भूतपूर्व सैनिक हैं, इस बारे में तत्काल ही सूचना उपलब्ध नहीं । गत चार वर्षों में इस राज्य से निम्नलिखित संख्या के भूतपूर्व सैनिक सेना में पुन: भर्ती किये गए :—

वर्ष	संख्या
१९४९	४८६
१९५०	१९४
१९५१	२३१७
१९५२	१०९

तम्बाकू उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व

१२५०. **श्री नानादास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७ से ले कर १९५२ तक केन्द्रीय सरकार ने प्रति वर्ष प्रस्थापित आन्ध्र राज्य से तम्बाकू उत्पाद शुल्क के रूप में कितना राजस्व प्राप्त किया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है।

विवरण

१९४७—१९५२ की कालावधि में आन्ध्र राज्य (जैसे कि प्रधान मंत्री ने २५ मार्च, १९५३ के अपने वक्तव्य में इस लोक सभा में घोषित किया) से प्राप्त वार्षिक केन्द्रीय उत्पाद राजस्व

वर्ष	राजस्व (रुपयों में)
१९४७	*१,०२,११,०००
१९४८	*१,२३,६२,०००
१९४९	*१,३७,२४,०००
१९५०	१,४४,१८,०००
१९५१	१,६७,७०,०००
१९५२	१,५२,४५,०००

*श्रीकाकुलम ज़िले से सम्बन्धित आंकड़ों को, जो कि इन वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, छोड़ के।

संघ लोक सेवा अयोग द्वारा प्राप्त प्रार्थनापत्र

१२५१. **श्री नानादास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने १९४७–१९५२ के वर्षों में कितने पदों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र बुलवाए;

(ख) इन में से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए अलग २ रक्षित रखे गये थे;

(ग) रक्षित स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के उम्मीदवारों से भरे गए; और

(घ) उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण कितने ऐसे रक्षित पद समाप्त हुए।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा ज्यों ही यह उपलब्ध होगी तो इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

आर्थिक परामर्श दाता

१२५२. **श्री मुरारका :** (क) क्या **वित्त** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में सरकार के विभिन्न विभागों में (रेलवे बोर्ड तथा रिजर्व बैंक समेत) लगे हुए आर्थिक परामर्शदाताओं की संख्या, उन के वेतन-मापदंड और उन की भरती की रीति बतलाई गई हो ?

(ख) क्या वे अपने कार्यक्षेत्र में आवश्यक मूल-आर्थिक-आंकड़ों के इकट्ठे किए जाने के विषय में नियंत्रण रखते हैं ?

(ग) क्या आर्थिक नीति से सम्बन्धित सभी मामले स्वयमेव उन को निर्दिष्ट किए जाते हैं और उन के द्वारा निपटाए जाते हैं ?

(घ) क्या आर्थिक कार्य विभाग या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में कोई आर्थिक परामर्शदाता है ?

(ङ) क्या विभिन्न विभागों के आर्थिक परामर्शदाताओं की वही पदवी और उन का आर्थिक कार्य विभाग से वैसा ही सम्बन्ध है जैसा वित्तीय परामर्शदाताओं का राजस्व तथा व्यय विभाग से है ?

(च) यदि उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ङ) के उत्तर नकारात्मक हों, तो क्या सरकार स्थिति सुधारने का विचार कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ख) हां, जहां तक उन के अपने कार्यालय में आंकड़े इकटठ करन का प्रश्न है। फिर

भी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने अब संसद् के समक्ष एक विधेयक रखा है, जो औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के लिये अपेक्षित आंकड़े भेजना अनिवार्य बना देगा।

(ग) आवश्यकता होने पर आर्थिक नीति से सम्बन्धित मामले उन के पास भेजे जातें हैं।

(घ) आर्थिक कार्य विभाग में आर्थिक परामर्शदाता का स्थान हाल ही में मंजूर किया गया है और नियुक्ति हाल ही में हुई है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में आजकल कोई भी आर्थिक परामर्शदाता नहीं है, पर दो सहायक आर्थिक परामर्शदाता हैं।

(ङ) नहीं। वित्तीय परामर्शदाता सीधे-सीधे सचिव, राजस्व तथा व्यय विभाग के अधीन हैं, जब कि विविध विभागों तथा मंत्रालयों के आर्थिक परामर्शदाता सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के सीधे सीधे अधीन नहीं हैं। वित्तीय परामर्शदाताओं और आर्थिक परामर्शदाताओं के कृत्यों में एक अंतर है। सरकारी व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में पहले के कुछ कार्यकारी उत्तरदायित्व हैं, जब कि दूसरा केवल परामर्शदाता ही है और कुछ कार्यकारी उत्तरदायित्व नहीं रखता। विभिन्न मंत्रालयों में विद्यमान आर्थिक कर्मचारियों द्वारा दिए गए परामर्शों का आर्थिक कार्य विभाग को पता चल जाता है, यदि उन का सम्बन्ध बृहत्तर नीति सम्बन्धी विषयों से हो।

(च) भाग (ख) तथा (ङ) में उठाई गई बातों के सम्बन्ध में स्थिति साधारणतः संतोषप्रद है : समय समय पर अपेक्षित सुधारों पर सरकार विचार करेगी।

खनिज रियायत नियम

१२५३. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या खनिज रियायत नियमों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में सरकार को कुछ अभ्यावदन मिले हैं ?

(ख) यदि मिले हैं, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख)। नहीं श्रीमान्।

कच्छ राज्य में मंदिर प्रवेश के लिए यात्रियों पर कर

१२५४. **श्री जसानी :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कच्छ राज्य में नारायण सरोवर और कोटेश्वर में एक मंदिर है ?

(ख) क्या यह सच है कि उस मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करने पर यात्रियों को कुछ कर देना होता है ?

(ग) क्या कच्छ राज्य के मुख्यायुक्त को नखतराना (कच्छ राज्य) ताल्लुक कांग्रेस समिति के सचिव से एक आवेदन मिला है, जिस में इस कर को समाप्त करने का अनुरोध किया गया हो ?

(घ) यदि हां, सरकार द्वारा इस विषय में क्या पग उठाए गए हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) हां।

(ख) हां।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खनिजों के मूल्य

१२५५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री क्रमशः १९५१–५२ और १९५२–५३ में भारत में उत्पादित खनिजों का कुल मूल्य बतलाने की कृपा करेंगे ?

प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :

संचालक, भारतीय भूतत्वीय परिमाप द्वारा दिया गया एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४४**].

राज्य वित्तीय निगम

१२५६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन राज्य-सरकारों ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ में निर्दिष्ट राज्य वित्तीय निगम बना लिए हैं ;

(ख) प्रत्येक की अधिकृत तथा प्रार्थित पूंजियां कितनी हैं; तथा

(ग) कौन कौन राज्य सरकारें जिन्हों ने अब तक ऐसे वित्तीय निगम नहीं बनाए हैं, निकट भविष्य में उन को बनाने का विचार कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) अब तक केवल पंजाब सरकार ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ के अधीन एक वित्तीय निगम स्थापित किया है।

(ख) पंजाब वित्तीय निगम की अधिकृत पूंजी दो करोड़ रुपए निश्चित की गई है । निगम पहले-पहले एक करोड़ रुपए की पूंजी निर्गमित करना चाहता है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्न राज्य-सरकारें वित्तीय निगम स्थापित करने का विचार कर रही हैं:—

(१) बम्बई ।

(२) उत्तर प्रदेश ।

(३) त्रावणकोर कोचीन ।

(४) हैदराबाद ।

(५) मैसूर ।

(६) पश्चिमी बंगाल ।

(७) सौराष्ट्र ।

भाग 'ग' राज्यों के व्यक्तियों का प्रशिक्षण

१२५७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर, त्रिपुरा, कच्छ और विलासपुर के कितने सरकारी कर्मचारी राज्यों के एकीकरण के बाद से अब तक राज्य के भीतर या बाहर विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं;

(ख) उन के प्रशिक्षण की शर्तें और निबन्धन; तथा

(ग) क्या प्रशिक्षणार्थियों का सारा व्यय सरकार द्वारा झेला जाता है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४५**]

हिन्दी का प्रचार

१२५८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९५२ में अहिन्दीभाषी राज्यों में राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार के लिए क्या-क्या और कहां कहां प्रयत्न किए थे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : १९५२–५३ में केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली को आगरा में हिन्दी अध्यापकों का एक ऐसा प्रशिक्षण विद्यालय खेलने के लिए १०,००० रुपए का एक अनुदान दिया था, जिस में अधिकांश छात्र अहिन्दीभाषी क्षेत्रों से लिए जाएं ।

हिन्दी के मौलिक ग्रंथों तथा अन्य भाषा से हिन्दी में किए गए अनुवादों के लिए २९,००० रुपए के पुरस्कार दिए गए थे । ये पुरस्कार हिन्दीभाषी तथा अहिन्दीभाषी दोनों ही क्षेत्रों के व्यक्तियों को दिए जाते हैं।

उड़ीसा, आसाम, बंगाल और महाराष्ट्र चार अहिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षा केन्द्र खोलने की एक योजना तैयार की जा रही है जो विद्यमान आयव्ययक-वर्ष में चलाई जाएगी ।

हिन्दी प्रचार में लगे हुए संघों को ७५,००० रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी ।

विभाजन पूर्व की पेंशनों का हस्तांतरण

१२५९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विभाजन-पूर्व की पेंशनों का पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान को हस्तांतरण अब भी अप्रैल, १९४९ के अन्त:-औपनिवेशिक समझौते के पदों के अनुसार ही नियमित होता है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हां ।

मनीपुर में मकान कर

१२६०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की पहाड़ियों के गांवों और मकान मालिकों की कुल संख्या और उन से प्रति वर्ष लिए जाने वाले कर की कुल राशि;

(ख) उन खुल्लकपास विंगथोन, और गोबुरों की संख्या , जिन को कम से कम तीस कर वाले मकानों के मालिक होने के कारण पुरस्कारस्वरूप लाल कंबल दिए गए थे; तथा

(ग) १९४९ से अब तक निपटाए गए उन विवादों तथा अभी अदालतों में पड़े हुए उन मामलों की संख्या, जो लाल कंबलों के पुरस्कारों से सम्बन्धित हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

लाइसेंस-रहित बंदूकों की वापसी

१२६१. **श्री बीरेन दत्त** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा सरकार ने सभी प्रकार की लाइसेंस रहित बन्दूकों को वापस करने के लिए आदेश निकाले हैं और ऐसी बन्दूकों के मालिकों से उन के लिए उचित लाइसेंस लेने के लिए कहा है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी बन्दूकें वापस की गई हैं ?

(ग) सरकार द्वारा कितनी बन्दूकें पकड़ी गई हैं ?

(घ) हथियार लौटाने वाले कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए हैं ?

(ङ) बन्दूकों के लाइसेंस लेने के लिए त्रिपुरा सरकार के पास कितने आवेदन आए हैं ?

(च) क्या सरकार किसानों को अधिक लाइसेंस देना आवश्यक समझती है, क्योंकि अरक्षित रहने पर जंगली जानवर उन की अधिकांश फसलें विनष्ट कर डालते हैं ?

(छ) क्या सरकार उन बन्दूक वालों को कुछ क्षतिपूर्ति दे रही है, जिन की बन्दूकें छीन ली गई हैं और फिर वापस नहीं दी गई हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (श्री काटजू) : (क) हां । १९ मार्च, १९५१ को एक आदेश निकाला गया था ।

(ख) बिना-लाइसेंस वाली कोई भी बन्दूक लौटाई नहीं गई है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है, और प्राप्त होने पर सदन-पटल पर रखी जाएगी ।

(घ) भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

(च) सुपात्रों को लाइसेंस दे दिए जाएंगे ।

(छ) क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

संगीत नाटक अकादमी

१२६२. **श्री केलप्पन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है; और

(ख) साहित्य अकादमी और कला अकादमी कहां स्थापित करने का विचार है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) यह नई दिल्ली में स्थित है ।

(ख) साहित्य अकादमी तथा कला-अकादमी के क्रमानुसार विधान तथा विधान के प्रारूप में कहा गया है कि उन के प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में हों ।

मनीपुर के जंगल

१२६३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में जंगलों का सम्पूर्ण क्षेत्रफल और सरकारी संचित जंगलों का क्षेत्रफल क्या क्या है;

(ख) इन जंगलों का वार्षिक व्यय और आय क्या क्या है;

(ग) मनीपुर के जंगलों में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य वृक्ष तथा पदार्थ पाये जाते हैं; तथा

(घ) इन जंगलों के विकास के लिए सरकार की वर्तमान तथा भावी नीति क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) मनीपुर में समस्त जंगलों का क्षेत्रफल २,२५० वर्ग मील । सरकारी संचित जंगल—३२९ वर्ग मील ।

(ख) औसत वार्षिक व्यय—५८,४६७ रुपये । औसत आय—केवल १,५९,०१५ रुपये ।

(ग) एक विवरण जिस में महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य वृक्षों तथा पदार्थों के नाम दिये गये हैं सदन पटल पर रखा गया है ।

(घ) संचित जंगलों के क्षेत्रफल को राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के १० से १५ प्रति शत तक बढ़ाने का उद्देश्य है ।

विवरण

मनीपुर के जंगलों में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य वृक्षों तथा पदार्थों के नाम

देशीय नाम	वनस्पति शास्त्र सम्बन्धी नाम
१. चाम	आर्टोकार्पस चपलाशा
२. चम्पा	मेचेलिया चम्पिका
३. गामैर (बंग)	मेलिना आरबोरिया
४. राता	डिसोक्सीलम बिनेटेरी-फेरम
५. तैराल (बी० पोमा)	काड्रेला टूना
६. झलना	टर्मीनालिया मकरोकार्पा
७. जाम	ऐन्जीनिया जम्बोलाना
८. जरोल	लगेरस्ट्रोमिया फ्लोस-रेजिना
९. रमदाला (ताल)	द्वाबंगा-सोनारटीसाइड्स
१०. हल्दू	अदिना कोर्डीफोलिया
११. बोन्सम (यूनिन्गथो)	फोबे एक्टूनिटा
१२. कठल	आर्टोकार्पस इन्ट्रेग्री-फोलिया
१३. पाइन (उचल)	पिनस खासिया
१४. परेंग	अलनूस नपलेनसिस
१५. सिमल	वोमबक्स मलाबरिकम
१६. तुला	विमबक्स इनसाइन

१७.	जिनारी (नाऊ)	पोडो कार्पस नेरिफोलिये
१८.	पिंग (ननूप)	सिनोमेट्रा पोलिन्ड्रा
१९.	वील, खाल	ग्रलबिज़िय प्रोकेरा
२०.	युंग	कुर्कस ग्रिफ़िथी
२१.	शाही, कुही	कास्टनोपसिस हिस्ट्रिक्स
२२.	नगेश्वर	मेस्वा फेरिया
२३.	चिंगशू (टीक)	वाणिज्य-मात्रा में उपलब्ध नहीं है ।
२४.	उशोई (गोगरा)	चाइमा वलिची
२५.	सोनारू (चाहुई)	कासिस फिस्तुला
२६.	गुरजन (यान्गो)	डिपटेरोकार्पस टर्बीनेटस
२७.	गन्दरोई (यमस्तू)	सिनामस सेसिडेपून
२८.	खंगला (इन्गा-बर्मीज़)	डिपटेरोकार्पस टर्बीनेटस
२९.	ख्यू (थिट्सी बर्मीज़)	मेलोनोहुग्रा उसीटटा

ग्रादि, ग्रादि । ग्रन्य छोटे मिलने वाले पदार्थ बांस, बेंत, ग्रगर, धुना, चलमूगरा, हरताकी, सिमुल, कपास, ग्रादि हैं।

सिकन्द्राबाग उद्यान लखनऊ का विकास

१२६४. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सिकन्द्राबाग उद्यान, लखनऊ का राष्ट्रीय वनस्पति-उद्यान के रूप में विकास करने का है ?

(ख) उस उद्यान का विकास करने का ढंग क्या होगा ?

(ग) उस विकास की ग्रनुमानित लागत क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). एक विवरण जिस में ग्रपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४६**]

चारे का ग्रभाव

१२६५. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **राज्य** मंत्री १९ फरवरी १९५३ को चारे के ग्रभाव के सम्बन्ध में पूछे गये ताराहीन प्रश्न संख्या १८१ के उत्तर का निर्देश करने ग्रौर यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पशुग्रों की मत्यु के ग्रांकड़ों के साथ इम्फाल के लोगों के किसी वर्ग से लम्फैलपट में ग्रौर उस के ग्रास पास पशुग्रों के ग्रसामयिक मरने के सम्बन्ध में कोई ग्रभ्यावेदन प्राप्त हुग्रा है;

(ख) यदि हुग्रा है तो क्या सूचना की सत्यता का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई घटना-स्थल पर जांच की है;

(ग) क्या पशुग्रों की ग्रसामयिक मृत्युग्रों की जांच करने के लिए कोई उत्तरदायी ग्रधिकारी प्रति नियुक्त किया गया था; तथा

(घ) यदि किया गया था तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (घ) . १० फरवरी १९५३ का एक ग्रभ्यावेदन प्राप्त हुग्रा था जिस में लम्फैलपट की पशुचर-भूमि में ग्रौर उस के ग्रास पास ३,००० पशुग्रों की मृत्यु का दोष लगाया गया था । फिर भी यह कहा जाता है कि उस प्रदेश में पशुचर-भूमियों की कमी नहीं है ग्रौर न ही राज्य-ग्रधिकारियों को इस से पूर्व महामारी फैलने ग्रथवा चारे के ग्रभाव की कोई सूचना मिली थी । फिर भी, विस्तारपूर्ण जांच पड़ताल हो रही है ग्रौर परिणाम, जब प्राप्त होंगे, सदन पटल पर रखे जायेंगे ।

पहाड़ी जातियों के प्रथात्मक नियम

१२६६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के स्वायत्त ज़िलों में न्याय सम्बन्धी मामलों में पहाड़ी जातियों के प्रथात्मक नियमों का किस सीमा तक पालन करने की अनुमति है;

(ख) क्या उपरोक्त कथित स्वायत्त ज़िलों से आसाम के उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील स्वीकार होती हैं;

(ग) यदि होती हैं तो १९५० के पश्चात् दोनों न्यायालयों में कितनी अपील लेख्यगत की गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत सरकार की नीति पहाड़ी जातियों के विभिन्न प्रथात्मक नियमों को एक किस्म के एकरूप-नियम बनाने की है; तथा

(च) यदि है तो इस दशा में सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (च). मैं माननीय सदस्य का ध्यान संविधान की छटी अनुसूची के बारहवें पैराग्राफ़ की ओर आकर्षित करता हूं जिस में स्वायत्त ज़िलों तथा स्वायत्त प्रदेशों में संसद् तथा राज्य विधान मंडल के अधिनियमों के लागू होने के क्षेत्र की परिभाषायें दी हुई हैं। इस पैराग्राफ़ के प्रावधानों के अन्तर्गत यह राज्य सरकार की इच्छा पर है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि पहाड़ी जातियों के प्रथात्मक नियमों को क्रियात्मक रूप में समस्त न्याय सम्बन्धी मामलों में लागू होने की अनुमति प्राप्त हो। केवल बहुत गम्भीर मामलों का ही, जैसे कि हत्या आदि, दण्ड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों के अनुसार निर्णय किया जाता है। ऐसे मामलों की अपील, सामान्य क्रम में उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में की भी जा सकती है।

क्योंकि यह मामला मूलतः राज्य सरकार से सम्बन्धित है अतः भारत सरकार के पास इस की और अधिक सूचना नहीं है।

आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में आंधियां

१२६७. **श्री अमजद अली** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में आने वाली आंधियों के विषय में २५ मार्च, १९५३, को पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न के प्रति दिए गए उत्तर की ओर निर्देश करते हुए बतलाने की भी कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि एक वायुयान अगरटाला के पास आंधी की लपेट में आ गया था जिस से कितनी ही तो जानें गईं और वायुयान भी नष्ट हुआ; तथा

(ख) आसाम के वासियों को हुई उस हानि का अनुमान जिन की सूचना प्राप्त हो चुकी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) इस घटना के सम्बन्ध में अभी तक जांच चल रही है जिस का उद्देश्य यह पता चलाना है कि क्या वह ऋतु की परिस्थितियों के कारण हुई।

(ख) १३ मार्च, १९५३, को आसाम में आंधियों द्वारा हुई हानि के सम्बन्ध में पूरा ब्योरा अभी प्राप्य नहीं है क्योंकि पर्यालोकन अभी तक चल रहा है। राज्य सरकार को अभी तक प्राप्त हुए सम्वादों से यह जान पड़ता है कि २५ मनुष्यों तथा ३५ पशुओं की जानें गई हैं। हज़ारों फलदार वृक्ष, विशेषकर सुपारी और नारियल के वृक्ष, उखड़ गए हैं। कुछ तार तथा टेलीफोन सम्बन्धों को छोड़ कर जो टूटने के तुरन्त पश्चात ही ठीक कर दिए गए थे अन्य संचरण के बारे में किसी बिगाड़ का सम्वाद प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग पांच हज़ार

मकान गिर गए हैं और सैकड़ों जन-संस्थाओं अर्थात् स्कूल के भवनों, हस्पतालों, डिस्पेंसरियों इत्यादि को हानि हुई है। लगभग बीस हज़ार लोग बेघर हो गए हैं। राज्य सरकार का निर्माण विभाग आंधियों के कारण नष्ट-भ्रष्ट हुए सरकारी भवनों की मरम्मत अथवा पुर्ननिर्माण के लिए कार्यवाही कर रहा है। स्थानीय तथा नगर बोर्ड भी अपने भवनों की मरम्मत में लगे हुए हैं।

खड़ी फसलों को हुई हानि कुछ इतनी अधिक नहीं थी परन्तु बाद में २० तथा २१ मार्च को होने वाली ओलों की वर्षा ने उन्हें काफी हानि पहुंचाई है। सम्पत्तियों को हुई हानि का अनुमान एक करोड़ रुपये है।

चावल, चीरामूड़ी, कम्बल के रूप में तथा नगद सहायता दान समय पर दे दिया गया था और सुयोग्य प्रकरणों में अब भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार अब तक राजपाल की आसाम भौंचाल सहायता निधि में से अठाईस हज़ार रुपये के सहायता-दान की स्वीकृति दे चुकी है और जनता से चन्दा एकत्रित कर के परिस्थिति को सम्भाला जा रहा है।

हिन्दी भाषा का मौलिक व्याकरण

१२६८. **श्री के० सी० सोधिया** : शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हिन्दी भाषा के एक मौलिक व्याकरण की रचना के हेतु किसी बोर्ड की नियुक्ति करने जा रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : हिन्दी शिक्षा समिति, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई मंत्रणादात्रि संस्था, की सिपारिशों के अनुसार हिन्दी भाषा के मौलिक व्याकरण के सम्बन्ध में एक उप-समिति बनाई जा चुकी है जो १९५२ तथा १९५३ में समवेत हो चुकी है।

चित्तौड़ दुर्ग

१२६९. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : (क) शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राजस्थान स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित कर दिया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या इसे पूर्णतः सम्भाल लिया गया है ?

(ग) यदि नहीं तो कब तक ऐसा होने की आशा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) सम्भालने का कार्य पूर्ण हो रहा है।

(ग) शीघ्र ही।

राजस्थान में आर्थिक पिछड़ापन

१२७०. **श्री गिडवानी** : (क) राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राजस्थान व्यापार मंडल ने सरकार से प्रार्थना की है कि सौराष्ट्र के आर्थिक पिछड़ेपन की जांच सम्बन्धी प्रस्तावित समिति के पृच्छा-विषयों का विस्तारण कर के सभी भाग 'ख' राज्यों को उन के अन्दर लाया जाय, विशेषकर राजस्थान को जो कि इन में सब से अधिक पिछड़ा हुआ राज्य है ?

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान व्यापार मंडल की उक्त प्रार्थना पर विचार किया है ?

(ग) यदि किया है तो क्या निर्णय हुआ है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). मंडल ने यह अभ्यावेदन किया था कि प्रस्तावित जांच केवल सौराष्ट्र के लिए ही नहीं वरन् राजस्थान, मध्य भारत तथा पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ के लिए भी करवाई जाए।

(ग) सरकार ने इस समस्या की जांच के लिए श्री एन० वी० गाडगिल, संसद् सदस्य, की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। आशा है कि समिति अपना काम आगामी मास के प्रारम्भ में करने लगेगी।

मौलिक शिक्षा के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु सहायता

१२७१. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पंजाब सरकार को मौलिक शिक्षा के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु कोई सहायता दी है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : १९४९-५० में पंजाब सरकार को मौलिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु ६०,००० रुपये की राशि दी गई थी। उस के बाद इस प्रयोजन के लिए कोई अनुदान नहीं दिए गए हैं।

पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या

१२७२. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पूर्ण संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, मुख्य न्यायाधीश सहित, ७ है।

कोहीमा और मणिपुर में सैनिकों की कब्रें

१२७६. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत महायुद्ध में काम आए सैनिकों की कब्रों की कितनी संख्या कोहीमा और मणिपुर में रक्षित रखी गई; तथा

(ख) उक्त दोनों क्षेत्रों में जिन सैनिकों की कब्रें रक्षित रखी गई वह कहां कहां के नागरिक थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ३८०९।

(ख) भारतीयों की कब्रों के अतिरिक्त कोहीमा और मणिपुर के युद्धकालीन कब्रिस्तानों में यू० के०, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बर्मा, चीन, पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीका और रोडेशिया के सैनिकों की कब्रें हैं। कुछ कब्रें ऐसे व्यक्तियों की भी हैं जिन के सम्बन्ध में यह ज्ञात नहीं है कि वह कहां के नागरिक थे।

काश्मीर तथा विदेशों को ऋण

१२७४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के कुल ऋण जो ३१ मार्च, १९५३, को (१) काश्मीर, (२) नेपाल तथा (३) अन्य विदेशों से, यदि कोई हों तो, लेने निकलते हैं; तथा

(ख) इन में से प्रत्येक ऋण की शर्तें ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में ब्योरा दिया गया है सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४७**]

वायु सेनाओं के लिए भर्ती का केन्द्र

१२७५. **श्री झूलन सिन्हा** : रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार में वायुसेवाओं के लिए कोई भर्ती का केन्द्र है; तथा

(ख) यदि नहीं तो क्या नवयुवकों की वायु-सेवाओं में भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए वहां इस प्रकार का केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). भारतीय वायु सेना के भर्ती के केन्द्र प्रादेशिक आधार पर स्थापित हैं न कि राज्यों के आधार पर, गंगा के दक्षिण में स्थित बिहार का भाग कलकत्ता के आई० ए०

एफ० भर्ती केन्द्र के अधीन है और उत्तरी भाग कानपुर के भर्ती केन्द्र से सम्बद्ध

सरकार का विचार है कि उपलब्ध निधि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए पृथक आई० ए० एफ० भर्ती केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं होगा। परन्तु पटना स्थित स्थल सेना भर्ती कार्यालय आई० ए० एफ० भर्ती केन्द्रों को बिहार राज्य से वायु सेना के लिए भर्ती करने के सम्बन्ध में सुविधाएं प्रदान करता है।

त्रिपुरा में भू-भाटक के बकाया की समाप्ति

१२७६. **श्री दशरथ देव** : (क) **राज्य** मंत्री उन आवेदनों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जो त्रिपुरा सरकार को अब तक प्राप्त हो चुकी हैं तथा जिन का आशय भू-भाटक के बकाया की समाप्ति करवाना है ?

(ख) क्या अभी हाल में जब मुख्यायुक्त ने कल्यानपुर का दौरा किया था तो उस समय उन्हें कोई प्रतिनिधि मंडल यह मांग ले कर मिला था कि भू-भाटक के बकाया को समाप्त किया जाय ?

(ग) यदि ऐसा है तो मुख्यायुक्त द्वारा इस विषय में क्या पग उठाए गए ?

(घ) सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (घ). यह सूचना संग्रह की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय डिपलोमा तथा सर्टीफ़िकेट का पाठ्यक्रम

१२७७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन छात्रों की कुल संख्या जो १९५२–५३ में विभिन्न राष्ट्रीय डिपलोमा तथा सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में बैठे थे, जिस के लिए अखिल भारत प्रविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा पूर्ण योजनाएं तय्यार की जा चुकी हैं; तथा

(ख) उन संस्थाओं के नाम जिन्हों ने इन छात्रों को तय्यार किया तथा प्रत्येक संस्था में लिए गए छात्रों तथा विषयों की संख्या ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख) . एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन-पटल पर रखा जाता हैं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४८]**

त्रिपुरा के स्कूल

१२७८. **श्री दशरथ देव**: (क) क्या **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में सरकारी तथा असरकारी सैकंडरी स्कूलों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) असरकारी सैकंडरी स्कूलों में से कितने सम्बद्ध हैं ?

(ग) उन में से प्रत्येक को प्रति वर्ष कितनी राजकीय सहायता दी जाती है ?

(घ) क्या उक्त असरकारी स्कूलों द्वारा सरकार को कोई अभ्यावेदन इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उन्हें पूर्ण सहायता दी जाए ?

(ङ) यदि हुआ है तो उस का क्या परिणाम रहा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) ३४ और ४०, क्रमानुसार।

(ख) ३३।

(ग) (१) ५० रुपया प्रति मास की दर से १५ हाई स्कूलों को ;

(२) ७५ रुपया प्रति मास की दर से २ लड़कियों के हाई स्कूलों को ;

(३) १०० रुपये प्रति मास की दर से एक लडकियों के हाई स्कूल को ;

(४) ४० रुपये प्रति मास की दर से १७ मिडल स्कूलों को ; तथा

(५) ३० रुपये प्रति मास की दर से एक मिडल स्कूल को।

(घ) तथा (ङ). सभी असरकारी स्कूलों की ओर से कोई संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु सरकार ने पहले से ही पश्चिमी बंगाल सहायता नियमों के आधार पर नियमों की रचना की सम्भावना का निरीक्षण करने के लिए कार्यवाही की हुई है।

भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास

१२७९. **बाबू रामनारायण सिंह** : **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष के इतिहास लिखने वाली समिति के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया है;

(ख) क्या उक्त समिति का कोई सदस्य कांग्रेस आन्दोलन के अतिरिक्त आन्दोलनों से सीधा सम्बन्ध रखता था;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इसी नाम की नई हिन्दी पुस्तक तथा इसी विषय पर अन्य पुस्तकों की ओर दिलाया गया है; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो इन पुस्तकों के लेखकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उठाए गए पग ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास की रचना के लिए सम्पादक मंडली के सदस्यों का चुनाव उन के इतिहास के ज्ञान तथा / अथवा उक्त आन्दोलन से सम्बन्ध के आधार पर किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) मंडली के सदस्यों को कुछ एक लेखकों का सम्पर्क प्राप्त है।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
२९ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार २९ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-३० म० पू०

वायु निगम विधेयक

याचिकाओं पर समिति का प्रतिवेदन

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं वायु निगम विधेयक १९५३ पर याचिकाओं की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

रक्षित तथा सहायक विमान सेना बल अधिनियम के नियम

रक्षा उप-मंत्री (सरदार मजीठिया) : मैं, रक्षित तथा सहायक विमान सेना बल अधिनियम १९५२ की धारा ३४ की उप-धारा (४) के अनुसरण में भारत सूचना पत्र संख्या एस० आर० ओ० १७५ दिनांक २५ अप्रैल १९५३ में प्रकाशित रक्षित तथा सहायक विमान सेना बल विधेयक के नियम

१९५३ की एक प्रति पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये सं० एस० ३८/५३]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ को संशोधित करने के विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सेवा की शर्तें) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री सी० डी० देशमुख द्वारा २८ अप्रैल १९५३ को किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :—

"कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सेवाओं की कतिपय शर्तों का नियंत्रण करने वाले विधेयक को विचाराधीन लाया जाए।"

श्री के० सी० सोधिया : श्रीमान् एक औचित्य प्रश्न है। जिस सदस्य को बोलने के लिये कहा गया है उन्होंने विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और वे विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने के

[श्री के० सी० सोधिया]

लिए बोल रहे हैं। मैं विधेयक के सिद्धान्त के विरुद्ध बोलना चाहता हूं। जिस से मुझे पहले बोलने देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी सदस्य विधयक को सीधा विचाराधीन लाने के प्रस्ताव का संशोधन प्रस्तुत कर सकता है और उस संशोधन के समर्थन में बोल सकता है। माननीय सदस्य को जब बुलाया जाएगा तो उन्हें विधेयक का सैद्धान्तिक विरोध करने का भी अवसर मिल जाएगा।

श्री बल्लाथरास : उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के अनुसार सरकार की इच्छा यह है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पदावधि उसी प्रकार निश्चित की जाए जैसे कि संघ तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के अनुविहित प्राधिकारियों की है। इस विवरण में कहा गया है कि क्योंकि पद के महत्व का ध्यान रखते हुए उन्हें पद छोड़ने पर सांवैधानिक रूप से संघ अथवा राज्य सरकारों को कोई पद स्वीकार करने से मना कर दिया गया है। उन्हें सेवा के लिए अतिरिक्त पैन्शन दी जानी चाहिये। इस प्रकार विधेयक पदाधिकारी को कुछ समय और सेवा में रख कर अतिरिक्त पन्शन का लाभ देना चाहता है। यदि सरकार की यह इच्छा है तो मैं इस का स्वागत करता हूं। कारणों और उद्देश्यों के विवरण में यह भी कहा गया है कि वर्तमान उपबन्धों के अधीन नियंत्रक महालेखा परीक्षक को यदि वह भारतीय लोक सेवा का सदस्य हो तो सेवा के ३५ वर्ष पूरे करने पर और यदि वह अन्य सेवा का सदस्य हो तो ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् और किसी भी मामले में ५ वर्ष की न्यूनतम पदावधि के पश्चात् पद छोड़ना होगा। वर्तमान पदाधिकारी भारतीय लोक सेवा का अधिकारी नहीं है और यदि मैं ठीक कहता हूं तो वह ५९ अथवा ६१ वर्ष की आयु का है। १:४८ से पूर्व गवर्नर जनरल महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता था परन्तु १९५० से जब से संविधान प्रवृत हुआ है स्थिति सर्वथा बदल गई। पद के नाम में नियंत्रक की वृद्धि के साथ इस पद का महत्व बढ़ गया है और यह नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। परन्तु इस पद की महत्ता वास्तविक नहीं बन सकी क्योंकि संविधान में उस की सेवाओं की शर्तों अर्थात् निवृत्ति की आयु वेतन इत्यादि के सम्बन्ध में स्पष्ट उपबन्ध नहीं किये गये।

संविधान में पांच अनुविहित पद हैं अर्थात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्यपाल तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक।

यदि आप इन पदों को लें तो प्रत्येक सम्बन्ध म स्पष्ट उपबन्ध विद्यमान हैं। उदाहरणतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति की निवृत्ति की आयु ६५ वर्ष है। मेरा विचार है कि सरकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सम्बन्ध में भी निवृत्ति की आयु निश्चित करना चाहती है, परन्तु यदि वस्तुतः यह इच्छा है तो अपनाई गई प्रक्रिया द्वारा यह दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की ६५ वर्ष की आयु अथवा ६ वर्ष सेवा की प्रत्यभूति है। राज्यपाल को ३५ वर्ष से ऊपर होना चाहिये और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। निर्वाचन आयुक्त के संबंध में उस के पद और वेतन की शर्तें राष्ट्रपति के आदेश अधीन नियमों से नियंत्रित होती हैं। इस प्रकार इन सब अनुविहित पदों की अर्हताएं और आयु संबंधी सीमा और सेवा की शर्तें स्पष्टतया उपबन्धित हैं।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सम्बन्ध में संविधान ने यह सब निश्चित नहीं किया। परन्तु अनुच्छेद १४८ (५) में कहा गया

ह कि संसद उस की सेवाओं की शर्तों के संबंध में विधि बनायेगी । ३ वर्ष पश्चात हम इस पद की शर्तों को स्थिर करने के बारे में सुन रहे हैं । यह खेदजनक है । इतना समय न जाने क्या होता रहा है । और न जाने अब सरकार को इस विधेयक की प्रेरणा कैसे मिली है । विधेयक पर मेरा मुख्य आरोप यह है कि यह अपूर्ण है, स्थानीय है, अस्पष्ट है और शीघ्रता से लाया गया है । क्योंकि वर्तमान पदाधिकारी की पदावधि समाप्त होने वाली है इस लिए इसे पुरःस्थापित किया गया है ।

यह विधेयक अस्पष्ट इसलिए है कि इस में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अर्हताएं नहीं दी गई । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं संविधान में दी गई हैं कि उसे कुछ वर्ष से अधिक का होना चाहिये । उस के पदाधिकार का आरक्षण भी किया गया है कि उसे तब तक पदाधिकार से नहीं हटाया जा सकता जब तक संसद् उसके सदाचार अथवा असमर्थता पर विचार करके निर्णय न दे दे । नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद को भी इस स्तर पर लाना चाहते हैं परन्तु उस के लिए उपबन्ध विद्यमान नहीं ।

संविधान बनान के समय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अर्हताओं के संबंध में प्रश्न उत्पन्न हुआ था परन्तु हमारे वर्तमान माननीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति उस पद को धारण कर रहे हैं उन में सब योग्यताएं हैं । योग्यतायें निर्धारित करने के लिए एक अन्य सदस्य के प्रयत्न असफल हुए और इस प्रकार ये निर्धारित न की जा सकीं । परन्तु अब समय है कि वे योग्यताएं निश्चित की जाएं ।

वर्तमान विचार विनिमय से तीन बातें उत्पन्न होती हैं । इस पद के लिए व्यक्ति लेखा परीक्षण विभाग अथवा लेखा विभाग से किया जा सकता है । इस पद को धारण करने पर वह सामान्य प्रशासन के ढांचे से निकल जाएगा और राष्ट्रपति के नियंत्रण अधीन आ जाएगा । सरकारी अधिकारी होने के नाते उस पर अनुशासन संबंधी नियंत्रण रखने की आशा की जा सकती है । परन्तु यदि राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करे और संविधान में राष्ट्रपति के ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है, उस व्यक्ति पर अनुशासन सम्बन्धी नियंत्रण रखना कठिन है । तब अनुच्छेद १४८ का उपबन्ध ही नियंत्रक है जो केवल सिद्ध कदाचार और असमर्थता पर प्रवृत्त हो सकता है ।

मैं लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित उपबन्धों की ओर निर्देश करना चाहता हूं । उस आयोग में कुछ सदस्य सरकारी तथा कुछ गैर सरकारी होते हैं । गैर सरकारी सदस्यों के होने के कारण राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि दिवालिया अथवा पागलपन के आधार पर अथवा उस द्वारा अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अन्य नौकरी करने पर वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पदच्युत कर सकता है । हमें उन सब मामलों पर विचार करना चाहिये जो ऐसा व्यक्ति नियुक्त करने से उत्पन्न हो सकते हैं, जो सरकारी सेवा में न हो, पहले कभी सरकारी सेवा में न रहा हो, पदनिवृत्त हुआ हो अथवा उस की कुछ विशष सेवाएं हों ।

दूसरी विचारणीय बात यह है कि ६ वर्ष की पदावधि क्यों रखी गई है । क्या यह केवल इसलिए कि वर्तमान पदाधिकारी को एक वर्ष का काल और देना है । विधेयक में निर्देशित पांच वर्ष का नियम मैं नहीं समझ

[श्री वल्थलारास]

सका। दो प्रकार के अधिकारी हैं; भारतीय लोक सेवा के महान अधिकारी और वे जो भारतीय लोक सेवा के अधिकारी नहीं। जब किसी जिला का भाग जिलाधीश के अधीन रखा जाता है तो उस के कर्त्तव्य भी उतने ही कठिन होते हैं जितने एक भारतीय लोक सेवा के अधिकारी के। परन्तु दोनों के वेतन में भेद रखा जाता है। भारतीय लोक सेवा के अधिकारियों को ३५ वर्ष तक सेवा में रहना होता है, चाहे उस की आयु ९० तक हो जाए। जो भारतीय लोक सेवा के अधिकारी नहीं उन्हें ५५ वर्ष की आयु पर सेवा से निवृत्त होना होता है। भारतीय लोक सेवा के अधिकारियों को यह पांच वर्ष का काम क्यों दिया जाता है यह मुझे ज्ञात नहीं। इस कारण मैं नहीं जानता कि जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबद्ध ऐसा ५ वर्ष का उपबन्ध नहीं तो कारणों और उद्देश्यों के विवरण में इस ओर क्यों निर्देश किया गया है।

विधेयक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की तिथि की गणना १५-८-१९४८ से करना चाहता है। मेरे विचार में यह गलत है। नवम्बर १९५० में भारत के संविधान के पारित होने पर उस की प्रतिष्ठा का निर्णय किया गया और उस का वेतन निर्धारित किया गया। इस प्रकार व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये संविधान के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की तिथि को लेना चाहिये। संभवत: नवम्बर १९४८ अथवा इस के कुछ पश्चात वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने शपथ ली थी। अनुच्छेद १४८ में कहा गया है कि उसे हानि पहुंचाने वाली किसी बात का पुन:स्थापन नहीं किया जाएगा। इसलिये सांवैधानिक आधार पर उसे लाभ पहुंचाने के लिए ही उपबन्ध करना चाहिये। यदि उस की नियुक्ति उस तिथि से ली जाए जब राष्ट्रपति ने उसे नियुक्त किया तो ६ वर्ष की पदावधि की उस तिथि से गणना की जाएगी। तब पदावधि में जिस वृद्धि की अपेक्षा की गई है वह भी पूरी हो जाएगी।

न जाने किस कारण से सरकार ने संविधान में विहित ६५ वर्ष की आयु का लोभ करके ६ वर्ष की पदावधि को क्यों अपनाया है। प्रतीत होता है कि यह पैन्शन लाभ प्रदान करने के लिये है। इस समय उस की पैन्शन ८०० अथवा ९०० रुपया है। अधिकतम पैन्शन १००० है। ६ वर्ष की सेवा के पश्चात यह विधेयक के अनुसार ३६०० रुपये हो जाती है और इस की गणना के अनुसार १००० रुपये की पन्शन बन जाती है। इस आधार पर भी विधेयक की आवश्यकता नहीं। लोक सेवा आयोग और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के केस में निवृत्ति की आयु दी गई है तो विशेष इस केस में भेद क्यों। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण पद है और मैं ५५ वर्ष से ऊपर सेवा का समर्थन नहीं करता। तामिल में एक कहावत है कि ६० वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है।

६० वर्ष की आयु में विवाह की भांति एक उत्सव मनाया जाता है जिसे सष्टिअब्दा-पुरथी कहा जाता है। उस में पति पत्नी को बिठा कर चिर आयु के लिए शुभाषीश दी जाती है। और यह भी कहा जाता है संसार तुम्हारे अधीन रहा है इसलिए अब तुम मुक्त हो जाओ। इस अधिकारी का यह संस्कार अभी नहीं मनाया गया। नई संतति को अवसर प्रदान करने के लिये भी मैं ६० वर्ष से अधिक की आयु सीमा का विरोध करता हूं।

मान लीजिये सर्वोच्च न्यायालय के न्याया-धीश की नियुक्ति की जा रही है। प्रस्तुत नियम के अनुसार उसकी उम्र.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय की ओर जा रहे हैं। विषय तो नियंत्रक से संबंधित है।

श्री वल्लाथराम : मैं ६५ वर्ष की आयु-सीमा की ओर निर्देश कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान में आयु-सीमा ६५ वर्ष निश्चित की गई है। यदि माननीय सदस्य का विचार है कि नियंत्रक के सम्बन्ध में ६५ वर्ष की आयु उचित नहीं है तब उन्हें पैंतालीस अथवा पचास निश्चित कर देना चाहिये प्रश्न के दौरान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उल्लेख करना असम्बद्ध विषय है।

श्री वल्लाथराम : मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस के परे नहीं जाना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : वह वकील हैं।

श्री वल्लाथराम : अत्यधिक कोमलता भी स्पृहणीय है। हम यह जानना चाहते हैं कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वय-सीमा पैंसठ वर्ष क्यों निश्चित की गई है। ये सब विभाग अनुविद्यात्मक हैं। अतः इनका कारण बतलाने में किसी प्रकार की हानि नहीं है। जब यह माना गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश स्फूर्ति, स्वतन्त्रता, कुशलता और शक्ति के अभाव की अनुपस्थिति बिना काम कर सकता है तो नियंत्रक महोदय भी कर सकते हैं। वह भी एक टेकनिकल पदाधिकारी हैं। न्यायाधीश भी टेकनिकल पदाधिकारी है। न्यायाधीश को कानून का सर्वज्ञ और विभिन्न सेवाओं के सम्बन्ध में जानकारी युक्त होना चाहिये। नियंत्रक (कम्पट्रोलर) को भी लेखा परीक्षा आदि का विशेषज्ञ होना चाहिये। दोनों व्यक्तियों की आयु-सीमा निश्चित करने में अन्तर रखने का कोई आधार नहीं है। हमें इस दिशा में सार्वभौम नीति अपनानी चाहिये। किसी पदाधिकारी की आयु-सीमा पैंसठ निश्चित कर दी जाती है तथा इसके साथ ही संविधान की धारा १४४ उद्घोषित की जाती है कि पदाधिकारी की सेवा अवधि के मध्य ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायगा जिस से उसे हानि हो। इन सब बातों पर अवकाश की घड़ियों में गंभीरता एवं विस्तार के साथ विचार करना आवश्यक है। मेरा विचार है यह कार्य किसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मेरा यही सुझाव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय। आयु-सीमा पैंसठ वर्ष स्वीकार कर ली जानी चाहिये अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की गई तिथि अर्थात् १९४९ से अथवा १९५० से छः वर्ष की गणना कर ली जाय और उसे विधेयक में बढ़ा दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तावित किया गया :

"यह विधेयक श्री बी० दास, श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, श्री फ्रेंक एन्थोनी, श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन और संशोधन प्रस्तुत कर्ता की एक प्रवर समिति के पास ९ मई, १९५३ तक वृत्तान्त देने के अनुदेश सहित भेज दिया जाय।"

श्री के० सी० सोधिया : श्रीमान, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कल मैंने ध्यानपूर्वक माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुना किन्तु विधेयक के सिद्धान्तों के विषय में मैं सर्वथा अप्रभावित रहा।

सब से पहले उन्होंने कहा कि नियंत्रक महालेखा का कार्य अत्यन्त दुर्वह है। उन्होंने यह भी कहा कि 'ब' श्रेणी के राज्यों के विलीनीकरण से इस पद के उत्तरदायित्व में

[श्री के० सी० सोधिया]

बहुत अधिक वृद्धि हो गई है । किन्तु मैं कहता हूं कि विलीनीकरण से ऐसा कौन सा लग्नशील उच्च पदाधिकारी है जिसके उत्तरदायित्व में वृद्धि नहीं हुई है । प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रीगण--सब के कार्यों में आशातीत वृद्धि हुई है । इन पदाधिकारियों को अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत करने में उक्त तर्क सर्वथा प्रभावहीन हैं ।

वित्त मंत्री ने जो दूसरा कारण बताया है वह यह है कि अवकाश प्राप्त करने के पश्चात महालेखा नियंत्रक केन्द्र अथवा राज्य के किसी पद पर कार्य नहीं करेगा अतः उन्हें अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये काफी अच्छी पेंशन दी जानी चाहिये । महालेखा नियंत्रक अपनी पैंतीस वर्ष की सेवा के पश्चात् लगभग १०,००० रु० वार्षिक पेंशन प्राप्त करेंगे । क्या यह निधि किसी व्यक्ति को सब चिन्ताओं से मुक्त और प्रतिष्ठा युक्त जीवन व्यतीत करने के लिये कम है ? यदि हमारी सरकार का प्रतिष्ठा के विषय में यही भ्रम है तो वह उस बात को बिल्कुल नहीं समझते कि देश के करोड़ों व्यक्ति उन से क्या मांगते हैं ।

वित्त मंत्री की तीसरी दलील यह थी कि संविधान द्वारा उद्भूत समस्त पदों में समानता हो । किन्तु इस विधेयक के अनुसार ऐसा नहीं है ।

अब मैं बहस के वास्तविक पक्ष को लेता हूं । संविधान में हमने भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों को विशेष शर्तें प्रदान की हैं । हम उन के वेतन में कोई कमी नहीं कर सकते और दूसरी ओर हम प्रति वर्ष अपना खर्च कम करने का प्रयत्न करते हैं । हमारा उच्चस्तरीय प्रशासन व्यय पूर्ववत बना रहता है । पूर्व सेवावृत्ति (पेंशन) के विषय में कहा गया है कि उच्चाधिकारी की सेवा का प्रत्येक वर्ष उच्च अधिकारी को विशेष पेंशन का पात्र बना देता, यह युक्ति अस्पष्ट है । देश के लग्नशील कर्मचारियों को इस तरह की आशा नहीं रखनी चाहिये । हम किसी भी कर्मचारी को अतिरिक्त पेंशन नहीं दे सकते । भले ही उसका पद कितना ही उच्च क्यों न हो । जिस महान संस्था से हम संबंधित हैं उसकी मांग है कि हमें उन कार्यों में अत्यन्त सावधानी से काम लेना चाहिये । अतः सदन से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इस विधेयक को रद्द कर दें ।

श्री एस० एस० मोरे : इस विधेयक के अन्तर्भूत परिणाम बड़े गम्भीर हैं अतः हमें इस पर सैद्धान्तिक, वैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये ।

भारत अधिनियम १९३५ के अनुसार नियंत्रक कहे जाने वाले अधिकारी का नाम बदलकर अब महालेखा नियंत्रक कर दिया गया है । इस संशोधन का कारण स्पष्ट है । 'महालेखा का कार्य केवल आय-व्यय परीक्षा करना ही नहीं है किन्तु सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना भी है । वह भारतीय संविधान के अनुसार महत्वपूर्ण पदाधिकारी है । उसके कर्तव्य न्याय विभाग से भी अधिक हैं और उसे इस विभाग की भांति ही स्वतंत्र रहना चाहिए ।'

यह देखना उसका कार्य है कि निश्चित रकम से अधिक व्यय न किया जाय । यदि महालेखा नियंत्रक अपने उत्तरदायित्व की गुरुता को पूरा करते हुए सरकार की आलोचना करता है और सरकार उस के इस कार्य से रुष्ट हो कर बहुमत के आधार पर उसे हानि पहुंचाये तो इस दंड-विधान के विरुद्ध उसे अनुविहित प्रत्यानुभूति प्रदान की गई है संविधान की धारा १४८ भारत अधिनियम

१९३५ के १६६वें विभाग का प्रत्युत्तर है। किन्तु १६६ वें विभाग के होते हुए भी उस समय सरकार महालेखा के कार्य से प्रसन्न नहीं थी। जब कि उक्त संशोधन पर विधान निर्मात्री सभा में बहस की जा रही थी। श्री बी० दास ने कहा था 'भारत सरकार के वित्त मंत्री महालेखा से अपनी मनमानी कराया करते थे और उससे यह कहा जाता था कि वह वित्त मंत्रालय के कार्यों के विरुद्ध कुछ भी न कहे। उस समय के यूरोपीय अधिकारियों के कार्यों के विरुद्ध कहने के लिये उसे मनाही थी। मेरा विश्वास है कि वर्तमान वित्त विभाग और वर्तमान सरकार उसी मार्ग पर चल रही है। कार्यकाल की अवधि के विषय में धारा ३७७ स्पष्ट रूप से कहती है 'वह उपबन्ध के अनुसार व्यक्त अवधि तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा।' अतः उसकी अवधि में छः वर्षों की वृद्धि करने का अर्थ उक्त उपबन्ध से विरोध लेना है।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : माननीय सदस्य के अनुसार उसका उद्देश्य महालेखा नियंत्रक के विरुद्ध की जाने वाली संभावित कार्यवाही से उसका संरक्षण करना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में लिखा है 'अपने पद पर कार्य करते रहेंगे; जबकि महालेखा नियंत्रक के विषय में अधिकारी रहेगा, लिखा हुआ है।

श्री एस० एस० मोरे : मुझे यह व्याख्या स्वीकार्य है किन्तु अब मैं इसी कार्यालय के एक कर्मचारी का, जो १९४८ में वित्त सचिव थे, वर्णन करूंगा। वे निवृत्ति लेने वाले थे, परन्तु उन की सेवा की अवधि बढ़ा दी गई जब कि कई दूसरे उच्च अधिकारियों को निवृत्ति दी गई। इस अवधि के बढ़ाने के पश्चात् उन को ४००० रुपये प्रति मास की तनख्वाह पर महालेखा परीक्षक बना दिया गया। इसके पश्चात् दूसरा अनुविहित आदेश निकाला गया कि उन को ५००० रुपये प्रति मास का वेतन भूतलक्षी प्रभाव सहित दिया जायगा। जब कि विधि के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव सहित कोई भी अनुविहित आदेश नहीं दिया जा सकता। अब दूसरा प्रयत्न वैधानिक ढंग से किया जा रहा है कि सदन उन की सेवा की अवधि बढ़ाने की आज्ञा दे। परन्तु मैं चाहता हूं कि पहले उन को रिटायर कर दिया जाय और फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह सेवा का समय भी ६५ वर्ष तक बढ़ा दिया जाय। वह केवल एक व्यक्ति को बाकी सब की ओर से आंख मींच कर लाभ पहुंचाने का प्रयत्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक सरकार के वित्त का संरक्षण करते हैं, अतः उन के सम्बन्ध में इस प्रकार की वाणी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : तो मैं वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधान केवल इन के सम्बन्ध में नहीं, अपितु भविष्य में भी ६ वर्ष तक की आयु वृद्धि निश्चित करने के बारे में है।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन है कि मैं नहीं चाहता ——

उपाध्यक्ष महोदय : इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा इस सज्जन से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं। मैं तो कहता हूं कि सरकार ऐसा काम न करे, जिस से जनता में सन्देह उत्पन्न हो और संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध न चला जाए। अब मैं पेंशन की बात

[श्री एस० एस० मोरे]

को लेता हूं। नियमानुसार वह ९५०० रुपये पशन ले सकते हैं, परन्तु उनको २५०० रुपय प्रति वर्ष अधिक पेंशन लेने का हक हो जायगा। एक वर्ष की अवधि बढ़ाने से उन को, ६०,००० रुपये मिलेंगे। मेरा निवेदन है कि माननीय मानवीय कमियां भी होती हैं, और आभार भी होता है; ऐसे व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता वाली जगह पर बिठाना और जनता के उत्तर-दायित्व का काम संभालना, इस में सरकार को योग्य राय नहीं मिली है।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के मिल जाने के कारण उत्तरदायित्व बढ़ गया है। परन्तु वे भारत सरकार अधिनियम १९३५ के विभाग १६६ को देखें, जिस के अनुसार महालेखा परीक्षक समस्त भारत के लिये उत्तरदायी होता है। तब बरमा, और पाकिस्तान में आया हुआ क्षेत्र भी तो भारत का ही अंग था, और वह सब आज के भारत से कम नहीं था। दूसरे यह कहना कहां तक उचित जचता है कि व्यक्ति का उत्तरदायित्व बढ़ जाय तो उसका वेतन और पेंशन भी बढ़ें और उत्तरदायित्व कम हो जाने पर वेतन भी घट जाय। मैं नहीं समझता सरकार क्यों इस महानुभाव के प्रति अधिक कृपा का भाव रखती है। महालेखा परीक्षक और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को इस प्रकार से नहीं बिगाड़ना चाहिये। और संविधान के नियमों को भी नहीं तोड़ना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वे इन को रिटायर करें, और भविष्य के लिये सरकारी सेवा की वृद्धि का विचार किया जाय। इसी प्रकार सरकार की प्रतिष्ठा और इन महानुभाव का व्यक्तिगत मान स्थिर रह सकता है।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण पूर्व): हमें इस प्रश्न को दल की भावना से नहीं लेना चाहिए। हमें देश के वित्त के नियन्त्रण की दृष्टि से ही इसे लेना चाहिये। वास्तव में इस नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने अपने कठिन एंव शुष्क उत्तरदायित्व को बड़ी ही योग्यता से निभाया है। यदि सरकार इस महानुभाव को दण्ड देना चाहती तो वह केवल इतना ही कर सकती थी कि इस विधेयक को सदन में न रखती। परन्तु माननीय मंत्री ने जिस ढंग से इसे रखा, उसके कारण सन्देह उत्पन्न हुआ। संविधान के अनुसार महालेखा परीक्षक को भी न्यायाधीशों के समान ही हटाया जा सकता है और उन्हें तथा उच्चन्यायालय के न्यायाधीश या लोक-सेवा आयोग के सदस्यों को, रिटायर होने के पश्चात् किसी राज्य सरकार के आधीन पद ग्रहण करने की पाबन्दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं, परन्तु न्यायाधीश।

श्री सी० डी० देशमुख: लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं।

श्री एस० एस० मोरे: परन्तु न्यायाधीश कर सकते हैं।

डा० एस० पी० मुकर्जी: लोक सेवा आयोग के सदस्य जिस राज्य से रिटायर हों, उसके बाहर किसी राज्य में स्थान ग्रहण करते हैं, परन्तु उसी राज्य में नहीं। महालेखा परीक्षक पर जान बूझ कर यह पाबन्दी लगाई है कि वह राज्य एजेंसी द्वारा लुभाया न जा सके। यह संविधान का आवश्यक उपबन्ध है, और हम इसके विरुद्ध नहीं जा सकते।

अब इस पद के समय की बात को लीजिये, जो पांच वर्ष की अवधि दी गई है, वह अपर्याप्त है। मानों सरकार किसी व्यक्ति को उच्च अधिकारियों में से अधिक ज्येष्ठ व्यक्ति को महालेखा परीक्षक बनाती है, तो वह पांच या छः वर्ष के लिये पद पर रहेगा। यह उसके लिये कोई आकर्षक स्थिति नहीं है। संसार

बाकी देशों में महालेखा परीक्षक की आयु के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। केवल वे विशेष अवस्थाओं में यदि वे अयोग्य अथवा सुस्त हों, तो हटाये जा सकते हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): वे अपनी इच्छा से भी निवृत्ति पा लेते हैं।

डा० एस० पी० मुकर्जी: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह महालेखा परीक्षक के लिये भी आयु का अवरोध नहीं होना चाहिये। और सरकार इस महानुभाव के सम्बन्ध में राष्ट्रहित के लिये विधेयक में ऐसा संशोधन करे कि इन के लिये भी आयु का प्रतिबन्ध न रहे। मानो इनके पश्चात् हम किसी अन्य ४८ वर्ष की आयु के व्यक्ति को महालेखा परीक्षक बना कर पांच वर्ष के बाद उसे रिटायर कर देते हैं, तो उसके लिये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई है।

निवृत्त वेतन के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही व्यवहार होना चाहिये। लोक सेवा आयोग के सदस्य, न्यायाधीकारी वर्ग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये तीनों लोकतन्त्र के स्तम्भ हैं। इनको कार्यपालिका द्वारा ही चुना जाता है। सरकार को महालेखा परीक्षक के लिये भी ऐसी स्थिति लभ्य करनी चाहिये, कि वह प्रलोभन में न आ सके और इस महानुभाव के मामले से अलग इस मामले पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा।

महालेखा परीक्षक के कर्तव्य पर विचार कीजिये। निस्सन्देह देश का क्षेत्रफल आज पहले की अपेक्षा छोटा है, परन्तु कार्यक्षेत्र का विस्तार हो गया है। राज्यों के इस शेष में मिल जाने से, तथा लेखा परीक्षक के कठिन ढंग एवं राष्ट्रीय औद्योगिक कंसर्नों के सम्बन्ध में खर्चे का परीक्षण ये सब काम इनके हैं। राष्ट्रहित के लिये धन का सदुपयोग होता है, यह उत्तरदायित्व इनका है। आज उन पर बहुत अधिक उत्तरदायित्व है।

लेखा और लेखेक्षण को अलग करने का विचार उत्तम है। परन्तु इसे कार्यान्वित करने के लिये बड़ी कठिनाई होगी और सारी पद्धति को बदलना होगा। तो भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इन सब मामलों का नियन्त्रण रखना होगा। यह उसके अधीन काम करने वाले पदाधिकारियों को चुनने पर निर्भर है: अतः वित्त मन्त्रालय और इस संस्था के बीच योग्य सम्बन्ध रहना परमावश्यक है।

पहले देश से बाहर दूतावास नहीं थे, जो अब हैं। उन पर १२,००० करोड़ रुपये खर्च होते हैं। आय के अतिरिक्त इस राशि के खर्च का हिसाब तथा लेखेक्षण भी इनको ही रखना पड़ता है। राष्ट्र के वित्तों का सदुपयोग होता है यह संसद का कर्तव्य है। अतः राष्ट्रीय वित्तों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी भी महालेखा परीक्षक संसद को देंगे, अतः यह कहना उचित नहीं कि महालेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व पहले से अधिक नहीं बढ़ा।

अब मैं वित्त मंत्री से इसे दोबारा विचार करने के लिये कहूंगा कि महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता, पैंशन आदि भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही होनी चाहियें और इस पद की प्रतिष्ठा भी उसी के समान होनी चाहिये।

सरकार इस पद के लिये आयु के बढ़ाने के प्रश्न को इस पद पर आसीन महानुभाव के मामले को छोड़ कर विधेयक रूप में रखें। अब इनके रिटायर होने से पहले इनकी सेवा वृद्धि के लिये विधेयक रखा गया, जिससे सरकार की भावना पर सन्देह हुआ तथा

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

तथा इस महानुभाव पर भी, जो दोनों के लिए शोभनीय नहीं है।

वर्तमान महालेखा परीक्षक श्री नरहरि राव के व्यक्तित्व के बारे में मेरा कहना है कि वे प्रथम भारतीय महालेखा परीक्षक हैं, इन्होंने अपने कर्तव्य को योग्यता तथा मेहनत से निभाया है और कार्य के लिए आदर्श स्थापित किये हैं। जब भी समय ने मांग की है, उन्होंने अपने कर्तव्य को पालन करने में कभी भय नहीं माना, अतः मैं उनको उनके कार्य के लिये धन्यवाद देता हूं।

कई सदस्यों ने प्रसन्नता प्रकट की।

डा० एस० पी० मुकर्जी : इन्होंने अपने कार्य को अच्छी प्रकार से प्रारम्भ किया इधर उधर यदि कोई कमी दिखाई पड़ती है, तो वह कर्मचारियों की रिपोर्ट के कारण। इन्होंने निर्भयता तथा निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कई अबांधित व्यक्तियों को उनके दोषों के लिये दण्ड दिया है और किसी को नहीं छोड़ा है।

देश की गम्भीर परिस्थिति में से उसने देश का कार्य ठीक चलाया है और अब संसद राष्ट्रीयकरण किये हुए उद्योगों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बदल लाना चाहती है, तो ऐसे समय पर क्या हम ऐसे सुयोग्य महालेखा परीक्षक को छुट्टी देंगे ? इनके समान और भी योग्य अधिकारी हो सकते हैं, परन्तु इन्होंने देश के संक्रान्तिकाल में देश की सेवा की है, और अभी संक्रान्ति काल का और भी बहुत सा काम करना है।

मैंने वित्त मंत्री को इस सभा में बार बार कहा है कि ऐसी संस्थाओं पर आर्थिक रोक के लिये जितना शीघ्र हम समवर्ती लेखा परीक्षक की प्रणाली को अपनायेंगे सदाचार की सम्भावना का अन्त हो जाएगा।

११ बजे प्रातः अन्य देशों के समक्ष भी यह समस्या है और संयुक्त राज्य में नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी रखे हैं।

लेखा तथा लेखा परीक्षक के लिये यह विषय महत्व का है। केवल इस व्यक्ति के हित के लिये नहीं वरन् देश के हित के लिये इन की सेवा की कालावधि सीमित काल के के लिए बढ़ा देनी चाहिए। यदि सरकार यह समझती है कि इन्हें सेवा निवृत्त करके नए व्यक्ति द्वारा काम चलाया जा सकता है तो यह दृष्टिकोण सामान्य दृष्टिकोण से भिन्न है और मेरे विचार में सरकार गलती पर है। श्री मोरे भी नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान समझे जाने के समर्थक हैं। इस में देश का भी हित होगा कि विधेयक का संशोधन किया जाए तथा उनकी सेवा की कालावधि बढ़ा दी जाए।

पेंशन के सम्बन्ध में यदि पेंशन की सामान्य दर बड़ी है तो इस व्यक्ति को कम पेंशन क्यों दी जाए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहां यह देखना है कि ऐसे उपबन्ध रखे जाएं जिस से यह व्यक्ति सेवा निवृत्ति के पश्चात् किसी उद्योग में नियुक्त प्राप्त न करे। यदि आप ऐसे अधिकारी द्वारा और नौकरी करने पर रोक लगाना चाहते हैं तो उसे ऐसी पेंशन देनी चाहिए जो उसकी पद-प्रतिष्ठा और आवश्यकताओं के अनुकूल हों।

इस विधेयक की पृष्ठ भूमि के सामान्य सिद्धान्तों का समर्थन करने से पूर्व मैं सरकार को इस के दृष्टिकोण के आधार पर पुनः विचार के लिये फिर कहूंगा। राज्यों के व्यय पर नियन्त्रण और निरीक्षण के लिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण

है क्योंकि यह कार्य संसद अथवा राज्य के विधान मंडलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा सुझाव है कि या तो इस विषय को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए अथवा इस समय इस पर संशोधनों के प्रस्ताव करके विषय पर पुनर्विचार किया जाए।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडा) : मेरे पूर्व वक्ता ने संवैधानिक उपबंधों पर विचार प्रगट किये है जिसके अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद इस लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वह राष्ट्र के आर्थिक हितों का संरक्षक है। उसने विभिन्न मन्त्रालयों के व्यय का परीक्षण करना होता है इस लिये उसके पद को पक्षपात रहित बनाने के लिये यह आवश्यक है कि वह सरकार अथवा किसी अन्य अधिकारी की कृपा पर निर्भर न हो। इस लिये यह विधेयक समयानुकूल है।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

उस के पद की शर्तों के सम्बन्ध में दो विचार हैं। एक यह कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान उस की आयु की सीमा निर्धारित की जाए तथा दूसरा यह कि जैसा विधेयक में दिया गया है उस की पदावधि निश्चित की जाए। ऐसा कहा गया है कि इस महत्व का पदाधिकार ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिये जिस को बुद्धि सतर्कता और निरीक्षण का कार्य करने के योग्य हो। उनके अनुसार अधिक आय हो जाने पर व्यक्ति में बुद्धि की ऐसी शक्ति नहीं रह पाती। परन्तु मैं कहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को इस योग्य पाया जाए तब पदावधि का ६ वर्ष का निश्चित काल अधिक उपयुक्त होगा। यह कालावधि इस लिये अच्छी है कि इसमें कोई भी व्यक्ति साधारणतः अच्छे प्रकार कार्य चला सकता है।

यह कहा गया है कि वर्तमान पदाधिकारी को लाभ प्रदान करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। परन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि विधेयक द्वारा ऐसी विधि बनाई जानी है जो आगामी पदाधिकारियों पर भी लागू होगी।

वर्तमान पदाधिकारी ने अब तक बहुत पक्षपात रहित होकर काम किया है और युक्ति को इस बात पर भी आधारित किया जा सकता है कि अन्य कोई ऐसा व्यक्ति प्राप्य न हो। इस लिये उस की पदावधि में वृद्धि में देश का हित है। परन्तु हमें वर्तमान पदाधिकारी की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करनी है।

श्री वल्लाथरास ने एक और प्रश्न उठाया था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के किए कुछ अर्हताएं निर्धारित की जानी चाहियें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये ये अर्हताएं संविधान द्वारा विहित हैं। इस पद के महत्व को दृष्टि में रखते हुए भी यह आवश्यक है कि इस विधयक में ऐसे उपबंध रखे जायें। इस पदाधिकारी के लिये यह आवश्यक होना चाहिये कि वह सरकार के वित्तीय विभागों की भली प्रकार जानकारी रखता हो और इस सम्बन्ध के कार्य करने का उसे पूर्व अनुभव हो। क्योंकि यह उपबन्ध भी केवल वर्तमान पदाधिकारी के लिये नहीं होंगे। वरन् सब आगामी पदाधिकारियों पर लागू होंगे इस लिये यह प्रज्ञेय है कि यह विधेयक ही इसका उपबंध करे। इस प्रकार यह विदित किया जाय कि उसे सरकार के वित्तीय विभागों में वित्त नियंत्रण से सम्बन्धित कार्यों का अनुभव होना चाहिए

अब मैं एक दो बातें पैन्शन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस पदाधिकारी को इतनी पैंशन अवश्य देनी चाहिए जिस से वह सेवा निवृत्ति के पश्चात् सुविधाजनक जीवन बिता सके। यदि पैंशन कम दी गई तो संभावना है

[श्री दामोदर मेनन]

कि वह उसे सौंपे गए कार्यों को भली प्रकार न करे। मैं डा० मुखर्जी से सहमत हूं कि उसे गैर सरकारी उद्योगों में भी नौकर नहीं करने देनी चाहिये। इससे भी उस के स्वतन्त्र कार्य में बाधा की सम्भावना है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति नियन्त्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त हो जाए जो बहुत थोड़े समय से सरकारी विभाग में लेखा परीक्षक रहा हो। तो सम्भव है कि उसकी पेंशन १,००० रुपया न हो सके। हमारा उद्देश्य यह है कि वह किसी स्थिति में भी १०० रुपये से अधिक पेंशन न प्राप्त कर सके। परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जो विशेष अर्हताएं रखता हो परन्तु सरकारी नौकरी में न हो तो उसकी पेंशन क्या होगी और वह कैसे निर्वाह कर सकेगा।

पेंशन की राशि के सम्बन्ध में विचार करने का एक सामान्य आधार यह है कि यह ध्यान रखा जाए कि निवृत्ति के पश्चात. उस की पद प्रतिष्ठा के अनुसार जीवन स्तर क्या होना चाहिये। यदि साधारणतया देखा जाए तो भारत की स्थिति के अनुसार सब उच्च पदाधिकारियों के वेतन तथा पेंशनें घटानी चाहियें। परन्तु यह अन्य विधान द्वारा करना होगा। उस समय नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का वेतन तथा पशन भी घटाई जा सकती है। परन्तु इस समय उस के जीवन निर्वाह और जीवन स्तर के लिये उपबंध करना आवश्यक है।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : संविधान के प्रवृत्त करने के पश्चात् पहली बार अत्यन्त महत्वपूर्ण पदाधिकारी के सम्बन्ध में यह विधेयक लाया गया है। इस लिये हम प्रत्याशा करते हैं कि इसमें महालेखा परीक्षण के संगठन के सम्बन्ध में पूर्ण विस्तार हो। परन्तु यह विधेयक केवल पदावधि और पेंशन की दर के सम्बन्ध में ही है इस कारण अस्पष्ट है।

गत कुछ वर्षों में सरकार ने कुछ स्थापित किया है, कुछ उपक्रम किए हैं, कुछ गैर सरकारी व्यवसायों को सहायता दी है और नए प्रस्तावों के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अथवा अन्य कहीं से उद्योगपतियों को ऋण दिलवाने के लिये प्रत्याभूति-कर्ता बनी है। ऐसी स्थितियों में आवश्यक था कि इन सब विषयों पर विधेयक में उपबन्ध होते। जिन संस्थाओं के लिये सरकार प्रत्याभूति-कर्ता बनती है उन्हें महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधीन लाना चाहिये। परन्तु विधेयक इस महान् कार्यालय के संगठन आदि के सम्बन्ध में मूक है।

पुराने नियमों के अनुसार भारतीय लोक-सेवा के पदाधिकारी को ३५ वर्ष की पदावधि के पश्चात् निवृत्त होना था और यदि वह भारतीय लोक सेवा का पदाधिकारी न हो तो ५५ वर्ष की आयु में। अब जबकि हमें इस कार्यालय की पुनर्रचना करनी है तो आवश्यक था कि किसी प्रकार के उपरोक्त भेद-भाव को न रखते हुए इस पदाधिकारी की पदावधि निर्धारित करते। व्यावसायिक उपक्रमों के लिये व्यावसायिक लेखा परीक्षकों की आवश्यकता है। इस में राष्ट्र का हित है कि कुछ उपमहालेखा परीक्षक रखे जाएं। उन में से किसी को ६, ७ वर्ष वर्ष पश्चात् महालेखा परीक्षक बनाया जा सकता है।

इस समय हमें स्वतन्त्र लेखा परीक्षण विभाग का संगठन करना चाहिये। वित्त सेवा, प्रशासक सेवा, अव्यव लेखा-परीक्षण सेवा के व्यक्ति वे होने चाहियें जिन्होंने विकल्प द्वारा अपना विशेष विभाग स्वीकार कर लिया हो जिस प्रकार गत दिनों में भारतीय लोक सेवा के व्यक्ति न्यायपालिका अथवा कार्य-पालिका में जाया करते थे। लेखा परीक्षण को कार्य पालिका से मुक्त कर देना चाहिये। वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक वित्त

विभाग का सचिव था। उस के विरुद्ध कुछ सुना अथवा देखा नहीं गया। परन्तु यह सम्भव हो सकता है कि किसी समय कोई मंत्री किसी विशेष व्यक्ति के लिये अभिरुचि रखता हो। ऐसी स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह पदग्रहण करने के पश्चात् कैसा व्यवहार करे। इसलिये न्यायपालिका और उच्चतम न्यायालय की तरह लेखा परीक्षण विभाग को स्वतन्त्र बनाना चाहिये। यह तब हो सकता है कि विधेयक में महालेखा परीक्षक के अधिकारों और कर्तव्यों की परिभाषा करते हुए यह उपबंधित किया जाए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति मुख्य न्यायाधिपति की भांति निवृत्त होने वाले पदाधिकारी के परामर्श से उप-महालेखा परीक्षकों में से की जाए।

वेतन परावधि और पेंशन के सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि महालेखा परीक्षक को विशेष काल तक करने के पश्चात निवृत्त करना चाहिये और उस की पेंशन काल विशेष तक सीमित होनी चाहिये।

मैं डा० मुखर्जी से सहमत हूं कि महालेखा परीक्षक को निवृत्ति के पश्चात् न केवल सरकारी वरन् गैर सरकारी नौकरी भी नहीं करने देनी चाहिये। न्यायाधीशों के सम्बन्ध में भी संविधान में ऐसे उपबन्ध हैं कि वे निवृत्ति के पश्चात् अभिवक्ता नहीं बन सकते। जब कभी उन्हें न्यायाधिकरण का सदस्य बनाया जाता है तो सुना गया है कि उन के विचार बदले होते हैं। ६ वर्ष की पदावधि यदि थोड़ी हो तो वह बढ़ा कर सात वर्ष की जा सकती है अथवा निवृत्ति—वयस ६० वर्ष रखी जा सकती है। विधेयक में ये स्पष्ट उपबन्ध होने चाहिये।

वर्तमान महालेखा परीक्षक की सेवायें श्लाघनीय हैं। उस के कार्यों द्वारा सरकार की कई धांधलियां पकड़ी गई हैं। बहुत से प्रतिवेदनों से पता चलता है कि सरकार ने किस प्रकार लोक निधि का दुरुपयोग किया है। इस समय जब वह पद से निवृत्त होने वाला है तो उसकी पदावधि को बढ़ाने के लिये विधेयक के लाये जाने पर लोग यह विचार कर सकते हैं कि यह उस पर प्रभाव डालने के लिये है। संविधान के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि नहीं बढ़ाई जा सकती।

महालेखा परीक्षक ने अपनी एक सिफारिश में कहा था कि वह लेखा परीक्षण के लिए अपने पास विभाग का कुछ भाग रख कर शेष संघ तथा राज्यों के लेखा संगठन के लिए दे सकता है। इस द्वारा कुछ अतिरिक्त लागत होगी परन्तु वित्त तथा लेखा नियंत्रण में सुधार हो जाएगा। सरकार ने इस सुझाव को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये और अगले अधिवेशन में विस्तृत विधान प्रस्तुत करना चाहिये। तब तक हम महालेखा परीक्षक के विचार को भी समझ लेंगे। कहीं ऐसा न हो कि यह विधेयक उसके कठोर व्यवहार के कारण लाया गया हो।

मंत्री विधेयक में नवीन संशोधन द्वारा भारतीय लोक सेवा और अन्य सेवाओं में भेद भाव करना चाहते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमें यह कहना होगा। भारतीय लोक सेवा का पदाधिकारी १,००० पौंड लेता है। हम उसकी पेंशन घटा कर १०० पौंड केवल इस कारण नहीं कर सकते कि वह महालेखा परीक्षक हो गया है।

श्री के० के० बसु : हमें भेद भाव नहीं करना चाहिये। वह ६ अथवा ७ वर्ष कार्य करे चाहे भारतीय लोक सेवा से हो अथवा अन्यथा उसकी पेंशन निश्चित १,५०० रुपया

[श्री के० के० बसु]

अथवा कुछ और होनी चाहिय । यदि वर्तमान पदाधिकारी की सेवायें राष्ट्र हित के लिये अनिवार्य हों तो हम अवश्य इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : जहां तक इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरी राय का प्रश्न है, यह न तो पूर्ण है और न व्यापक ही । संविधान के अनुसार यदि हम इस विधेयक में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की आय तथा नौकरी की सभी शर्तें आदि पूर्ण रूप से तय हो जानी चाहियें। तभी यह विधेयक पूर्ण समझा जायगा । मैंने संविधान में कहीं भी इस पद के लिये व्यक्ति की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक योग्यता का उल्लेख नहीं पाया है । केवल इस सम्बन्ध में इतना ही दिया हुआ है कि उसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा होगी । तत्पश्चात् प्रश्न यह आता है कि क्या उस पद पर की योग्यताओं को हम इस विधेयक में दे सकते हैं अथवा नहीं । मैंने 'नौकरी की शर्तों' का उल्लेख किया है, जिसके अन्तर्गत सभी बातें आ सकती हैं । इस प्रकार के स्थायी संविधि में आवश्यक योग्यताओं का देना भी परमावश्यक है बिना इसके यह पूर्ण नहीं कहा जा सकेगा ।

द्वितीय प्रश्न वेतन संबंधी है । इस पद के लिये वेतन निश्चित कर देना भी आवश्यक है । इसका कारण यह है कि किसी भी व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति हो जाने पर वह काफी समय तक कार्य करेगा, अतः इसका स्पष्टीकरण होना ही चाहिये । जब एक अवसर मिलता है तो पुरानी अनुसूची को ही क्यों चलाया जाय ।

श्री विश्वास : अन्तिम खण्ड में देखिये इसका उल्लेख किया गया है ।

श्री राघवाचारी : आपका कहना है "जैसा कि द्वितीय अनुसूची में" दिया गया है। उसको इस प्रकार छोड़ देना ठीक नहीं । मान लीजिये कि किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति हो जाती है, तो संसद् अनेक वर्षों तक के लिये अपना अधिकार खो बैठता है । अतः सभी पहलुओं पर काफी सोच विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: आप सदैव उनको उसके हित में बदल सकते हैं ।

श्री राघवाचारी : निश्चय ही । किन्तु उसकी हानि के लिये नहीं और फिर इस प्रकार आप स्वयं अपनी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा देंगे ।

मैं खण्ड ३ का जनसेवकों के पेंशन की दृष्टि से समर्थन करता हूं । इनके अतिरिक्त लोगों के लिये कोई भी उपबन्ध नहीं है ।

श्री विश्वास: अनुसूची २ ऐसे मामलों में लागू होगी ।

श्री राघवाचारी: उन परिस्थितियों में उसे प्रतिवर्ष की सेवा के लिये ५० रु० प्रतिमाह पेंशन मिलेगी । यह व्यर्थ है । अतः खण्ड ३ में दिये गये अनुबन्ध पूर्ण नहीं हैं । यदि दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो हम उसे न्याय नहीं कह सकते ।

आयु के सम्बन्ध में भी स्पष्टतः कुछ नहीं दिया गया है । नौकरी की शर्तों में यद्यपि जैसा कि लिया गया है निवृत्ति प्राप्त करने की आयु आ जाती है फिर भी यह पूर्ण नहीं है । इस सम्बन्ध में निवृत्ति प्राप्त होने की आयु तथा अन्य बातों पर पूर्ण रूप से विस्तार-पूर्वक उल्लेख किये जाने की आवश्यकता है जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं ।

आपने नौकरी के न्यूनतम वर्ष ले लिये हैं । मान लीजिये कि कोई व्यक्ति नियुक्ति के पश्चात छः वर्ष बाद निवृत्ति प्राप्त करने की

अवस्था तक नहीं पहुंचता है या आयु में कम है। अतः केवल इससे काम नहीं चल सकता।

अगली बात यह है कि हमें तात्कालिक अस्थायी प्रबंधा से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये वरन् बार बार इन चीज़ों पर विचार करना चाहिये। अतः मेरी समझ से यह विधेयक सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं है।

किन्हीं विशेष अवस्थाओं में अथवा परिस्थितियों में आयु-सीमा अथवा अन्य किसी प्रकार की छूट दी जा सकती है उसके लिये विशेष उपबन्ध बनाया जा सकता है किन्तु जैसा विधेयक इस अवस्था में रखा गया है इससे केवल इस समय काम ही चल सकता है किन्तु इसमें स्थायित्व नहीं आ सकता।

श्री सिंहासन सिंह : (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : सभापति जी, इस विधेयक पर काफ़ी देर तक कई दृष्टिकोण से बहस हुई है, मैं इस विधेयक पर एक दूसरे दृष्टिकोण से आप के समक्ष कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। इस विधेयक के दो ख़ास प्रधान अंग हैं। एक यह है कि ६ वर्ष की अवधि कम्पट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल (नियंत्रक महालेखा परीक्षक) को दी जाय और दूसरा उन के पेंशन के बारे में है। मौजूदा कम्पट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल की अवधि को बढ़ाने के लिये इस में इस प्रकार का एक प्राविज़न लाया गया है :

"बशर्ते कि इस धारा के उद्देश्य से नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ६ वर्ष के कार्यकाल के संबंध में जो कार्य संचालन कर रहे हैं तत्काल ही इस विधेयक के प्रारम्भ होते ही १५ अगस्त, १९४८ से जोड़ा जायगा।"

मुझे तो पता नहीं कि उन की अवधि कब ख़त्म हो रही है लेकिन बहस के दौरान में मालूम हुआ कि शायद उन के इस पद से हटने की अवधि १५ अगस्त सन् ५३ है और इस विधेयक के पास हो जाने के बाद वह १५ अगस्त सन् ५४ हो जायगी। वर्तमान कम्पट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल के सम्बन्ध में इस विधेयक को ले कर जो वाद विवाद यहां पर हुआ, मैं उस के अन्दर नहीं जाना चाहता और न मैं यह कहना चाहता हूं कि उन का अब तक का अवधिकाल देश के हित में रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा, वैसे जहां तक देखा गया यह पाया गया है कि वह अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाते आ रहे हैं। लेकिन मैं इस विधेयक पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना चाहता हूं। भारतीय संविधान की धारा ३७७ के मुताबिक जिस में रिटायरमेंट की एज दी हुई है और जिस के अनुसार उनकी सर्विस कंशीशन्स रहीं, उस के अनुसार उन को कदाचित १५ अगस्त, सन् ५३ को अपने स्थान को रिक्त कर देना है, अपने पद से हट जाना है। धारा ३७७ जो इस विषय से सम्बन्ध रखती है उसको मैं पूरा न पढ़ कर केवल वह पार्ट पढ़ना चाहता हूं जिस के अन्दर लिखा है कि :

"अनुच्छेद १४८ के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अवकाश प्राप्त करने तथा पैन्शन के सम्बन्ध में जैसा कि खंड (३) में दिया हुआ है अधिकार प्राप्त है और वह तब तक कार्य करने के अधिकारी होंगे जब तक कि वह कार्यकाल समाप्त न होगा जो उपबन्धों द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, तथा जो उन उपबन्धों के अनुसार तत्काल ही उन पर लागू होते थे।"

इस कान्स्टिट्यूशन के आरम्भ होने के समय उन की नौकरी के सम्बन्ध में जो नियम लागू थे वही उन के सम्बन्ध में लागू रहेंगे, और उस के अनुसार कदाचित् वह १९५३ में अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। अब इस विधेयक

[श्री सिंहासन सिंह]

के जरिये उन की एक साल की अवधि और बढ़ाई जा रही है। अभी हमारे डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कहा कि अगर देश के हित में यह अवधि बढ़ानी जरूरी हो तो बढ़ाई जाय, अगर हित में न हो तो न बढ़ाई जाय। एक किसी और भाई ने कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आज तक जो कुछ किया है, जो टिप्पणी की है उस के बदले में गवर्नमेंट उन में अपने पक्ष में टिप्पणी प्राप्त करने के लिये उन को प्रलोभन के रूप में यह एक वर्ष का अवधि काल और बढ़ा रही है। मैं इन दोनों दृष्टिकोणों से अलग हूं। मेरा तो यह कहना है कि इस तरह से गवर्नमेंट उन को उन की ईमानदारी का इनाम दे रही है। उन्होंने जो सही सही गवर्नमेंट की खामियां बताई हैं यह एक वर्ष की वृद्धि उस के इनामस्वरूप है। लेकिन मेरा दृष्टिकोण यह है कि यह इनाम हो या प्रलोभन हो, इस का ख्याल न कर के जो बात देश के हित में हो उसे करना चाहिय। आज मैं देखता हूं कि हमारे यहां सर्विस को एक्स्टेन्ड करने की बात चल रही है। आज कल जो रिटायरमेंट की एज ५५ है उस को बढ़ा कर ५८ वर्ष करने की चर्चा चली थी। सौभाग्य की बात है कि गवर्नमेंट ने उस के सभी पहलुओं को देख कर उस को नहीं बढ़ाया और ५५ का ५५ ज्यों का त्यों कायम रखा। आज चारों तरफ बेकारी फैली हुई है और जब भी किसी अफसर को एक्स्टेन्शन मिलता है तो इस बिना पर मिलता है कि इस समय देश में आदमियों की कमी है। इसीलिये यह विचार करना पड़ता है कि अफसरों की अवधि बढ़ाई जाय या उन को रिएम्पलाय किया जाय या नहीं। अभी कुछ समय हुआ मैं ने सरकार से प्रश्न किया था कि हाई कोर्ट के कितने जजेज़ रिएम्प्लाय किये गए तो अतारांकित प्रश्न ६२९ के जरिये १८ मार्च, १९५३ को यह जवाब मिला कि १९५२ के मध्य तक २८ हाई कोर्ट के जजेज़ दोबारा नियुक्त हो चुके हैं। अब मई, १९५२ के बाद कितने हुए इसका हमें पता नहीं, लेकिन कुछ पुनर्नियुक्तियां हुई होंगी। सन् १९४८ से १९५२ के बीच में २८ हाई कोर्ट के जजेज़ फिर से नियुक्त हुए हैं। इन में ऐसे जज भी नियुक्त हुए हैं जो सन् १९३६ में रिटायर हुए थे, सन् १९३७ में रिटायर हुए थे। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई १९३६ में रिटायर हुआ जब कि उस की उम्र ६० वर्ष की होगी और वह सन् १९४८ में ७१ वर्ष की अवस्था में फिर नियुक्त हो तो उस की एफिशिएन्सी की क्या हालत होगी? आज चारो तरफ़ एक कुहराम मचा हुआ है कि इनएफिशिएन्सी बढ़ी हुई है। मैं कहता हूं कि इस का एक कारण यह भी है कि लोगों को एक्स्टेन्शन्स मिल रहे हैं जब किसी को एक्स्टेन्शन मिलता है तो जो भावी उम्मीदवार है उस की तरक्की में बाधा पड़ती है। तरक्की में बाधा पड़ना इनएफिशिएन्सी का एक खास कारण होता है। प्रो० लोस्की ने कहा है कि Promotion is the only consideration to keep an Officer efficient and honest अगर भावी तरक्की की उम्मीद हो तो वह एक खास कारण होता है किसी अफसर को एफिशिएन्ट और ईमानदार रखने का। लेकिन अगर किसी की तरक्की मारी जाय तो वह देखेगा कि इस राज्य में तरक्की तो होती नहीं काम क्यों किया जाय। मैं जानता तो नहीं, लेकिन इस आडिटर जनरल के पद के लिये जो भावी उम्मीदवार होंगे उन के मन में आशा बन्धती होगी कि वे इस पद पर पहुंचेंगे। लेकिन जब वे इस बिल को देखेंगे तो उन के अन्दर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा कि यह जगह मुझे नहीं मिली। उन से नीचे वाले आदमियों को भी फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा

क्योंकि आडिटर जनरल के रिटायर न होने से उन की तरक्की भी मारी गई। तो जितना ही आदमियों का फ्रस्ट्रेशन होगा उतनी ही हद्द तक इनएफिशिएन्सी फैलेगी। मैं ने गवर्नमेंट आफ इंडिया से प्रश्न किया था तो मुझे बताय गया कि क्लास एक और दो के २७८ आदमियों को एक्स्टेन्शन मिला यानी २७८ आदमियों का अवधि काल बढ़ाया गया। इस के फलस्वरूप जो २७८ आदमी नीचे से ऊपर आते उन के मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ क्योंकि उन को तरक्की नहीं मिली। इसी तरह से जब नीचे के आदमियों को तरक्की मिलती तो उन की जगह पर २७८ बाहरी आदमियों को और रक्खा जाता, वह भर्ती नहीं किये गये, वह भी ऐसे समय में जब कि चारों तरफ बेकारी ही बेकारी फैली हुई है। नौजवान बेकार फिरते हैं। इस बेकारी से बड़ा खराब असर पड़ता है। अधिकतर क्रान्तियां बेकारी के ही कारण हुई हैं। उस का मूलाधार बेकारी ही रहता है। इसलिये मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस रवैये को बदले। इस नाम पर कि हम को आदमियों की जरूरत है और अच्छे आदमी नहीं मिलते हैं इस लिये पुराने आदमियों की अवधि बढ़ानी पड़ी या उन को तरक्की दी गई यह कब तक चलेगा? जो यह ट्रैंजिशनल पीरियड कहा जाता था उस को आज छः वर्ष हो गये। आखिर कब तक हम इस पीरियड को चलायेंगे। कब तक हम आदमियों की तलाश में रहेंगे। हमें नौजवानों को लेकर काम करना चाहिये। अगर पुराने आदमियों की सलाह की आवश्यकता है तो यहां का दरवाजा खुला हुआ है। पार्लियामेंट का स्थान खुला हुआ है। आडिटर जनरल के लिये राजनीति में आना मना नहीं है। यहां आ कर वह अपनी सेवायें दे सकते हैं। आप ने हाई कोर्ट के जज को एक्स्टेन्शन दिया और नौकरी भी दी। अभी-अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीन जज थे वह रिटायर हुए। उन को दिल्ली में नियुक्त कर दिया गया। मैं तो खुश ही हूं कि वह तीनों गोरखपुर के हैं, लेकिन इस का कोई खास कारण नहीं है कि आप किसी अवकाश प्राप्त आदमी को नियुक्त करें जब कि उस की जगह पर दूसरा आदमी काम कर सकता था। मैं देखता हूं कि यह रिएप्वाइन्टमेंट इसी लिये नहीं होते कि गवर्नमेंट बिना पुराने आदमियों के काम नहीं चला सकती, बल्कि इसलिये कि जब किसी आदमी की रिटायरमेंट डेट आती है तो वह आशा रक्खे होता है कि उस को हटाया नहीं जायेगा और वह सिफारिश करता फिरता है कि वह आगे भी रक्खा जाय। यह कहना कि गवर्नमेंट तलाश करती है किन्तु कोई अच्छा आदमी नहीं मिलता इस गरज़ से एफिशिएन्सी को कायम रखने के लिये उस को रक्खा जाता है, यह गलत है। आदमी खुद इस के लिये कोशिश करता है और लोगों में फ्रस्ट्रेशन लाता है। मैं इस दृष्टिकोण से इस बिल का स्वागत नहीं करता। हां दूसरी तरह से आया होता तो दूसरी बात थी। हमारे डा० मुकर्जी इस बिल का स्वागत करते हैं पर बिल के पास हो जाने के बाद बहस करेंगे कि इस गवर्नमेंट को देखो कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाये चली जाती है। नौजवानों को काम पर नहीं रखती और बुड्ढों की नौकरी बढ़ाये जाती है। बाहर तो वे भी इस तरह की क्रान्ति पैदा करने की कोशिश करेंगे।

आप अफसरों की रिटायरमेंट एज बढ़ावें या घटावें, लेकिन आप यह समझें कि देश की आर्थिक अवस्था क्या है। हमारा देश किधर जा रहा है, जो आदमी ६० या ६५ वर्ष की उम्र तक बराबर चार पांच हजार रुपया महीना कमाता रहा है उस की सब

[श्री सी० डी० देशमुख]

जरूरियात पूरी होती गई हैं और वास्तव में अब उस की संसार से रिटायरमेंट की अवस्था है । आप रिटायर होने के बाद एक हजार रुपये की पैन्शन करें या दस हजार की वह बात दूसरी है । आप स्टैन्डर्ड के लिहाज़ से एक हजार रुपये की पैन्शन करने जा रहे हैं करें लेकिन मैं तो इस के विरुद्ध हूं कि एक अधिक पैसा भी किसी को आप दें चाहे वह किसी भी विचार से हो । राष्ट्र के धन पर बोझ डालना उचित नहीं है क्योंकि वह पैसा किसी अन्य स्थान पर और अधिक अच्छे काम के लिये खर्च किया जा सकता है । इन दो दृष्टिकोणों से मैं कहता हूं कि यदि यह विधेयक किसी दूसरे रूप में भवन के सामने आया होता तो ज्यादा स्वागत का पात्र होता । जिस रूप में यह विधेयक है उस तरह से तो हमें कई विधेयक इस भवन में लाने पड़ेंगे । क्योंकि धान के शेड्यूल २ म बहुत ऐसे पद हैं जैसे कि राष्ट्रपति है, गवर्नर है, संघ के मिनिस्टर्स हैं, राज्यों के मिनिस्टर्स हैं, संसद के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्य परिषद के चेअरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, आडिटर जनरल हैं, उन के लिये भी विधेयक लाने पड़ेंगे । इन में से तीन विधेयक तो आ चुके हैं । मिनिस्टर्स को पास कर चुके, पार्लियामेंट के अफसरों को पास कर चुके, और आज यह आडिटर जनरल का पास कर रहे ह । तीन चार और आयेंगे । अगर इन सब को एक दौरान में लाये होते तो हमें ज्यादा बहस का भी मौका मिलता और सब लोग अपने विचार कन्सालिडेटेट फार्म में रख सकते । इस से मुल्क का पैसा भी बचता । जब भी कोई बिल आता है तो उस में किसी किसी रूप में खर्च के बढ़ाने की बात हुआ करती है । घटाने के लिये बहुत कम आता है । मेरा यह भी दृष्टिकोण है कि हम देश के पैसे बचाने का ख्याल कम करते हैं ।

अभी मैं ने कांग्रेस के बुलेटिन में पढ़ा कि हमारे प्लैनिंग कमीशन के माननीय मंत्री श्री नन्दा जी ने शिकायत की है कि प्लैनिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन की शक्ल में परिवर्तन किया जाय, उस के ऊपर गवर्नमेंट ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की । मैं ने देखा कि शिकायत कौन कर रहे हैं, किस से कर रहे हैं और किस के जरिये कर रहे हैं । प्लैनिंग कमीशन में वही गवर्नमेंट के मिनिस्टर यानी पंडित जी, हमारे माननीय देशमुख साहब और नन्दा साहब हैं । कांग्रेस कमेटी में श्री नन्दा जी शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं । इन चीज़ों से ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें । हम पर यह रेस्ट्रिक्शन है कि बाहर जा कर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज न करें कि यह न होना चाहिये या वह न होना चाहिये । ऐसी परिस्थिति में मेरा यही कहना है कि मैं इस दृष्टिकोण से इस विधेयक का स्वागत नहीं कर सकता । मैं यह नहीं कहता कि आडिटर जनरल को एक्स्टेन्शन न दिया जाय, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आम तौर से अगर किसी अफसर का रिटायरमेंट का ववत आ गया हो तो उस को एक्स्टेन्शन नहीं देना चाहिये ।

देश का हित ऐक्स्टेंशन देने में नहीं है । देश का हित इस में है कि नौजवानों को लाया जाय और उन को सिखलाया जाय ताकि देश की गाड़ी आगे बढ़े । इन वृद्ध महाशयों को ले कर हम देश की गाड़ी को कब तक ढो सकते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : यद्यपि केवल आठ वक्ता इस विधेयक पर बोले हैं, फिर भी उनके तीन वर्ग हो गए हैं । प्रथम वर्ग उन लोगों का है जो देश में लोगों के वेतनों तथा पेन्शनों की सीमा के संबंध में दुष्कल्पनाशील विचार रखते हैं । दूसरा वर्ग, केवल एक ववता, विरोधी दल के माननीय सदस्य का है, जिन के

भाषण में उन के अत्यधिक संशय तथा कलुषित विचारों के गण की झलक दिखाई पड़ती है और तृतीय वर्ग उन रचनात्मक कार्यकर्ताओं का है, जो विधेयक के विभिन्न दृष्टिकोणों से घबड़ा गए हैं, यद्यपि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आम तौर से वे इसके पक्ष में हैं ।

मैं प्रारम्भ में प्रथम वर्ग के लोगों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा क्योंकि उन को निबटाना सब से आसान है । मैं समझता हूं कि वे अपने दृष्टिकोण में सब से अधिक असत्यवादी हैं उन में से एक श्री सोधिया ने कहा कि वह इस विधेयक को किसी भी प्रकार हाथ से भी छूने को तैयार नहीं हैं और जहां तक मैं समझता हूं उसके घोर विरोधी जान पड़ते हैं । उनका विचार यह जान पड़ता है कि पेन्शन स्तर तथा निवृत्ति-प्राप्त कर्मचारी द्वारा तत्सम्बन्धी पद की मर्यादा स्थापित रखने में कोई संबंध नहीं है । वे सभी प्रत्याभूतियों के प्रति घृणा का भाव रखते जान पड़ते हैं । अब इस संसार में आन्तरिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से बहुत अधिक आगे बढ़ते जाना सम्भव नहीं है । यदि कोई व्यक्ति प्रत्याभूतियों को देने का वही दृष्टिकोण रखता है, और वे भी बड़ी सत्योक्ति प्रत्याभूतियां, और फिर यह कहता है कि सभी प्रत्याभूतियां हमारे लिये घृणास्पद हैं । और इसीलिये मैं इस दृष्टिकोण को असत्य तथा दुष्कल्पनापूर्ण मानता हूं ।

माननीय सदस्य जो अन्त में बोले थे जन हित की ओर निर्देश कर के प्रारम्भ अच्छा किया था, और बाद को यहां तक पहुंच गए कि कोई भी आयु में छूट नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि इस से बहुत से आंकांक्षियों के पदोन्नति में रोक लग जाती है । मैं समझता हूं कि वह इस विचार से सहमत होंगे कि यह ऐसा मामला है कि जिस को गुणों के द्वारा ही तय किया जा सकता है ।

भारतीय ईक्षण और लेखा विभाग, उदाहरण के लिये, एक ऐसा विभाग है जिस में न केवल वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक को ही वरन्, अन्य लोगों को भी आयु में छूटें देनी पड़ीं, जिन के कारण मैं आगे बताऊंगा । क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिस को मैं सिद्ध करने की आशा करता हूं । इस विभाग पर होने वाले अप्रत्याशित कार्यों का उत्तरदायित्व होता है । अतः केवल एक साधारण सिद्धान्त को बना देना और फिर भली भांति विचार की गई सिफारिशों का उस के कारण विरोध करना अच्छा नहीं ।

तत्पश्चात्, मैं श्री मोरे के भाषण पर आता हूं । अनेक उद्धरणों में काफी समय ले कर वह मतलब की बात पर आ सके । मैं समझता हूं कि उन का तात्पर्य यह था कि जहां तक विधेयक में वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कार्याविधि को बढ़ाने का संबंध है, मामले के गुणों के अलावा, भी यह अवैधानिक है । उन्होंने अनुच्छेद ३७७ की शर्तों को पढ़ कर सुनाया और मैं समझता हूं कि उन के भाषण के बीच में ही, एक इस पक्ष के सदस्य ने उन्हें बताया कि वह अनुच्छेद केवल प्रतिबन्धात्मक था, और जो कुछ भी अनुच्छद में दिया गया है वह 'अधिकारी होगा ।' मैं नहीं समझता कि किस प्रकार संसद को, जिस को १४८ (३) के अनुसार वेतन तथा सेवा की शर्तें निर्धारित करने के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हैं, उस कार्याविधि से अधिक कार्य-काल निश्चित कर देने में जो अनुच्छेद ३७७ को कार्यान्वित करने से लागू हो सकता है, ऐसा करने से रोका जा सकता है । 'अधिकारी होगा' के मुहावरे के शब्द कार्याविधि तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन तथा भत्तों के सम्बन्ध में भी आते हैं ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

तदुपरान्त उन्होंने एक बात और कही कि वर्तमान नियंत्रक महालेखों परीक्षक को दी जाने वाली आयु छूट जब उन की नियुक्ति हुई थी, इसी उद्देश्य विशेष से दी गई थी कि जिस से सरकार उन की नियुक्ति कर सके।

१२ बजे अपरान्ह

ऐसा नहीं है। ऐसी कोई रुकावट नहीं थी, और किसी भी निवृत्ति-प्राप्त पदाधिकारी की नियुक्ति में आज भी कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि वहां केवल उन के निवृत्ति प्राप्त करने में तथा उन को नियंत्रक महा लेखा परीक्षक नियुक्त करने के निर्णय को कार्यान्वित होने में केवल तीन माह का अल्प काल था। अतः यह अत्यन्त सुविधाजनक समझा गया—यह पूर्णतः केवल प्रशासनीय सुविधा की दृष्टि से ही था कि उन को सचिव के पद पर चलने दिया जाय और तत्पश्चात् नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया जाय। सरकार के लिये एक दूसरा उपाय भी था कि उन को निवृत्ति के पश्चात् नियुक्त किया जाता। जिसका परिणाम सम्भवतः यह होता कि वह अपनी पेन्शन के अतिरिक्त वेतन भी पाने के अधिकारी होते जैसा कि संविधान में दिया हुआ है।

श्री एस० एस० मोरे : पूरा वेतन नहीं।

श्री सी० डी० देशमुख : हां, उन को पूरी पेन्शन वेतन सहित मिलती जिस के लिये वह संविधान के अनुसार अधिकारी हैं, क्योंकि हम को उस वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती करने का अधिकार नहीं है, जिस को पाने के वह अधिकारी थे और न तो हमें उन की पेन्शन ही वापस ले लेने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा मामला होने के कारण, मैं समझता हूं कि सम्भवतः माननीय सदस्य इस से सहमत हो जायेंगे कि उस समय उन्होंने सरकार के विचारों को गलत समझा, जबकि उन्होंने वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की।

आगे मैं इस अवस्था में इतने व्यापक रूप में विधेयक क्यों नहीं रखा गया इस प्रश्न पर विचार करूंगा। महालेखा परीक्षक की सेवाओं की शर्तों और कर्तव्यों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में विधेयक अधिक व्यापक रूप में रखा जा सकता था, और मैं समझता हूं कि वह एक ऐसा विषय है जिसे हमें अपने अपने मस्तिष्कों में स्पष्ट रूप से स्थापित कर लेना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों में होने वाली कुछ असन्तोष की भावना को समझता हूं कि सरकार के लिये यह सम्भव न हो सका कि वह व्यापक विधेयक उन के सम्मुख रख सके। किन्तु मैं यह नहीं समझता कि उस से वर्तमान विधेयक को अस्वीकार कर देना न्यायोचित होगा, यदि यह दिखाया जा सके कि व्यापक विधेयक के निर्माण में अभी पुनरीक्षण एवं पुनर्विचार आदि की आवश्यकता है।

श्री बसु द्वारा बहुत सी सरकारी व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिये निर्देशा किया गया था। और सम्भवतः मैं समझता हूं डा० मुकर्जी द्वारा भी। ये सभी नवीन उद्योग हैं और हम अभी तक अपने विचार इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं कर सके हैं कि वास्तव में उस संबंध में या चालू लेखे क्षण आदि में आवश्यकता किस बात की है। ये सभी बातें ऐसी हैं जिन पर विचार करना होगा। हो सकता है कि हम महालेखेक्षक को कुछ और अधिक अधिकार देना चाहते हों, उन अधिकारियों के विशेष-कर के संबंध में जिन्होंने अधिक वसूल कर लिया है। अब ये सब ऐसे मामले हैं जिन पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, और मेरा कहना यह है कि ये अनुच्छेद १४८ (३) के अधीन न होकर अनुच्छेद १४९ के अधीन आते हैं। अतः यदि तर्क यह है कि 'हम विधेयक का समर्थन १४८ (३) के

अधीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने विधेयक को अनुच्छेद १४९ के अधीन नहीं रखा है,' तो मैं समझता हूं कि यह बहुत दूर पहुंचा देगा, यद्यपि जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मत-विभिन्नता के लिये अभी भी गुंजाइश है कि क्या सरकार के लिये दो विधेयक एक साथ रखना वांछनीय है। किन्तु यहां पर मैं सुझाव रखता हूं कि हम उस विधेयक पर विचार कर रहे हैं जो केवल अनुच्छेद १४८ (३) के अन्तर्गत, आने वाले उपबन्धों से संबंध रखता है, और इसलिये यह पता लगाना आवश्यक है कि सेवा की शर्तों का सही-सही अर्थ क्या है।

श्री एस० एस० मोरे : अनुच्छेद १४८ के खण्ड (३) के अधीन, तथा अनुच्छेद १४९ के अधीन आवश्यक रूप से नहीं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने जो कुछ कहा था माननीय सदस्य ने उसे बिल्कुल दोहरा दिया है। उन्होंने मेरी इस बात को बहुत अच्छी प्रकार समझ लिया है कि हम अनुच्छेद १४९ के अधीन इस विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल अनुच्छेद १४८ (३) के अधीन एक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं और उस अनुच्छेद के निर्वचन के लिये हमें इस बात का पता लगाना होगा कि सेवा की शर्तों का ठीक ठीक अर्थ क्या है। अच्छा, तो शर्तों का—यही मेरी मुख्य चीज है——अर्थ कर्तव्य और शक्तियां हैं, क्योंकि यदि आप भारत सरकार के लेखा परीक्षा तथा लेखा आदेश, १९३६ के, जिस की ओर कि दूसरी धारा में निर्देश किया गया है, अन्तर्गत पिछले पदों तथा शर्तों को, अथवा द्वितीय अनुसूची को ही निर्देश करें, तो आप देखेंगे कि——यह पृष्ठ २७४ पर भारत सरकार के अधिनियमों १९३५ के अधीन आदेश", है——कि दूसरी धारा 'भारत का महालेखा परीक्षक' के अन्तर्गत (१) महालेखा परीक्षक की सेवा की शर्तें और (२) महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, तथा शक्तियां दी हुई हैं। अच्छा, तो यदि आप खण्ड १ के अन्तर्गत आने वाली सेवा की शर्तों का श्रेणीवार विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि वे वेतन, दूसरे, कोई नौकरी स्वीकार करने के सम्बन्ध में कतिपय निषेधों, तीसरे, पद को खाली करने, अर्थात् कार्यकाल और चौथे, छुट्टी और उस के बाद निवृत्ति वेतन, तथा अन्त में यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में हैं। इस के पश्चात् सामान्य संरक्षणात्मक खण्ड है जिस में यह लिखा है कि उसे इस से कम सुविधाजनक शर्तें नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो इन में से कुछ तो अनुच्छेद में ही दोहराई हुई हैं और हम ने यहां इन शर्तों में छुट्टी और यात्रा भत्ते को ही छोड़ा है। मैं यह कहता हूं कि हमें छुट्टी और यात्रा भत्ते की शर्तों से असन्तुष्ट होने का कोई कारण नहीं। यह विषय अभी हमारे सामने नहीं आया है। अतः आप के पास क्या रह जाता है? आप के पास केवल वेतन तथा निवृत्ति वेतन का प्रश्न रह जाता है।

माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं : तो आप इसे आज क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? इस से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेतन तथा निवृत्ति वेतन की परिभाषा कर चुकने के पश्चात् क्या जनहित के लिये यह आवश्यक है कि इन शर्तों को वर्तमान नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक पर लागू कर दिया जाये। अतः इन दोनों में एक प्रकार का गहरा सम्बन्ध है और केवल इसी कारण मैं ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है जो कि कुछ एक माननीय सदस्यों को कटा-फटा प्रतीत होता है। यद्यपि, जैसा कि मैं ने कहा, कि इन दोनों विषयों में गहरा सम्बन्ध है, किन्तु मेरा यह निवेदन है कि सन्देह करने वाले माननीय सदस्य इस विधेयक के बहुत अधिक

[श्री सी० डी० देशमुख]

गूढ़ार्थ तक पहुंच गये हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि इन नई सेवा की शर्तों को वर्तमान नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक पर लागू करन का प्रश्न हमारे मन में नहीं था।

अब क्यों कि यह प्रसंग चल रहा है अतः मैं इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहता हूं कि जहां तक मैं जानता हूं यह पहिला अवसर है जब कि इस पद पर एक ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है जोकि न तो भारतीय असैनिक सेवा का सदस्य है और न ही ब्रिटिश असैनिक सेवा का सदस्य है और इसलिये निवृत्ति-वेतन का प्रश्न एक अत्यन्त आवश्यक प्रश्न हो गया है, अर्थात् यदि हम नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के साथ न्याय करना चाहते हैं तो हम इस प्रश्न की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस पद पर कार्य करने वाले पिछले सभी पदाधिकारियों को अपनी मूल सेवा की शर्तों के कारण बहुत अधिक निवृत्ति-वेतन १२,००० के इस सामान्य निवृत्ति वेतन से भी अधिक जिस की कि हम ने इस विधेयक में व्यवस्था की है, मिलता था। यह तो व्यापक विधेयक के सम्बन्ध में हुआ।

इस के अतिरिक्त अर्हेताओं का प्रश्न भी है। संविधान के बनने के समय इस विषय में आन्दोलन किया गया था। मेरे विचार में यह ..... थे .....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रो० शाह।

श्री सी० डी० देशमुख : प्रो० शाह का ही एकमात्र संशोधन था जिसमें कि किसी प्रकार की कुछ अर्हेतायें निश्चित करने का प्रयत्न किया गया था। मेरे विचार में उन्होंने ही यह सुझाव दिया था कि महालेखा परीक्षक ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाना चाहिये जोकि पंजीबद्ध लेखापाल या इसी प्रकार की इस के समान ही अन्य कोई स्वीकृत अर्हेता प्राप्त हों। विशेष रूप से इस संशोधन पर कोई अधिक लम्बी चर्चा नहीं हुई थी और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने एक संक्षिप्त से भाषण में इस संशोधन को समाप्त कर दिया था और सदन इस परिणाम पर पहुंचा था कि अर्हतायें निश्चित करना क्रियात्मक नहीं था। और आज संविधान में यही चीज़ दिखाई भी देती है, इसमें राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक नियुक्त करने की पूर्ण स्वच्छन्दता है, यद्यपि मैं यह मानता हूं कि जहां तक राष्ट्रपति को मंत्रणा देने का सम्बन्ध है, हम अब भी यही समझते हैं कि यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसे प्रशासन सम्बन्धी अनुभव प्राप्त हो। अतः माननीय सदस्यों ने जो काल्पनिक मामले प्रस्तुत किये हैं--कि कोई व्यक्ति बाहर से या सेवा के क्षेत्र के अन्दर से भी, कोई दो वर्ष और कोई छै वर्ष की सेवा वाला व्यक्ति इत्यादि--ये इस समय हमारे लिये बाधक नहीं होने चाहियें। स्पष्ट अभिप्राय यह है कि महालेखा परीक्षक ऐसे व्यक्तियों में से चुना जायेगा जिन्हें कि इस उच्च पद के कर्तव्यों को ठीक प्रकार के निभाने के लिये आवश्यक प्रशासनात्मक अनुभव प्राप्त होगा। और इस की सम्भावना बहुत कम है कि हम इस व्यक्ति का चुनाव करने के लिए प्रशासन क्षेत्र से बाहर जायेंगे और प्रशासन-क्षेत्र में इतना नीचा तो कमी जा ही नहीं सकते कि हम दो वर्ष या छै वर्ष की सेवा वाले भी व्यक्ति को चुन लें। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठेगा कि यह वर्तमान निवृत्ति-वेतन का खण्ड किसी छै वर्ष की सेवा वाले व्यक्ति पर कैसे लागू होगा और यदि भविष्य में हमारे सामने कभी ऐसी कोई कठिनाई आ जायेगी तो हमें उस पर पुनः विचार करना पड़ेगा।

इस नियुक्ति की अर्हताओं के सम्बन्ध में मैं आप की अनुमति से बेसिल चब की 'दी कंट्रोल आफ पब्लिक एक्सचेकर--फेनेंशियल

कमेटीज़ आफ दी हाउस आफ कामन्स' (लोक कोष का नियंत्रण--हाउस आफ कामन्स की वित्तीय समितियां') से कुछ उद्धरण देना चाहूंगा। यह इस विषय पर एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। इस में लिखा है :

"महालेखा परीक्षक की स्थिति कई विषयों में अद्वितीय होती है। यद्यपि वह प्रशिक्षण के कारण एक असैनिक सेवक होता है और यद्यपि वह असैनिक सेवा में कार्य करता है और उस के अधीनस्थ कर्मचारी असैनिक सेवक होते हैं, तथापि वह उन में से नहीं होता। उस की संवैधानिक पद स्थिति तथा कर्तव्यों के कारण वह अलग-थलग हो जाता है।"--संविधान ही उसे अलग-थलग कर देता है--"और वह सर फ्रेंक ट्राइब के ही शब्दों में 'एक अकेला भेड़िया सा' होता है। अन्य किसी असैनिक सेवक के समान, उस के ऊपर कोई नहीं होता। उस के परिनियत कर्तव्य होते हैं और उसे बहुत से स्वच्छन्द अधिकार प्राप्त होते हैं और यद्यपि सदन की सहायता करना उस का काम होता ह किन्तु अपने कार्यों के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होता है। कुछ विषयों के अतिरिक्त जिन के सम्बन्ध में कि उसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, उस का लिखा हुआ शेष वार्षिक वृत्तान्त उस की निजी टिप्पणी होती है।

यद्यपि वह लोक लेखे की परीक्षा करवाता है और लेखापरीक्षकों का अध्यक्ष होता है, किन्तु उस के लिये स्वयं एक प्रशिक्षित लेखापरीक्षक होना आवश्यक नहीं। व्यवहार में, उस का व्यवसाय प्रशासनात्मक असैनिक सेवा होता है। इस प्रकार उस की स्थिति किसी व्यवसायियों के विभाग के उस विषय के प्रमी और उस में निपुण अध्यक्ष के समान होती है और यह ब्रिटिश शासन की एक विशषता है। किन्तु तो भी वह बिल्कुल ही स्वान्तः सुखाय कार्य करने वाला नहीं होता, क्योंकि वह अपने साथ एक वरिष्ठ असैनिक सेवक का प्रशिक्षण तथा ज्ञान और कई विभागों के विचार भी अपने साथ लाता है और सदन के एक पदाधिकारी के रूप में वह संसदीय सम्मति के झुकाव को ध्यान से देखना भी अपना कर्तव्य समझता है।"

मेरा यह निवेदन है कि यदि हम यहां बताये हुए इस क्षेत्र में से अपना चुनाव करते रहेंगे, तो हमें अवश्य ही एक ऐसा नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक मिलता रहेगा जो इस पद पर बड़ी योग्यता से कार्य करेगा।

इस पद के नाम का भी प्रश्न उठाया गया था। एक माननीय सदस्य का--मेरे विचार में यह श्री वल्लाथरास थे--यह विचार था --जहां तक मैं उन की नियुक्ति को समझ सका हूं--कि क्यों कि अब उसे नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक कहा जाता है अतः आप को उस के कार्यकाल की अवधि उस समय से आरम्भ करनी चाहिये जब से कि वह नियंत्रक बने, अर्थात्, जब से वह महालेखापरीक्षक से बदल कर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक बने। मैं यह समझता हूं कि सांवैधानिक रूप से इस स्थिति को नहीं माना जा सकता। मैं ने वस्तुतः संविधान सभा के वाद विवादों को देखा है और मैं देखता हूं कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने स बात का उल्लेख किया था। मेरे विचार में उन के संशोधन के फलस्वरूप ही 'नियंत्रक' शब्द जोड़ा गया था।

अतः, मैं समझता हूं कि सावधानी के तौर पर ही महा लेखापरीक्षक को बदल कर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक कर दिया गया था। वास्तव में, क्योंकि हम ने उस के कर्तव्यों तथा शक्तियों के बारे में कोई विधान नहीं बनाया था, अतः हम ने उस के नाम के प्रथम अंश, अर्थात् नियंत्रक को उसमें

[श्री सी० डी० देशमुख]

अच्छी प्रकार बठाने के लिये उस की शक्तियों को बढ़ाया नहीं । अतः माननीय सदस्य ने जो सांवैधानिक प्रश्न तथा ऐतिहासिक क्रम की बात उठाई है उस में सम्भवतः कुछ सार नहीं है । इस प्रकार थोड़ी-सी सामान्य बातों का उत्तर इस में आ जाता है ।

अब म इस चर्चा की कुछ पृष्ठभूमि बतलाना चाहूंगा---क्योंकि वस्तुतः ये प्रश्न बड़े सीधे-सादे हैं---यह इस पद के कतव्यों के सम्बन्ध म ही हुई है । निस्सन्देह, माननीय सदस्य इस विषय में एकमत हैं कि हमारे संविधान में यह एक सब से अधिक महत्वपूर्ण पद ह और जिस प्रकार इस की शक्तियों तथा विशेषाधिकारों की व्याख्या की गई है वह हमारे प्रजातंत्र के सब से अधिक महत्व-पूर्ण संरक्षण हैं ।

मैं उस अवस्था का वर्णन करना चाहता हूं जिस में कि यह विभाग वर्तमान नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को मिला था जिस से कि मैं आप को यह बतला सकूं कि वर्तमान नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की सेवाओं को बनाये रखना क्यों आवश्यक है :

"युद्धकाल में लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग को भयानक क्षति पहुंची थी और व्यय के परिमाण तथा जटिलता में अत्यधिक वृद्धि के साथ साथ इसे बढ़ाने की अपेक्षा इस की सर्वथा उपेक्षा की गई ।"

मुझे खेद है कि डा० मुखर्जी ने जो आंकड़े उद्धृत किये थे वे मेरे पास इस समय नहीं ह. किन्तु काम का परिमाण वास्तव में बहुत बढ़ गया है :

"१९३० की छंटनी की गलत नीति के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की कमी हो गई और काम की उत्तमता घट गई। विभाग से युद्धकार्य के लिये इस के प्रावधिक कर्म-चारी ले लिये गये । अतः लेखापरीक्षा की अनेक प्रक्रियायें छोड़ दी गईं या ढीली कर दी गईं ।"

मैं समझता हूं कि लोक लेखा तथा प्राक्कलन समितियों के कुछ सदस्य निजी रूप से यह जानते हैं कि जब वर्तमान महा-लेखापरीक्षक ने १९४८ में इस विभाग का कार्यभार सम्भाला था तो इस की कितनी दुरवस्था थी । इस विभाग के सभी स्तरों में कई गुना वृद्धि की आवश्यकता थी, किन्तु जैसा कि आप जानते हैं प्रावधिक व्यक्ति इतनी जल्दी तो तैयार नहीं किये जा सकते । अतः इस की अवनति को रोक कर इस में पर्याप्त संगठन करने का महान् कार्य उन्हें करना था । महालेखापरीक्षक यह काम विशेष रूप से भर्ती कर के, सभी स्तरों पर कर्म-चारियों के प्रशिक्षित कर के तथा जैसा कि मैं ने बतलाया इस बीच बहुत से वरिष्ठ पदाधिकारियों के कायकाल को बढ़ा कर करता रहा है । ऐसे समय जब कि उस के अपने कार्य को पूरा करने के लिये उस के पास पर्याप्त संघटन नहीं था, विलीन तथा एकीकृत राज्यों से जहां कि कोई वित्तीय विनियम नहीं थे उस के पास बहुत अधिक अतिरिक्त कार्य आ पड़ा । यही वास्तविक प्रश्न है, क्षेत्रफल या जनसंख्या का कोई प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि उसे किसी प्रकार की व्यवस्था मिली थी । क्या हम पुराने एक तिहाई भारत की हूस में मिले हुए क्षेत्रों से लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की उत्तमता में तुलना कर सकते हैं ? मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं । अतः भाग ख राज्यों के लेखा परीक्षा तथा लेखा संघटनों की अपूर्णता ही वस्तुतः इस प्रश्न का सार है । उन्हें संविधान के अनुकूल बनाना था और यह काम बड़ी कुशलता से सम्पन्न हो गया ह । क्यों मेरा नियत्रक तथा

महालेखापरीक्षक के इन प्रयत्नों से गहरा सम्बन्ध रहा है अतः मैं यह कह सकता हूं कि यह काम बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया गया है। किन्तु इस का यह तात्पर्य नहीं कि अब और कोई सुधार करना शेष नहीं है। कल ही मुझे एक माननीय सदस्य से राजस्थान में लेखे की स्थिति के सम्बन्ध में एक बहुत ही रोषपूर्ण पत्र मिला है। ये चीजें एक दिन में सुधारी नहीं जा सकतीं, विशेषतया सामान्य शिकायतों की बुराइयां एक दिन में दूर नहीं की जा सकतीं। अतः इस शताब्दी पुरानी लेखे और लेखा परीक्षा की प्रणाली में अभी और अधिक सुधार करने पड़ेंगे।

अब मैं यह बता देना चाहूंगा कि पाकिस्तान को, जिस ने हमारी व्यवस्था को अपनाया है, छोड़ कर अन्य किसी भी लोकतंत्र में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लेखा संकलित नहीं करने पड़ते। वह कार्य कार्यपालिका का है ——यह बात श्री बसु द्वारा उठाए गए विषय से सम्बन्ध रखती है—— लेखा के लिये कार्यपालिका उत्तरदायी है और महालेखापरीक्षक का संबंध लेखापरीक्षा से होता है। लेखापरीक्षा तथा लेखा के पृथककरण के संबंध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा गंभीर सुधार किया जाना है और वर्तमान महालेखापरीक्षक ने निरन्तर लोकलेखासमिति पर इस बात के लिए ज़ोर दिया है और उन का समर्थन प्राप्त किया है। मैं कह सकता हूं कि अपने भाग के लिए सरकार इस बात को सिद्धान्त रूप में मानने की प्रवृत्ति रखती है और उसे केवल इस विशाल कार्य को कार्यान्वित करने की वास्तविक प्रशासकीय तथा अन्य कठनाइयों से भय लगता है। मैं यह भी बता दूं कि हमें अनेक राज्य सरकारों से प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं जिन में हम से प्रार्थना की गई है कि हम इस को कार्यान्वित न करें क्योंकि तब जो शासनतंत्र उन्हें इस प्रयोजन के हेतु नियोजित करना पड़ेगा उसमें उनका वैसा ही विश्वास नहीं है।

इसका संबंध, विधानमंडल के मत पर एक ऐसे ढंग से, जिस में कोई धोखा न हो सके, व्यय को निर्बन्धित करने के संबंध में, एक राजकोष नियंत्रण को लागू करने से है।

एक और विशेषता भी है जो हमारे प्रबन्धों तथा अन्य देशों में होने वाले प्रबन्धों में भेद करती है। संसार में कहीं भी फेडरल महालेखापरीक्षक राज्यों का भी महालेखापरीक्षक नहीं होता। अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में राज्यों के अपने संविधित महालेखापरीक्षक होते हैं। अतः भारत का महालेखापरीक्षक एक ऐसा भार संभालता है जो संसार भर में, यदि इमानदारी से कहा जाय तो, कहीं भी विद्यमान नहीं। है। उसका शासनतन्त्र, पिछली सरकारों की असफलताओं के कारण, अत्यन्त अपर्याप्त है, कम से कम मात्रा में और कहीं कहीं किस्म में भी।

युद्ध के प्रारम्भ से——यह बात डा० मुकर्जी ने कही थी——शासकीय गति-विधि तथा व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है; अंकुशों राज्य-व्यापार, राज्य-उद्यमों, सभी ने विशेष जटिलता का अत्यधिक अतिरिक्त कार्य लाद दिया है। और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति तथा हमारी गतिशील आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का अपनाया जाना और पंचवर्षीय योजना इनके परिणाम स्वरूप व्यय का और बिस्तार हो गया है और फलतः उत्तरदायित्व भी बढ़ गए हैं। अतः इन बहुत सी कठिनाइयों से निपटाने के लिए, जैसा कि मैं बाद में कहने जा रहा हूं, हम अनुभव करते हैं कि हम को एक अत्यन्त अनुभवी नियंत्रक तथा महालेखा-

[श्री सी० डी० देशमुख]

परीक्षक के सहयोग से वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

अब मैं फिर से विधेयक की सामान्य बातों पर लौटता हूं, अर्थात् आयु-सीमा अथवा पदावधि-सीमा तथा निवृत्ति-वेतन का आकार। आयु सीमा के सम्बन्ध में दो विचार प्रकट किये गये हैं। एक यह है कि हम को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच एक अत्यन्त कड़ी समानता स्थापित करनी चाहिए और उन के लिए निर्धारित आयु-सीमा बढ़ा देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसे सारे सादृश्य खतरनाक हैं। इस पद के महत्व को दिखाने के लिए, कोई व्यक्ति, डाक्टर अम्बेडकर के समान, न्यायपालिका की ओर निर्देश कर सकता है। पर मैं समझता हूं कि प्रत्येक समस्या पर उसकी अपनी गुणिता के अनुसार विचार किया जाना चाहिये, और उस पर वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए विचार होना चाहिए । यहां पर, यदि हम प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, अर्थात् किसी प्रकार की आयु-सीमा होनी चाहिये——और माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि अन्य देशों में कोई आयु-सीमा नहीं है——तो कुछ प्रथाएं स्थापित करनी पड़ेंगी और मैं यह नहीं कहता कि यथा-समय वे स्थापित नहीं की जायेंगी । लेकिन प्रारम्भ करने के लिये हम ने सोचा कि इस समस्या से निपटने का सर्वोत्तम मार्ग अवधि को, जो पांच वर्ष है, बढ़ा देना है । वह न्यूनतम अवधि है। किसी माननीय सदस्य ने मुझ से पूछा था कि क्या ऐसा ही हर जगह होता है । मने जिन नियमों का निर्देश किया है उन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पांच वर्ष न्यूनतम पदावधि है और हम ने सोचा कि इन पांच वर्षों को बढ़ा कर छै वर्ष कर देना चाहिए ।

संभव था कि हम एक आयु-सीमा निश्चित कर सकते और यदि वर्तमान नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक हमारे ध्यान में होते तो शायद हम ने एक ऐसी आयुसीमा निश्चित कर दी होती जो उन पर लागू हो सकती थी, लेकिन हमने ऐसा करने का प्रयत्न नहीं किया। संघ लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में उसी प्रकार के उपबन्ध से हम ने छै वर्ष लिए और हम ने यह सोचा कि वह एक उचित अवधि है । प्रतीत होता था कि संविधान निर्माताओं ने उस को उसी प्रकार की, अथवा कम से कम उसी महत्व की नौकरियों के लिए उपयुक्त अवधि समझी थी । हम ने यह सोचा कि यदि हम उस अवधि को अपनाते हैं तो बहुत गलती नहीं कर सकते । वर्तमान ढांचे को जिसमें से हमें एक चुनाव करना पड़ेगा, ध्यान में रखते हुए, एक बहुत ऊंची आयु-सीमा निश्चित करने का खतरा यह होगा कि हम को एक ही व्यक्ति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक रखना होगा, मैं नहीं जानता कि कितने वर्षों के लिये—— हो सकता है चौदह अथवा पन्द्रह वर्षों के लिए । मैं समझता हूं कि ऐसे पद पर इतने अधिक समय के लिये एक ही व्यक्ति का रहना ठीक नहीं है, चाहे वह कितना ही अच्छा और योग्य क्यों न हो । इस बात का सदैव भय रहेगा कि वह नवीनता खो बैठे अथवा वह ताजा दृष्टिकोण और वह रुचि खो बैठे जो कि उस के पास होनी चाहिये यदि वह अपने उत्तरदायित्व को योग्यता-पूर्वक निबाहना चाहता है । मैं नहीं जानता कि मैं माननीय सदस्य की सभी टिप्पणियों से और उन की इस कहावत से जिस का संबंध इस से है कि साठ वर्ष की आयु का होने पर कोई भी व्यक्ति संतुलन खो बैठता है, सहमत हूं । सदन के दूसरे भागों से भी मेरे पास अन्य भाषाओं में कहावतें भेजी गई हैं, और मराठी में भी एक कहावत है जो बहुत से छोटे वाक्यों से पूर्ण है और जिसमें केवल यह कहा गया है कि : साठी बुद्धि नाठी, अर्थात् जब आप साठ

वर्ष की आयु पर पहुंचते हैं, तब आप की वृद्धि कुछ दुर्बल हो जाती है ।

मैं स आयु-सीमा का केवल अपने इस अविश्वास के कारण, कि उस पद पर आसीन व्यक्ति की बुद्धि का क्या होगा, विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मेरे सामने अपेक्षाकृत कम आयु वाले लोगों के नियुक्त होने तथा बारह, तेरह, चौदह या पन्द्रह वर्षों तक जमे रहने की दूसरी संभावना है । मैं स्पष्ट कारणों से इस विषय की गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि वह बहुत अधिक बताना हो जायेगा इस सम्बन्ध में कि हम व्यक्तियों के संभाव्य चुनाव के सम्बन्ध में क्या सोच रहे थे । लेकिन हम ने चुनाव के संभाव्य क्षेत्र को देखा है और मैं देखता हूं कि पदाधिकारी अपेक्षाकृत कम सेवा काल वाले होंगे और, इसलिए, मैं समझता हूं कि इस बात का भय है कि हमें उसी व्यक्ति को इस अत्यन्त महत्वपूर्ण पद पर बहुत लम्बे काल के लिए रखना पड़े । आयु-सीमा के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है, और मैं अभी भी समझता हूं कि यह अच्छा होगा कि हम किसी प्रकार का काल-पदावधि रखें जैसा कि हमने सुझाव रखा है ।

अब केवल सामान्य विषयों के बारे ही में रह जाता है ।

डा० एस० एस० मोरे : क्या ५४ वर्ष की आयु में महालेखापरीक्षक के पद पर नियुक्त होने वाला एक व्यक्ति छै वर्ष तक उस पद पर रह सकता है ?

श्री सी० डी० दशमुख : जी हां, यह ठीक है । मैं किसी और के विषय में तो नहीं जानता पर यदि कोई व्यक्ति भारतीय असैनिक सेवा का है और उस की नियुक्ति ५९ वर्ष की आयु में होती है तो वह ६५ वर्ष की आयु तक रह सकता है क्योंकि ५९ में छै का जोड़ उस को ६५ वर्ष की आयु तक ले जायेंगे, और यही नियम आज कल भी है इस बात को छोड़ कर कि छै वर्षों के स्थान पर अब पांच वर्ष हैं ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : इससे तो यह होगा कि ५० वर्ष अथवा उससे कम आयु वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में सरकार सोच विचार ही नहीं करेगी, चाहे वे कितने ही असाधारण बुद्धि वाले व्यक्ति क्यों न हों ।

श्री सी० डी० देशमुख : ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह एक अच्छे निवृत्ति-वेतन के पक्ष को पुष्ट करेगी क्योंकि स्पष्ट है कि यदि आप एक कम आयु वाले व्यक्ति को चुनते हैं और उस को सेवा से अपेक्षाकृत कम उम्र में ही निवृत्त होना पड़ता है, तो मैं समझता हूं कि यह और भी आवश्यक हो जाता है कि उसे अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल कुछ निवृत्ति-वेतन प्राप्त हो सके ।

यदि ऐसा नियम न होता तो, जसा कि मैंने कहा, तो वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ९५०० रुपये का निवृत्ति-वेतन पाते । मैं यह भी बता दूं कि पांच और छै वर्षों में कोई अन्तर नहीं पड़ता, लेकिन यदि पांच वर्ष रखा जाय तो उससे अन्तर पड़ता है अर्थात् ५ ६ से उसको १२००० रुपये मिलेंगे जबकि छै वर्षों में उसको १२००० रुपये से अधिक मिल सकेगा । अतः उच्चतर सीमा को लगाने से उन को १२००० रुपये ही मिलेंगे । अतः इस प्रयोजन से उस को इस सीमा के अन्दर रखना आवश्यक है । मेरा अभिप्राय यही है । निवृत्ति-वेतन तो उनको पांच वर्ष की सेवा के बाद भी मिलेगा ।

अब केवल एक बात बचती है अर्थात् क्या यह चीज़ हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को घूस के रूप में भेंट कर रहे हैं और क्या इसके फलस्वरूप वह अपनी सरकार के कार्यों के संचालन की आलोचना में गड़-बड़ी करने के प्रलोभित हो जायेंगे । मैं विरोधी

[श्री सी० डी० देशमुख]

दल के माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रकार की शंकाएं न करें। यह बात संबंधित व्यक्ति के हित में उचित नहीं है। मैं सरकार के प्रति उचित व्यवहार की चर्चा नहीं करता क्योंकि अवसर प्राप्त होते ही सरकार की आलोचना करना तो विरोधी सदस्यों का काम है। मेरे माननीय मित्र इस बात को विशेष महत्व नहीं देते कि वह सत्य को जानने के विचार से किया गया है अथवा अन्यथा। मेरा सुझाव है यह संबंधित पदाधिकारी के लिए अनुचित है।

श्री एस० एस० मोरे : मुझे वर्तमान पदाधिकारी के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। सरकार के इस कार्य ने ही सन्देह का स्थान दिया था और संविधान के निर्माताओं के मन में भी शायद यह बात रही हो।

श्री सी० डी० देशमुख : यह सन्देह पदाधिकारी के नहीं वरन् सरकार के विरुद्ध है जो उसकी सेवा दशा का निबन्धन करने में सुशक्त है। माननीय सदस्य को ऐसा कोई लांछन नहीं लगाना चाहिये .....

श्री एस० एस० मोरे : पर मैं ने यह नहीं कहा।

श्री सी० डी० देशमुख : .. .. .या ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिस से लांछन पैदा हो सके। उन्होंने उसे कभी नहीं देखा है और न कभी यही सोचा है कि वह किस प्रकार का काम कर रहा है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि ऐसी बात पैदा हो गई या उसके पैदा होने की संभावना है . . .

डा० एस० पी० मुकर्जी : तब आप को यह विधेयक सामने लाने की क्या आवश्यकता थी ? आप उसकी पदावधि समाप्त हो जाने देते।

श्री सी० डी० देशमुख: व्यक्तिगत मामलों की चर्चा से मुझे विरक्ति होती है। महालेखा परीक्षक मुझे ही नहीं बल्कि प्रधान मंत्री को भी सदैव यह लिखते रहे हैं कि पांच वर्ष की वर्तमान पदावधि की समाप्ति के बाद वह अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त होना चाहेंगे। केवल हमारे अनुरोध पर और संसद के सहमत हो जाने पर ही वह आगे ठहर सकेंगे। लोकहित ही एकमात्र कसौटी है और एक वर्ष उन की अबाधित सहायता मिलने पर हमें लाभ पहुंचेगा। मैं स्वीकार कर लूं कि उपयुक्त उत्तराधिकारी खोजना सहज सिद्ध नहीं हुआ और लोक-क्षेत्र में दिन दिन बढ़ते हुए व्ययों की दृष्टि में तथा वित्त मंत्री के अपने उत्तरदायित्व के नाते, मुझे यह निर्णय करने के लिये विवश होना पड़ा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री एस० पी० मुकर्जी : अगले वर्ष फिर से एक वर्ष की वृद्धि मांगी जाय इससे तो यही अच्छा है कि विधेयक में दो वर्ष की वृद्धि अभी कर ली जाय।

श्री सी० डी० देशमुख : औरों की भांति उचित रास्ता पाना बड़ा कठिन है। मेरा विचार है कि एक वर्ष में एक मनुष्य को शिक्षा तथा उसमें चुनाव करने की शक्ति आ जायगी। इस बीच में किसी महालेखापरीक्षक तथा महानियंत्रक के अधीन रखकर उसे कुछ प्रशिक्षा दी जा सकती है। एक व्यक्ति के पास बहुत से व्यक्ति नहीं रखे जा सकते। चाहे वे कितने ही योग्य क्यों न हों और बहुत सोच विचार के उपरान्त जैसा कि मैं ने कहा है और लोक सेवा आयोग के सदस्यों से सम्बन्धित उपबन्धों से प्रभावित है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स की अवधि ६ वर्ष होनी चाहिए। मैं यह भी आवश्यक

नहीं समझता कि सदन को मैं किसी प्रकार का ऐसा आश्वासन दू कि लोक सेवा के अतिरिक्त हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं ह; किन्तु इस प्रकार के आश्वासन का अभिप्राय तो यह होगा कि हम ने उस दोषारोप को स्वीकार कर लिया है जो माननीय विरोधी सदस्य ने यदि महालेखापरीक्षक अथवा नियंत्रक के विरुद्ध आरोपित नहीं किया तो हमारे विरुद्ध अवश्य किया था ।

अब मैं अन्तिम बात को लेता हूं अर्थात् क्या इस विधेयक के किसी मामले को प्रवर समिति को सौंपना है ?

मैं स्वयं तो यह नहीं समझता कि अब कुछ बाकी रह गया है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के छोटे से विधेयक के लिये यह सदन ही प्रवर समिति बन गया है । सदन में ऐसे माननीय सदस्य भी है जो उत्पन्न होने वाली सभी बातों पर अपने विचार प्रकट करते हैं । मैं तो नहीं समझता कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने से कुछ और अधिक लाभ होगा और विशेष रूप से जबकि इस विधेयक के प्रस्तावक माननीय सदस्य उस प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं । अब यह एक विचित्र प्रक्रिया है । किन्तु मुझे बिल्कुल भी सन्देह नहीं है कि ...

श्री वल्लाथरास : माननीय मंत्री को लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा हूं अतएव प्रवर समिति में जाने से कोई लाभ नहीं है । मैं इसका विरोध करता हूं और इसे सम्पूर्ण रूप से फालतू तथा अनावश्यक समझता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय जिस के सदस्य श्री बी० दास, श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी, श्री फ्रेंक एन्थनी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन तथा प्रस्तावक हों, और यह समिति अपना प्रतिवेदन ९ मई १९५३ तक दे दे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतवर्ष के महालेखापरीक्षकों तथा महानियंत्रकों की अधिसेवा सम्बन्धी कुछ शर्तों को विनियमन करने के लिए इस विधेयक पर विचार किया जाय ।"

खंड २—(कार्यालय आदि संबंधी शर्तें)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री वल्लाथरास अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री वल्लाथरास : पहले संशोधन को मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइप की भूल के कारण उस में ६० वर्ष हो गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय :

प्रश्न है :—

"कि खंड २ विधेयक का अंग बन गया है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(निवृत्ति वेतन इत्यादि)

श्री सी० डी० देशमुख: मैं विनम्र प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ २ पर

(१) पंक्ति २ और ३ में "Auditor General" (महालेखा-परीक्षक) शब्द के पश्चात "Such service in respect of the Comptroller and Auditor-General holding office, immediately before the commencement of this Act, being computed from the 15th day of August, 1948."

[उपाध्यक्ष महोदय]

(महानियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक जो आजकल कार्य कर रहे हैं उन की ऐसी सेवाओं को, इस विधेयक के लागू होने से ठीक पहले १५ अगस्त १९४८ से गिनना चाहिए) ये शब्द प्रविष्ट किये जायें; और

(२) पंक्ति ४ से ६ के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें : --

"Provided that the aggregate of all pensions payable to the Comptroller and Auditor General shall not,

(1) in the case of a member of the Indian Civil Service, exceed one thousand pounds sterling per annum; or

(2) in the case of a member of any other service, exceed twelve thousand rupees per annum."

परन्तु इन महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को दिये जाने वाले सभी निवृत्ति-वेतनों का जोड़ :--

(क) भारतीय असैनिक सेवा के किसी सदस्य के सम्बन्ध में एक हजार पौंड प्रतिवर्ष से अनधिक होगा ; अथवा

(ख) अन्य किसी सेवा के किसी सदस्य के सम्बन्ध में १२ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक होगा ।

पहले संशोधन का अभिप्राय तो बिल्कुल स्पष्ट है । इस उपबन्ध को हम विशेष रूप से उस महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के साथ लागू करना चाहते हैं जिन्होंने १५ अगस्त १९४८ को कार्यभार संभाला है ।

द्वितीय संशोधन का अभिप्राय इस बात को स्पष्ट करता है कि इससे भारतीय नागरिक सेवा के उच्चाधिकारियों के निवृत्ति वेतन की रक्षा होती है बशर्ते कि ऐसे उच्चाधिकारी को महानियंत्रक तथा महालेखानिरीक्षक नियुक्त किया जाता है । यह संविधान के अनुसार है तथा ऐसी प्रत्याभूति भी दी गई है ।

श्री के० के बसु : तथ्य को देखते हुए ६ वर्ष की पदावधि निश्चित की गई है । उस स्थान पर ६ वर्ष काम करने के आधार पर उस पदाधिकारी का निवृत्तिवेतन जोड़ना होगा न कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारियों के लिये विशेष सुविधा कर दी जाय । मेरा सुझाव है कि महालेखा परीक्षक के पद पर की गई सेवा के आधार पर निवृत्ति वेतन जोड़ा जाय । और यदि आवश्यकता हुई तो हम गैर भारतीय नागरिक सेवा का पदाधिकारी ले लेंगे जो बड़ी आसानी से मिल सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ २ पर

(१) पंक्ति २ और ३ में "Auditor General" (महालेखा-परीक्षक) शब्द पश्चात

"Such service in respect of the Comptroller and Auditor General holding office, immediately before the commencement of this Act, being computed from the 15th day of August, 1948;

(महानियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक जो आज कल काय कर रहे हैं, उन की ऐसी सेवाओं को, इस विधयक के लागू होने से ठीक पहले

१५ अगस्त १९४८ से गिनना चाहिए) ये शब्द प्रविष्ट किये जायें ; और

(२) पंक्ति ४ से ६ के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें :

"Provided that the aggregate of all pensions payable to the Comptroller and Auditor General shall not,

(1) in the case of a member of the Indian Civil Service, exceed one thousand pounds sterling per annum; or

(2) in the case of a member of any other service, exceed twelve thousand rupees per annum."

परन्तु इन महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को दिये जाने वाले सभी निवृत्ति-वेतनों का जोड़ :—

(क) भारतीय असैनिक सेवा के किसी सदस्य के सम्बन्ध में एक हजार पौंड प्रतिवर्ष से अनधिक होगा ; अथवा

(ख) अन्य किसी सेवा के किसी सदस्य के सम्बन्ध में १२ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड ३, जैसा कि संशोधित किया है, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधित खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नवीन खंड ३ (क)

श्री वल्लाथरास : जो कुछ मैं ने प्रस्तुत किया है और वह आयोग के सम्बन्ध में है तथा जो कुछ रक्षा कार्यालय के साथ किया जाता है वह राष्ट्रपति की स्वेच्छा से हो जो कि इस के अतिरिक्त अन्य अतिरिक्त अधिकार भी रखेंगे । जैसा कि मैंने पूर्व ही कहा है कि तीन प्रकार के व्यक्ति ही इस पद के अधिकारी हो सकेंगे (१) लेखा-परीक्षा विभाग में काम करने वाला अधिकारी (२) वह पदाधिकारी जो अन्य किसी सरकारी विभाग में काम करता हो ।

(३) एक बाहरी व्यक्ति । वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि साधारण रूप से लेखा-परीक्षा विभाग में कार्य करने वाले पदाधिकारी के ही इस पद के लिये प्राथमिकता दी जायगी किन्तु यदि यह मान लें कि एक तीसरे ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो तब उस मामले में इन उपबन्धों की आवश्यकता है । वह उपबन्ध लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में आवश्यक पाया गया था । अतएव उस के लिए भी उसी प्रकार की सुविधा होनी भी आवश्यक है—वह भी यदि गैर सरकारी व्यक्ति को इस पद के लिए चुना जाता है तो। अतएव यह अत्यन्त आवश्यक है और राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में अधिकार दिये जाने चाहियें ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा निवेदन है कि यह संविधान के अनुसार अवैध है । क्योंकि संसद का विधेयक संविधान के उपबन्धों को अतिष्ठित नहीं कर सकता और यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद १४८ (१) में लिखा है कि भारत के महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को कार्यालय से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान शर्तों और नियमों के अनुसार निकाला जा सकता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद १२४(४) में स्पष्टतः निर्धारित है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्पष्ट रूप से हम ने यह निर्धारित किया है कि उसे

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अनुच्छेद १२४(४) के अनुसार अलग किया जा सकता है । हम उसे राष्ट्रपति द्वारा अलग करने के लिये और अधिक अतिरिक्त कारण नहीं निर्धारित कर सकते ।

श्री सी० डी० देशमुख : अनुच्छेद १२४ में अलग करने सम्बन्धी सभी बातें आ जाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री ने अनुच्छेद १४८(३) का हवाला दिया है । इस में कहा है कि :—

"महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का वेतन तथा सेवा सम्बन्धी शर्तें संसद द्वारा एक विधेयक के अनुसार निश्चित की जायेंगी; जब तक कि वे निश्चित नहीं की जाती तब तक द्वितीय परिशिष्ट में जैसा निर्दिष्ट है उसी के अनुसार रहेंगी ।"

श्री सी० डी० देशमुख : जो कुछ निर्दिष्ट किया जा चुका है उस के अतिरिक्त हम कुछ और नहीं कर सकते । मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं अतएव इसका निर्णय मैं संसद पर ही छोड़ता हूं ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खंड ४, खंड १, शीर्षक तथा विधायक सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विनम्र प्रस्ताव करता हूं :

"कि संशोधित विधेयक स्वीकार किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

"कि संशोधित विधेयक स्वीकार किया जाय ।"

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का विवरण है जिस में उन्होंने ज़ोरदार शब्दों में कहा है कि प्रशासन की प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए । लेखा तथा लेखा परीक्षा अलग कर देने चाहियें । महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने कहा है कि वह थोड़े से कर्मचारियों की सहायता से ही कार्य करने के लिए तैयार हैं । और इसका परिणाम यह होगा कि इस प्रकार राजकोष पर अधिक भार भी नहीं होगा ।

लोक लेखा समिति ने वर्तमान स्थिति की बड़ी कड़ी आलोचना की है । यह बड़ी विचित्र सी बात है कि जब सदन में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत है तो हम उस पर वादविवाद नहीं कर पाते । पहले लोक लेखा समितियों के प्रतिवेदन पर बड़े वाद विवाद हुआ करते थे । जबकि महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने प्रशासन में परिवर्तन करने सम्बन्धी सुझाव रखे हैं तब भी इस पर कोई वाद विवाद नहीं हो रहा है ।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर सदन में वाद विवाद करने में कुछ कठिनाइयां हैं । मैं आशा करता हूं कि सरकार सदन की समितियों के प्रतिवेदन पर वादविवाद करने के लिए भविष्य में समय देने के लिए प्रयत्न करेगी ताकि उस प्रतिवेदन की विशेषताओं एवं विवक्षाओं पर विचार प्रकट किये जा सकें । यदि हम को इस प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करने का अवसर दिया गया तो यह निश्चित है कि लेखा तथा लेखापरीक्षा को

अलग करने के कार्य को सुचारु रूप से किया जा सकता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक इस वक्तव्य का संबंध है कि लोक लेखा समिति के वृत्तान्त पर सदन में विचार होना चाहिये मैं व्यक्तिगत रूप में इस विचारधारा से सहानुभूति रखता हूं । मैं सदन का कार्यक्रम निर्धारित करने के लिये उत्तरदायी नहीं हूं । मेरा विश्वास है कि विरोधी दल के नेताओं का भी इस में हाथ है और जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे कोई खेद नहीं होगा यदि लोक लेखा समिति को बहस करने का अवसर प्रदान किया जाय ।

दूसरे विषय के सम्बन्ध में जैसा मैं ने कहा है नियंत्रक महालेखा गत कई वर्षों से आग्रह कर रहे हैं कि भुगतान उसके विभाग द्वारा नहीं किया जाना चाहिये; वस्तुतः उन का विभाग बहुत थोड़ी सीमा तक भुगतान से सम्बन्धित है अर्थात् वह कतिपय प्रमुख नगरों तक सीमित है किन्तु फिर भी वह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें इस कार्य से मुक्ति मिलनी चाहिये । केन्द्रीय सरकार की ओर से, मैं यह स्वीकार करने में स्वतंत्र हूं कि हम यह अनुभव करते हैं कि कुछ प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों के अतिरिक्त इस में अतिरिक्त खर्चे का प्रश्न भी सम्मिलित है । किन्तु केवल केन्द्रीय सरकार ही इस से सम्बन्धित नहीं है राज्य सरकारें अधिक उदासीन हैं क्योंकि उन्हें आय-व्यय लेखा पदाधिकारियों में अपने यहां के वितरण पदाधिकारियों से अधिक विश्वास है । अभी उन्होंने स्थायी कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया ह । एक महीने पूर्व ही एक राज्य के मुख्य मंत्री महोदय ने केन्द्रीय सरकार से अपील की थी कि उनके राज्य में पूर्व आय-व्यय लेखा चालू रखा जाय । वह सौराष्ट्र राज्य है । मुख्य मंत्री ने लिखा था : "मेरी सरकार का विचार है कि व्यय के वास्तविक आय व्यय लेखा के हित में पूर्व आय व्यय लेखा पद्धति के विस्तार की आवश्यकता है, कमी की नहीं ।" मुख्य मंत्री के पत्र से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी प्रशासन व्यवस्था से अधिक आस्था आय व्यय लेखा में हैं । मद्रास, बंगाल और बम्बई भी आय व्यय लेखा द्वारा किये गये वितरण कार्य को लेने में अनिच्छुक हैं । नियंत्रक आयव्यय लेखा अतिरिक्त सुरक्षायुक्त योजना के द्वारा राज्यों को अभी भी विश्वास दिलाने की आशा रखते हैं । अतः मेरा यह विचार है कि यह महत्वपूर्ण विषय है । वे नियंत्रक आय व्यय लेखा द्वारा प्रदत्त सेवाओं का अत्यन्त महत्व देते हैं क्योंकि एक ही अधिकारी के अन्तर्गत भुगतान किये जाने पर स्वतः ही सहयोगीकरण उत्पन्न हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक, संशोधित रूप में, स्वीकृत कर दिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पटियाला और पूर्वी पंजाब राय संघविधान मंडल (शक्ति प्रत्यायोजन) विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं सविनय प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :—

"राष्ट्रपति को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के विधान मंडल के नियम बनाने के अधिकार प्रदान करने के विषय में विधेयक पर विचार किया जाय । "

उद्देश्यों के विवरण से सदन को मालूम हुआ होगा कि हम ने १९५१ के दृष्टान्त का अनुकरण किया है जब कि राष्ट्रपति ने पंजाब राज्य के अधीक्षण का कार्य अपने हाथ में ले लिया था और इस सदन ने इस

[डा० काटजू]

आशय का एक विधान स्वीकृत किया था। वर्तमान स्थिति में प्रस्ताव और भी सरल है। राज्य से संबंधित प्रत्येक विधेयक संसद में प्रस्तुत करने और उस पर अनिश्चित समय लगाने की अपेक्षा राष्ट्रपति विधान निर्मित करेंगे और यह अधिनियम यथाशीघ्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायगा और सदन इस कार्य पर विचार करने का अवसर प्राप्त कर सकेगा। यदि संसद के दोनों सदन इस में कोई संशोधन स्वीकृत करेंगे तो उसी अंश तक राष्ट्रपति के अधिनियम को संशोधित कर दिया जायगा। श्रीमान, मेरा निवेदन है कि यह कार्य अत्यावश्यक है क्योंकि पेप्सू के प्रशासक के पास भूमि-सुधार आदि विधान और अन्य प्रशासन कार्य हैं। यदि ये सब विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायें तो काफी समय लग जायगा। हम चाहते हैं कि वे शीघ्र ही स्वीकृत कर दिये जायें।

सात संशोधनों की सूचना दी जा चुकी है। सदन उन पर विचार करेगा। कुछ शंकाएं उपस्थित की गई हैं। यह कहा गया है कि सदन पटल पर राष्ट्रपति के अधिनियम को प्रस्तुत करने में देर हो जाय। जैसा मैंने अभी कहा मेरा यह सुझाव है कि इस में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये। सदन में विधेयक प्रस्तुत किये जाने के बाद सरकार उस पर विचार करने के लिये समय देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव उपस्थित किया गया :

"राष्ट्रपति को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के विधान मंडल के नियम बनाने के अधिकार प्रदान करने के विषय में विधेयक पर विचार किया जाय।"

सरदार हुक्मसिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मेरी इच्छा है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किये जाने वाले विधान के सम्बन्ध में हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम इस विषय पर विचार निर्धारित कर सकते कि संसद उस पर इतना समय नहीं दे सकता जितना कि विधान स्वीकृत करने में आवश्यक है।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि यह एक अत्यन्त औपचारिक विधेयक है। वस्तुतः यह विधेयक अत्यन्त ही संक्षिप्त है किन्तु इस के अन्तर्भूत विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम से कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा पंजाब का कार्यभार लेते समय भी ऐसा ही विधेयक प्रस्तुत किया गया था। किन्तु मेरा विचार है कि उस समय जो परिस्थितियां थीं वे अब विद्यमान नहीं हैं। उस समय हमने यह आरोप लगाया और हम अभी भी लगाते हैं कि आम चुनाव होने वाले थे और उस समय की सरकार जो कि कांग्रेस सरकार ही थी वहां शासन संचालन में असमर्थ रही वह जनता को अपने साथ करने और चुनाव जीतने में असफल थी। वह विधान सभा भंग कर दी गई। संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने की सामान्य रीति नहीं अपनाई गई किन्तु सरकार को शक्ति सौंप दी गई। जो घोषणा की गई है और जिन स्थितियों का उल्लेख किया गया है वे स्पष्ट नहीं हैं। यह सब कार्य एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिये किये गये हैं जहां कांग्रेस जीत सकती है। हम ने यह आरोप लगाये हैं किन्तु दूसरी ओर के सदस्यों ने उन का खंडन करते हुए कहा है कि यह उन की मंशा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का शासन स्थायी नहीं है। यदि परिसीमन निगम का कार्य न होता तो हम चार महीनों में ही दुबारा चुनाव करवा देते। संविधान की धारा के अनुसार निगम का विवरण प्राप्त होने तक हम चुनाव नहीं करा सकते। किन्तु हम चाहते हैं कि

छः महीने के भीतर जनता को ऐसा निर्मल प्रशासन पुनः लौटा दिया जाय जहां वे सुरक्षा की भावना के साथ अपने अपने गांवों में कार्य कर सकें। और स्वतंत्र तथा निर्बन्ध वातावरण में वे निर्वाचन में भाग ले सकें।

हमें विधान का स्वरूप नहीं बतलाया गया है और मैं समझता हूं कि विधान सत्ता राष्ट्रपति को सौंपने में औचित्य नहीं है। यह घटना मुगल कालीन उस वृद्धा महिला का स्मरण करा देती है जिस का माल असबाब लुट जाने पर बादशाह ने कहा था कि राज्य का वह भाग (जिसमें बुढ़िया रहती थी) राजधानी से बहुत दूर है और उसकी देख-भाल करना सम्भव नहीं है। यदि संसद् के पास इस विषय के लिये समय नहीं है तो फिर हमें वह सत्ता धारण ही क्यों करनी चाहिये। केवल एक संक्षिप्त पद्धति--एक विधेयक द्वारा हम से यह कहा जाता है कि हमें यह सत्ता राष्ट्रपति के सुपुर्द कर देनी चाहिये।

खण्ड ३ (२) में यह कहा गया है :

"उक्त प्रयोजित सत्ता के अनुसार राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद का सत्र चल रहा हो अथवा नहीं, राष्ट्रपति अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा अधिनियमन कर सकते हैं जिसे वह आवश्यक समझते हों। राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की सत्ता देने वाली धारा १२३ में कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब कि संसद् का सत्र चल रहा हो।"

किन्तु आजकल संसद का सत्र हो रहा है और संसद् का विश्वास प्राप्त किये बिना ही राष्ट्रपति अधिनियमन कर सकते हैं और तुरन्त ही वह विधि का रूप धारण कर लेगा; यह समझ में नहीं आता है। खण्ड ३ के उपविभाग (३) और (४) के अनुसार अधिनियमन के पश्चात वह संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा और दोनों सदन द्वारा कोई संशोधन स्वीकृत कर दिये जाने की अवस्था में राष्ट्रपति की उपशाखा (२) के अनुसार उस में संशोधन कर देंगे। यह संसद् के सदस्यों के समक्ष संशोधन करने के लिये रखा जायगा किन्तु हमारा अनुभव है कि उस समय यह संशोधन सर्वथा निरर्थक सिद्ध होगा। संसद् उस विधान पर प्रभाव नहीं डाल सकती जो कि पहले से ही स्वीकार किया जा चुका हो।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं हमें पंजाब का दृष्टान्त नहीं लेना चाहिये क्योंकि उस समय विशेष परिस्थितियां थीं। यह युक्ति नहीं मानी जा सकती कि संसद के पास विधान स्वीकृत करने के लिये समय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन स्थगित कर दिया गया है।

इसके पश्चात सदन की ठक गुरुवार दिनांक ३० अप्रैल १९५३ के प्रातःकाल सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई।